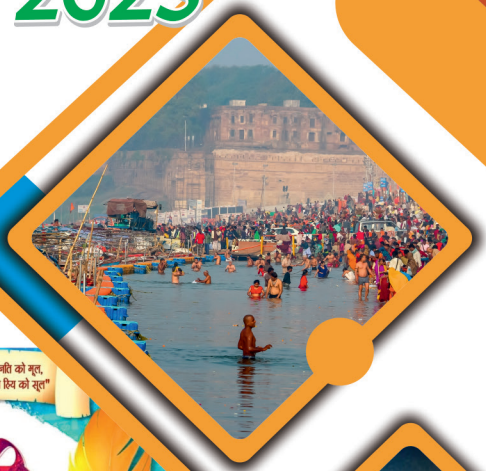
PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

PLUTUS IAS

मासिक करेंट अफेयर्स फरवरी 2025

Obtain video lectures on current affairs for free by asking the retailer

Phone: 08448440231
Email: info@plutusias.com
Web: www.plutusias.com













- महाकुंभ मेला 2025 और वायरलेस कनेक्टिविटी : एक नए युग की शुरुआत
- विश्व हिन्दी दिवस 2025
- ट्रांसजेंडर पहचान पत्र : कानूनी बदलाव और सामाजिक स्वीकृति
- भारत के अंतरिक्ष मिशनों की नई उड़ान : इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी
- राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025

PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/OnIine/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Mukherjee Nagar/Chandigarh



Experienced Renowned Faculties



Personalized Mentorship Programme



Notes Making & Answer Writing



Live Session with Backup

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- GS Foundation Course
- NCERT Base
- Pre Cum Mains (GS)
- Prelims Test Series (65 Tests)
- Mains Test Series (24 Tests)

Foreword

Dear Aspirants,

This magazine by the Plutus IAS team is designed in such a fashion that it holistically covers all the relevant and important topics for the Civil Services Exam to make aspirants exam-ready. Plutus IAS Current Affairs Magazine is a secondary source of information; the newspaper will remain the primary source for the preparation of Current Affairs.

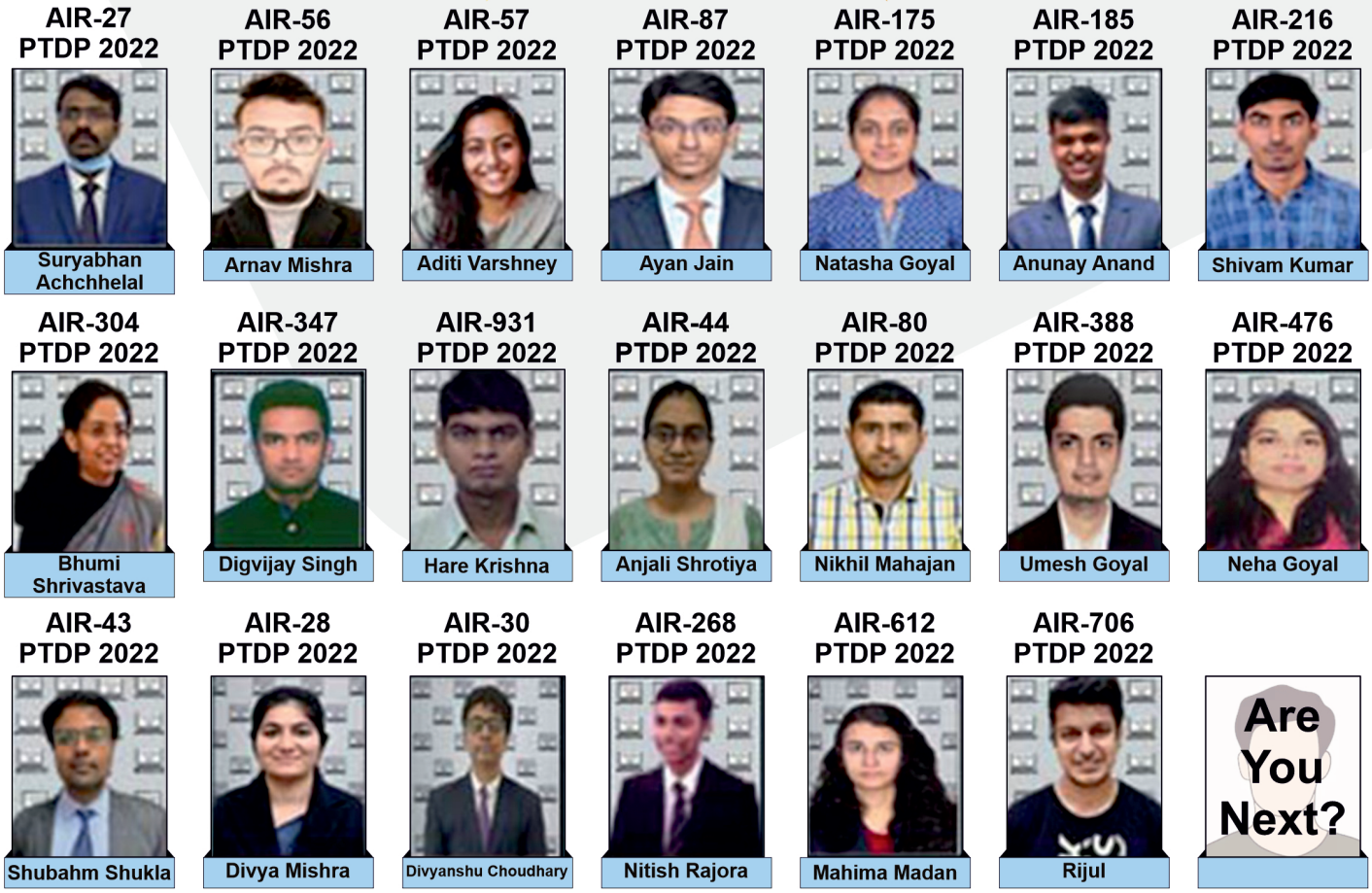
Now, Current Affairs are no longer merely current; they are Contemporary Affairs. Questions asked in both Prelims as well as the Mains assess the conceptual clarity of an aspirant. This magazine is prepared with the aim of helping you understand the interlinkages of both Static and Dynamic news events and internalize the concepts required to crack this examination.

The Plutus IAS team wishes you all the best. Prepare for the UPSC Civil Services Examination with a calm, composed, or serene mind and some patience to crack this examination in one go.

Team
Plutus IAS

Sources:
The Hindu | The Indian Express | The Economic Times | Press Information Bureau | PRS Legislative Research | IDSA: Institute for Defense Studies and Analysis | Yojana and Kurukshetra | Lok Sabha and Rajya Sabha Debates.

OUR TOP RANKERS



Copyright © by Plutus IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Plutus IAS.



फरवरी 2025
करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance):

- लोकतंत्र के द्वार पर खड़ा विधेयक : गैर-सरकारी विधेयकों की अस्वीकृति.....1
- भारत में कानूनों का पुनरावलोकन : सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण.....3
- सर्वोच्च न्यायालय की चिंता : सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी का लोकतंत्र पर असर.....6
- विश्व हिन्दी दिवस 2025.....8
- तमिलनाडु में राष्ट्रगान विवाद : केन्द्र - राज्य संबंधों के बीच का सत्ता संतुलन.....11
- भारत में मौलिक अधिकार बनाम आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा.....13
- वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024.....16
- भारत के नौकरशाही में लेटरल एंट्री बनाम कड़ी प्रतिस्पर्धा.....18

अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations):

- नेपाल के सैन्य संबंधों में नई दिशा : सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण.....21
- भारत - तालिबान संबंध : दक्षिण एशिया के भू-राजनीति में नया समीकरण.....23
- प्रवासी भारतीय दिवस 2025.....26
- भारत - पाकिस्तान और सिंधु जल समझौता : संघर्ष बनाम सहमति.....29
- भारत और अमेरिका : द्विपक्षीय संबंधों में नीतिगत परिवर्तनों का असर.....31

पर्यावरण और पारिस्थितिकी (Environment and Ecology):

- वन (संरक्षण संशोधन अधिनियम) 2023 : जनजातीय मंत्रालय की पहल और प्रभाव.....35

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology):

- पेगासस स्पाइवेयर : भारत में राष्ट्रीय एवं साइबर सुरक्षा और निजता के बीच संघर्ष.....38
- भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति और रणनीति का उन्नत समागम : सुधार वर्ष 2025.....40
- भारत के अंतरिक्ष मिशनों की नई उड़ान : इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी.....43
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी.....45

अर्थव्यवस्था (Economy):

- MSP की वैधानिकता : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और चुनौतियाँ.....48
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक : ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट जारी.....50

सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUE):

- ट्रांसजेंडर पहचान पत्र : कानूनी बदलाव और सामाजिक स्वीकृति 54
- भारत का संविधान और समाज : ऑनर किलिंग के खिलाफ संघर्ष 56
- दुराहे पर खड़ा भारत : जनसंख्या में वृद्धि और घटता कुल प्रजनन दर.....58

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति (Indian History, Art and Culture)

- सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 : भारत में शिक्षा और समानता की क्रांति की अग्रदूत 61
- महाकुंभ मेला 2025 और वायरलेस कनेक्टिविटी : एक नए युग की शुरुआत 63
- विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 : राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और स्वामी विवेकानंद का योगदान.....66



लोकतंत्र के द्वार पर खड़ा विधेयक : गैर-सरकारी विधेयकों की अस्वीकृति

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय संसद में कुछ गैर-सरकारी विधेयकों को सीमित समय के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।
- गैर-सरकारी विधेयक संसद में उन संसद सदस्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से पेश किए जाते हैं, जो मंत्री नहीं होते है।
- 17वीं लोकसभा (जून 2019 से फरवरी 2024) में इन विधेयकों पर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं हो सका, जिससे भारत में सांसदों की भूमिका और भारत में संसदीय लोकतंत्र के चरित्र को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई है।

गैर-सरकारी सदस्य विधेयक क्या होता है ?



- **परिचय :** भारत की संसद में गैर-सरकारी विधेयक उन सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो सरकार का हिस्सा नहीं होते। इन विधेयकों के माध्यम से सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या संशोधन पेश करते हैं। इन विधेयकों को निजी सदस्य विधेयक भी कहा जाता है।
- **मुख्य विशेषताएँ :** केवल गैर-सरकारी सदस्य ही इन विधेयकों को पेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्र विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। ये विधेयक सामान्यतः महत्वपूर्ण या विवादार स्पद मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका होते हैं।

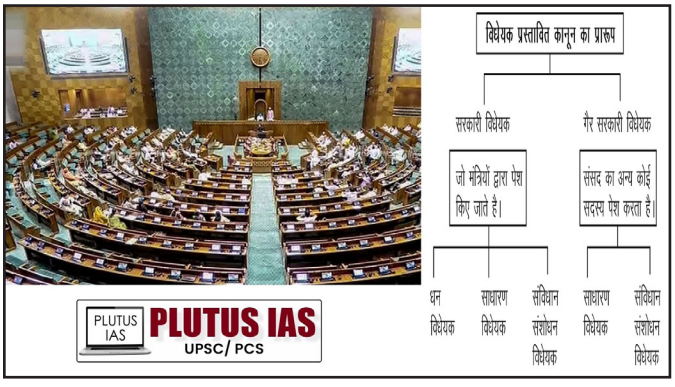
संसद में गैर-सरकारी विधेयकों को पेश करने की प्रमुख प्रक्रिया :

- **प्रस्ताव और नोटिस :** सांसद एक महीने का नोटिस देकर विधेयक का प्रस्ताव तैयार करते हैं।
- **परिचय और बहस :** गैर-सरकारी विधेयक संसद में पेश होते हैं और फिर आमतौर पर शुक्रवार को सीमित समय के सत्रों में उन पर बहस होती है।
- **निर्णय :** गैर-सरकारी विधेयक या तो वापस ले लिए जाते हैं या मतदान के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं

संसद में गैर-सरकारी विधेयकों का महत्त्व :

- गैर-सरकारी विधेयक सांसदों को दलीय दबाव से मुक्त होकर अपनी राय रखने का मंच प्रदान करते हैं।
- सन 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एच.वी. कामथ द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयक था, जिसमें संविधान में संशोधन की बात की गई थी।
- स्वतंत्रता के बाद से अब तक केवल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित हुए हैं, और 1970 के बाद से कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ।
- वर्ष 2014 में ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक, 45 वर्षों में राज्यस2 भा द्वारा अनुमोदित पहला गैर-सरकारी विधेयक था, लेकिन यह लोकसभा में नहीं पहुँच सका और न ही पास हो सका है।

सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी विधेयक में मुख्य अंतर :



प्रस्तुतकर्ता :

- **सरकारी विधेयक :** इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- **गैर-सरकारी विधेयक :** इसे किसी मंत्री के अलावा अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

नीतियाँ :

- **सरकारी विधेयक :** यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
- **गैर-सरकारी विधेयक :** यह विपक्ष की नीतियों को या सांसद के व्यक्तिगत विचारों को प्रदर्शित करता है।

संसद में पारित होने की संभावना :

- **सरकारी विधेयक :** इस विधेयक के संसद में पारित होने की संभावना अधिक होती है।
- **गैर-सरकारी विधेयक :** इस विधेयक के संसद में पारित होने की संभावना बहुत कम होती है।

अस्वीकृति का प्रभाव :

- **सरकारी विधेयक :** यदि यह अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।
- **गैर-सरकारी विधेयक :** इसके अस्वीकृत होने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोटिस अवधि :

- **सरकारी विधेयक :** इसे संसद में पेश करने के लिए सात दिनों का नोटिस होना चाहिए।
- **गैर-सरकारी विधेयक :** इसे संसद में पेश करने के लिए एक महीने का नोटिस होना चाहिए।

तैयारी :

- **सरकारी विधेयक :** इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।
- **गैर-सरकारी विधेयक :** इसे संबंधित सांसद द्वारा तैयार किया जाता है।

भारत की संसद में गैर-सरकारी विधेयकों को प्रस्तुत करने में कमी होने का मुख्य कारण :

समय की कमी :

- PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आँकड़ों के अनुसार, 17वीं लोकसभा में गैर-सरकारी विधेयकों पर केवल 9.08 घंटे, जबकि राज्यसभा में 27.01 घंटे ही चर्चा हुई, जो कुल सत्र के समय का एक छोटा हिस्सा था।
- 18वीं लोकसभा के दो सत्रों में निचले सदन में इन विधेयकों पर केवल 0.15 घंटे और राज्यसभा में 0.62 घंटे का समय व्यतीत हुआ, और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सबसे कम समय दिया गया।
- शुक्रवार को गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा का समय निर्धारित होने से समय और भी सीमित हो जाता है, क्योंकि इस दिन कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाते हैं।

गैर-सरकारी विधेयकों के प्रति सांसदों की कम गंभीरता और सक्रियता की कमी होना :

- गैर-सरकारी विधेयकों की लोकप्रियता में गिरावट का एक प्रमुख कारण सांसदों का इस विधेयक के प्रति कम गंभीरता का होना है, क्योंकि कई सांसद चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं।

समाधान की राह :



- **समय का उचित आवंटन सुनिश्चित करना :** गैर-सरकारी विधेयकों के लिए संसद में अधिक समय निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि इन पर पर्याप्त चर्चा हो सके। विशेष दिनों पर इन पर बहस की जाए, जैसे सप्ताह के मध्य में, ताकि सांसदों की उपस्थिति बढ़ सके।
- **सांसदों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना :** सांसदों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना आवश्यक है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लें।
- **गैर-सरकारी विधेयकों को प्राथमिकता देना :** इन विधेयकों को संसद के एजेंडे में अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे इन पर अधिक समय और विचार-विमर्श हो सकेगा।
- **सांसदों को गैर-सरकारी विधेयकों को प्रोत्साहन देने की अत्यंत आवश्यकता :** सांसदों को अपने विधेयकों पर सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकते हैं, ताकि वे अपने मुद्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें।
- **कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय स्थापित होना आवश्यक :** सरकारी और गैर-सरकारी विधेयकों के बीच बेहतर

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

समन्वय से इन विधेयकों को संसद में अधिक अवसर मिल सकते हैं, और कामकाजी संबंध मजबूत हो सकते हैं।

- **संशोधन और सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत :** यदि एक गैर-सरकारी विधेयक अस्वीकृत होता है, तो उसे संसद में पुनः प्रस्तुत करने के लिए सुधारों के साथ पेश किया जा सकता है। इससे विधेयक को मंजूरी मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके लिए संसद में एक प्रणाली विकसित की जा सकती है, जहां अस्वीकृत विधेयकों को पुनः पेश करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं हों, जो विधेयक को सुधारने और पुनः प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें।
- **जनता को गैर-सरकारी विधेयकों की भूमिका के बारे में जागरूक करने की जरूरत :** जनता को गैर-सरकारी विधेयकों की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने प्रतिनिधियों से इन पर चर्चा करने और उनका समर्थन करने की उम्मीद करें।

निष्कर्ष :

- संसद में गैर-सरकारी विधेयकों की अस्वीकृति को कम करने के लिए समय का सही आवंटन, सांसदों की सक्रिय भागीदारी, विधेयकों की प्राथमिकता बढ़ाना और संसदीय प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इसके माध्यम से सांसदों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय और विचार व्यक्त करने का अधिक अवसर मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सकेगा।

स्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 'गैर-सरकारी विधेयक' किसे कहा जाता है?

A. वह विधेयक जो मंत्री पेश करते हैं।
B. वह विधेयक जो सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं।
C. वह विधेयक जो मंत्री नहीं होने वाले सांसद पेश करते हैं।
D. वह विधेयक जो सिर्फ चुनावी सुधार से संबंधित होते हैं।

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत की संसद में गैर-सरकारी विधेयकों का महत्त्व क्या है और उन्हें अस्वीकृत होने के मुख्य कारण क्या हैं? चर्चा कीजिए कि इन विधेयकों पर अधिक विचार-विमर्श के लिए संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में कानूनों का पुनरावलोकन : सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

खबरों में क्यों?



- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत 45 दिन की सीमा से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की।
- इस सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय-समय पर विधायी समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि कानूनों की समीक्षा करने और उनकी कमजोरियों या समस्याओं की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ तंत्र की जरूरत है।
- इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के संदर्भ में समीक्षा की प्रक्रिया को हर 20, 25 या 50 वर्ष में एक बार करने का प्रस्ताव भी रखा है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर चुनावी व्यवस्था को नियंत्रित करना है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के लिए सीटों के आवंटन का तरीका निर्धारित किया गया है।
2. यह अधिनियम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है।
3. यह मतदाताओं की योग्यता और अयोग्यता को निर्धारित करता है और मतदाता सूची तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
4. धारा 81 के तहत, चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की जानी चाहिए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. याचिका भ्रष्टाचार, अवैध प्रथाओं या चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर दायर की जा सकती है, और इसे उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए।



विधायिका द्वारा कानूनों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता :

1. **मौजूदा कानूनों की कमियों की पहचान कर नियमित समीक्षा को सुनिश्चित करना :** समय के साथ, बदलते हालात के कारण कानून अप्रासंगिक हो सकते हैं। नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून अपनी उद्देश्य पूर्ति में सक्षम हैं और यदि आवश्यक हो तो संशोधन या निरसन किया जा सके। उदाहरण के रूप में, IT अधिनियम, 2000 में साइबर अपराधों के लिए संशोधन किया गया।

2. **कानून की समाज की आवश्यकताओं के अनुसार और प्रभावी-बने रहने के प्रासंगिक होने की आवश्यकता :** समय-समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून समाज की आवश्यक्षकताओं के अनुसार और प्रभावी बने रहें। यह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित और जल्दबाजी में बने कानूनों को भी नजरअंदाज करने में मदद करती है। उदाहरण: बिहार में शराब विरोधी कानून के लागू होने से न्यायालय पर दबाव बढ़ा, और राजस्थान में गौहत्या रोकने के लिए संस्थाओं पर छापे मारने के कानून से दुरुपयोग की संभावना पर चिंता बढ़ी।

3. **अनपेक्षित परिणामों को संबोधित करना :** आवधिक समीक्षा यह पहचानने में मदद कर सकती है कि कौन से कानून बिना जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उदाब हरण: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81, 45 दिनों की सीमा के कारण वैध चुनावी विवादों में कमी हो सकती है।

4. **जवाबदेहिता में सुधार करने की आवश्यकता :** नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून अपने मूल उद्देश्य और लोकस तांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप रहें। उदाहरण के तौर पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में दुरुपयोग के आरोप लगे, जिसके कारण इसे फिर से जांचने की आवश्यकता महसूस हुई।

5. **कानूनों को वैश्विक मानकों और मानवाधिकार के अनुरूप होना :** कई लोकतांत्रिक देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जाती है कि कानून वैश्विक मानकों और मानवाधिकार के अनुरूप हों। उदाहरण: अमेरिकी पै-ट्रियट अधिनियम में गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रट ता को लेकर समय-समय पर संशोधन किया गया है।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानूनों का आवधिक संशोधन का मौजूदा प्रावधान :

- **यूनाइटेड किंगडम :** इंग्लैंड और वेल्स का विधि आयोग मौजूदा कानूनों की नियमित समीक्षा करता है। इसके सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण कानूनी सुधार हुए हैं, जैसे 1735 का जादू-टोना अधिनियम का निरस्त होना, जो पुराने कानूनों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- **ऑस्ट्रेलिया :** ऑस्ट्रेलियाई विधि सुधार आयोग भी समय-समय पर कानूनी ढांचे की समीक्षा करता है। आयोग विधायी बदलावों के लिए विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करता है, ताकि सम-कालीन मुद्दों को हल करने में कानून प्रभावी और प्रासंगिक बना रहे।

भारत में कानूनों की आवधिक समीक्षा की राह में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ :

1. **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का होना :** कभी-कभी विधायी समीक्षा राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप पक्षपाती संशोधन होते हैं जो सार्वजनिक हित की बजाय राजनीतिक या निर्वाचन संबंधी लाभ की ओर झुके होते हैं। उदाहरण स्वरूप, 2020 के कृषि कानूनों की आलोचना इस बात को लेकर की गई कि इन कानूनों ने कृषि बाजार सुधारने की बजाय कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा दिया और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया।

2. **कानूनों की समीक्षा करते समय अपनी सीमाओं का उल्लंघन करना और न्यायिक अतिक्रमण :** कभी-कभी न्यायपालिका पर यह आरोप लगता है कि वह कानूनों की समीक्षा करते समय अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती है, जिससे समीक्षा प्रक्रिी या पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भागीदारी को बढ़ाना था।

3. **कानूनी जटिलता का होना :** कई बार कानून एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, और उनमें बदलाव करने से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, या वे मौजूदा कानूनों से टकरा सकते हैं। उदाहरण के रूप में, POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित प्रावधानों के बीच विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं।

4. **सार्वजनिक भागीदारी का सीमित होना :** जब विधायी प्रक्रियाओं और कानूनी पहलुओं को लेकर जनता की समझ कम होती है,

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

तो समीक्षा प्रक्रिया का प्रभाव सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, रणबीर सिंह समिति द्वारा आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए की गई कानूनी सुधारों पर जनता की भागीदारी सीमित थी, जिससे सुधारों की व्यापकता और समावेशिता पर सवाल उठे हैं।

भारत में विधिक सुधार से संबंधित संस्थाएँ :

1. प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)
2. राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC)
3. डॉ. रणबीर सिंह के नेतृत्व में आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति (2020)
4. भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग :

1. भारत में विधि आयोग एक गैर-सांविधिक सलाहकार निकाय है, जो विधिक सुधारों पर शोध करता है और सरकार को सिफारिशें देता है।
2. इसे 1834 में चार्टर अधिनियम के तहत गठित किया गया था।
3. स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में गठित हुआ था।
4. वर्तमान में, 23वां विधि आयोग सितंबर 2024 से 2027 तक कार्य करेगा। इसका उद्देश्य अप्रचलित विधियों की समीक्षा और नए कानूनों का प्रस्ताव करना है।

आगे की राह :



1. वर्तमान में, 23वां विधि आयोग सितंबर 2024 से 2027 तक कार्य करेगा। इसका उद्देश्य अप्रचलित विधियों की समीक्षा और नए कानूनों का प्रस्ताव करना है। भारत में विधि आयोग को सशक्त बनाना : भारत में आवधिक विधायी समीक्षा के लिए समर्पित संस्थाओं की कमी है, इसलिए भारतीय विधि आयोग जैसी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता और संसाधन प्रदान करके विधिक सुधारों की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है।
2. नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना : उन्नत प्रौद्योगिकी समीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती है। सार्वजनिक परामर्श के लिए MyGov जैसे प्लेटफार्म और कानूनों की प्रभावशीलता मापने के लिए AI जैसे उपकरण नागरिकों की भागीदारी और विधि निर्माण में सुधार कर सकते हैं।
3. कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संसाधन आवंटन करने की जरूरत : सरकार को विधिक सुधारों के लिए न्यायाधीशों, सिविल सेवकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए बजट आवंटित करना चाहिए।
4. भारत को अपने कानूनों की समीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की अत्यंत जरूरत : भारत को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मामले में देखा गया, ताकि पर्यावरण और प्रौद्योगिकी प्रशासन में प्रभावशीलता बढ़ सके।
5. विधायी समीक्षा करके एक गतिशील विधिक ढाँचा बनाने की जरूरत : भारत को समय-समय पर विधायी समीक्षा करके एक गतिशील विधिक ढाँचा बनाना चाहिए, जो सामाजिक आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों को पूरा करता हो।

स्त्रोत - पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के संदर्भ में 45 दिन की सीमा के बारे में की गई टिप्पणी के संदर्भ में विचार कीजिए :

1. सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विधायी समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 की समीक्षा हर 20, 25 या 50 वर्ष में एक बार की जानी चाहिए।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि चुनावी विवादों की संख्या में वृद्धि करने के लिए धारा 81 की 45 दिन की सीमा को समाप्त कर दिया जाए।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर कानूनों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A केवल एक

B केवल दो

C केवल तीन

D उपरोक्त सभी।

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 की 45 दिनों की सीमा पर सुनवाई के संदर्भ में, विधायिका द्वारा कानूनों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता और महत्व, भारत में विधिक सुधार की मुख्य चुनौतियाँ और उनके समाधान और विधिक समीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।
(शब्द सीमा- 250 अंक - 15)

सर्वोच्च न्यायालय की चिंता : सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी का लोकतंत्र पर असर

खबरों में क्यों?



- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम, 2005) के तहत सूचना आयुक्तों (IC) की नियुक्ति में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हो रही निरंतर देरी पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी होने के कारण भारत में नागरिकों को अपने सूचना अधिकार का सही तरीके से उपयोग करने में कठिनाई होती है, साथ ही कई मामलों में सुनवाई भी लंबित रहती है।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मुख्य चिंताएँ :

1. **सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी :** भारत में वर्ष 2024 तक केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में सूचना आयुक्त (IC) के 8 पद रिक्त थे। वहीं 23,000 अपीलें लंबित हैं, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
2. **राज्यों में सूचना आयोग का निष्क्रिय होना :** भारत में कुछ राज्यों में सूचना आयोग वर्ष 2020 से निष्क्रिय हो गए हैं, जबकि कुछ राज्य RTI अधिनियम के तहत याचिकाएँ स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
3. **प्रथम अपील की प्रक्रिया :** लोक सूचना प्राधिकारियों (PIO) से असंतुष्ट नागरिक अक्सर प्रथम अपील के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी के पास जाते हैं।
4. **विभिन्न राज्यों में अधीनस्थ नियमों में भिन्नता का होना :** राज्यों में RTI अधिनियम का क्रियान्वयन अलग-अलग नियमों के कारण भिन्न होता है। वहीं कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल की कमी या पंजीकरण में असंगतता के कारण प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
5. **निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव :** सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्त अधिकांश लोग पूर्व नौकरशाह होते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अंजलि भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघ (2019) मामले में विविध पृष्ठभूमि से लोगों की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया था।
6. **सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिककरण करना :** RTI अधिनियम के तहत सरकार को सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2023 में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया, जिससे लोक प्राधिकरणों की जवाबदेही पर असर पड़ सकता है।
7. **एकतरफा संशोधन का अधिकार होना :** RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन का निर्धारण करने का एकमात्र अधिकार दिया गया, जिससे उनकी स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न उठने लगे हैं।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मुख्य तथ्य :

1. **उद्देश्य :** इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देना और पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देना है।
2. **उत्पत्ति :** भारत में RTI अधिनियम की उत्पत्ति 1980 के दशक में राजस्थान में शुरू हुए आंदोलन से हुई है, जहाँ ग्रामीणों ने जवाबदेही और अभिलेखों तक पहुँच की माँग की थी।

3. **भारत में RTI अधिनियम की धारा 8(2) के तहत प्रमुख प्रावत धान :** जब सार्वजनिक हित सूचना की गोपनीयता से अधिक महत्त्वपूर्ण हो, तब सूचना का प्रकटीकरण करना आवश्यक होता है।
4. **भारत में RTI अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रमुख प्रावधान :** भारत में RTI अधिनियम की धारा 22 को अन्य कानूनों से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है।
5. **छूट :** आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 : नौकरशाहों को आधिकारिक दस्तावेज़ों की गोपनीयता बनाए रखने की अनुमति देता है। अन्य कानूनों: जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, RTI अधिनियम के तहत सूचना को प्रतिबंध धित किया जा सकता हैं।
6. **संशोधन :** सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 : सूचना आयुक्तों का कार्यकाल अब केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, और वेतन एवं सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) क्या है ?



1. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक स्वतंत्र निकाय है, जिसे सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है।
2. इसका उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
3. केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना RTI अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक निकाय है।
4. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और आवश्यकतानुसार 10 या उससे कम केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं।
5. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

पात्रता और छूट :

- ऐसे व्यक्ति जिनका विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन में अनुभव हो।
- सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति सांसद, विधायक नहीं हो सकते और उन्हें कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए।
- उन्हें किसी राजनीतिक दल या व्यवसाय से कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए।
- पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की शक्तियाँ :

- गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों का निरीक्षण करना, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना, और जांच के लिए समन जारी करना।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का कार्य :

1. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का प्रमुख कार्य RTI अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों के सूचना अधिकार की रक्षा और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना है।
2. यह केंद्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं से जुड़ी अपीलों से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है।

समाधान की राह :



1. **नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत :** सूचना आयोगों में रिक्तियों को जल्दी भरने के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए, ताकि RTI के प्रभावी कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए।
2. **नियुक्तियों के लिए चयन मानदंडों को व्यापक बनाने की आवश्यकता :** उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए चयन मानदंडों को व्यापक बनाना चाहिए।
3. **सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित कवरेज की जरूरत :** सार्वजनिक-निजी भागीदारी

(PPP), खेल निकायों और सहकारी समितियों को RTI अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए, ताकि सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

4. **डिजिटल एकीकरण के तहत एकीकृत RTI पोर्टल को अपनाने के लिए प्रेरित किए जाने की जरूरत :** भारत के विभिन्न राज्यों में RTI आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी डाकघरों को RTI आवेदन स्वीकार करने के लिए सक्षम किया जाए। राज्यों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिज़ाइन किए गए एकीकृत RTI पोर्टल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

5. **सार्वजनिक प्राधिकरणों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की जरूरत :** सार्वजनिक प्राधिकरणों को RTI याचिकाओं को सही तरीके से संभालने के लिए अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना चाहिए।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्तों (IC) की नियुक्ति में देरी पर किस कारण गंभीर आपत्ति व्यक्त की है?

1. भारत में इससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
2. इससे भारत के विभिन्न राज्यों में कई मामलों में सुनवाई लंबित रहती है।
3. भारत में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी का नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. इससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में हो रही देरी पर व्यक्त की गई चिंता और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम, 2005) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए समाधान की दिशा में किए जाने वाले आवश्यक सुधारों को रेखांकित करते हुए RTI अधिनियम से संबंधित प्रमुख चिंताओं और इसके तहत होने वाली प्रक्रियाबओं की जटिलताओं का विश्लेषण करें।
(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विश्व हिन्दी दिवस 2025

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में 10 जनवरी 2025 को 'विश्व हिन्दी दिवस - 2025' मनाया गया।
- यह दिन हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा को विश्वभर में फैलाना और इसे एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रोत्साहित करना है।
- हिन्दी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि यह एक ऐसी भावना और एक ऐसी संपर्क भाषा है जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ती है।
- अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, हिन्दी ने विभिन्न भाषाओं से शब्द लेकर खुद को और भी समृद्ध और सरल बना लिया है।
- हिन्दी आज मीडिया (जनसंचार) और साहित्य के सृजन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है।

विश्व हिन्दी दिवस का वैश्विक उत्सव का आयोजनकर्ता :

- भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) यह सुनिश्चित करता है कि विश्व हिन्दी दिवस को दुनियाभर में मनाया जाए।

- इसके तहत भारत का विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र विविध कार्यक्रमों जैसे सांस्कृतिक आयोजनों, भाषा कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और चर्चाओं का आयोजन करता है।
- इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य हिन्दी की वैश्विक महत्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके योगदान को प्रदर्शित करना है।

विश्व हिन्दी दिवस 2025 का मुख्य विषय :

- विश्व हिन्दी दिवस 2025 का मुख्य विषय है - "वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज़ हिन्दी।"
- यह विषय हिन्दी को वैश्विक एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाने पर जोर देता है।

हिन्दी का आधिकारिक भाषा बनने का इतिहास :

1. भारत अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ संविधान के निर्माण के समय एक ऐसी भाषा की तलाश में था, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके।
2. महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने संविधान सभा की बैठक में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया था।
3. 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
4. हालांकि, संविधान ने कोई एक राष्ट्रीय भाषा स्वीकार नहीं की, लेकिन हिन्दी सहित 21 अन्य भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ।
5. सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो भारत, मॉरीशस, यूके, त्रिनिदाद और टोबैगो, अमेरिका आदि देशों में आयोजित किया गया।
6. पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
7. इसके बाद, 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाएगा।
8. तब से, भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भी इस दिन को मनाना शुरू किया और हर साल 10 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 'विश्व हिन्दी दिवस' को मनाने के माध्यम से हिन्दी का प्रचार और प्रसार वैश्विक स्तर पर किया जाता है।

विश्व हिन्दी दिवस 2025 का महत्व :

विश्व हिन्दी दिवस 2025 कई कारणों से विशेष महत्व रखता है। इस दिन के माध्यम से हिन्दी भाषा की सांस्कृतिक विरासत और उसकी वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिलता है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

1. **हिन्दी की विरासत का संरक्षण :** विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और चर्चाओं के आयोजन से हिन्दी को भावी पीढ़ियों तक संरक्षित किया जाता है।
2. **भाषाई विविधता को बढ़ावा देना :** हिन्दी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ता है, जिससे भाषाई विविधता को प्रोत्साहन मिलता है।
3. **वैश्विक संचार को बढ़ाना :** हिन्दी, भारतीय प्रवासियों और अन्य देशों जैसे नेपाल, मॉरीशस, अफ्रीका, और मध्य पूर्व में संचार का प्रमुख माध्यम बनती है।
4. **अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना :** हिन्दी साहित्य, संगीत, फिल्म और कला को बढ़ावा देने से अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया जाता है।
5. **हिन्दी सीखने को प्रोत्साहित करना :** इसके तहत आज वैश्विक स्तर पर हिन्दी सीखने में लोगों की रुचि बढ़ी है, और विश्व हिन्दी दिवस के माध्यम से गैर-देशी भाषियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है।
6. **सांस्कृतिक और संचार माध्यम के रूप में हिन्दी की भूमिका :** भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप जैसे-जैसे विश्व एक दूसरे से जुड़ रहा है, हिन्दी की भूमिका सांस्कृतिक और संचार माध्यम के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण हो रही है, जिससे विश्व हिन्दी दिवस 2025 अत्यधिक आवश्यक हो गया है।
7. **हिन्दी का सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व :** हिन्दी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि यह लाखों भारतीयों की सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान है। इसमें संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी जैसे भाषाओं से शब्दों को अपनाने की अद्वितीय क्षमता है, जिससे यह एक जीवंत और प्रगतिशील भाषा बन चुकी है।

हिन्दी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :

1. **भाषायी जड़ें :** हिन्दी इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और संस्कृत की वंशज है अर्थात यह संस्कृत से विकसित हुई है।
2. **वैश्विक पहुंच की स्थिति :** विश्व की लगभग 4.46% जनसंख्या हिन्दी बोलती है, जो इसे चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनाती है।
3. **संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होने की स्थिति :** हिन्दी को अभी तक संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन भारत इसके लिए वर्ष 2015 से लगातार प्रयास कर रहा है।

4. **लेखन प्रणाली :** हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
5. **हिन्दी की उपभाषाएँ :** हिन्दी की उपभाषाओं के अंतर्गत लगभग 16 उपभाषाएँ जैसे अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और खड़ीबोली शामिल हैं।

विश्व हिन्दी दिवस क्यों मनाया जाता है?

- विश्व हिन्दी दिवस का उद्देश्य हिन्दी भाषा के सांस्कृतिक और वैश्विक महत्व को मान्यता देना और इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है।

विश्व हिन्दी दिवस का मुख्य उद्देश्य :

1. हिन्दी वक्ताओं के योगदान को प्रदर्शित करना है।
2. हिन्दी के प्रचार - प्रसार में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।
3. अंतरराष्ट्रीय भाषायी आदान-प्रदान में हिन्दी भाषा के समावेशन को बढ़ावा देना है।
4. हिन्दी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है।

हिन्दी की वैश्विक स्थिति :

- हिन्दी आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है।
- यह भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ लगभग 43 देशों में बोली जाती है और पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है।
- हिन्दी भाषा ने हिन्दी साहित्य, बॉलीवुड के फिल्मों और भारतीय प्रवासियों के कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

निष्कर्ष :



1. विश्व हिन्दी दिवस केवल हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धरोहर और पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
2. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी भाषा केवल संवाद का एक साधन नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों और भावनाओं का संवाहक भी है।
3. हिन्दी ने सदियों से भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है और अब यह पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है।
4. विश्व हिन्दी दिवस के माध्यम से हम अपनी भाषा की महत्ता को समझने और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं।
5. यह दिन हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम अपनी भाषा को न केवल घरों तक सीमित रखें, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करें, ताकि हिन्दी का सांस्कृतिक और वैश्विक महत्व निरंतर बढ़ता रहे।
6. विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन न केवल हिन्दी भाषियों के लिए गर्व का अवसर है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो हिन्दी को अपनी भाषा मानते हैं और उसे सीखने व समझने में रुचि रखते हैं।
7. हिन्दी का प्रचार और प्रसार हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के साथ-साथ एकजुटता और विविधता के सम्मान की ओर भी प्रेरित करता है।
8. इसलिए, विश्व हिन्दी दिवस 2025 और इसके बाद के हर आयोजन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह हमें आपस में एकजुट करता है और हमें अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है।

स्त्रोत - भारत के गृह मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाईट,पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हिन्दी भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
2. हिन्दी केवल भारत में बोली जाती है।
3. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है।
4. हिन्दी की लगभग 16 उपभाषाएँ हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य / कथन सही है?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व हिन्दी दिवस के महत्व, उद्देश्य, हिन्दी भाषा की वैश्विक स्थिति और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा करें कि हिन्दी ने अन्य भाषाओं से शब्द लेकर कैसे खुद को समृद्ध किया है और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भाषा बनने में इसका क्या योगदान है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

तमिलनाडु में राष्ट्रगान विवाद : केन्द्र - राज्य संबंधों के बीच का सत्ता संतुलन

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, तमिलनाडु के राज्यपाल ने 2025 सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण शुरू करने से पहले भारत का राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने पर विरोध जताते हुए अपना अभिभाषण दिए बिना ही विधानसभा से वापस चले गए।
- तमिलनाडु विधानसभा में घटे इस घटनाक्रम से भारत में केन्द्र - राज्य संबंधों के अनुसार भारत के संघात्मक और लोकतांत्रिक शासनात्मक व्यवस्था के अनुसार राज्य विधानमंडल में अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रथाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है ?

- भारत का राष्ट्रगान "जन-गण-मन" रवींद्रनाथ ठाकुर (रवींद्रनाथ टैगोर) द्वारा 1911 में बांग्ला भाषा में लिखा गया था।
- इसे बाद में हिंदी में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
- यह गीत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चले रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के दौरान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था।
- भारत का राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था।
- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित ' वंदे मातरम ' गीत सन 1870 में लिखा गया था और सन 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास " आनंदमठ " में शामिल किया गया था।
- सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था।
- यह गीत भारत माता के प्रति श्रद्धा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रचलित हुआ था।
- भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया।

भारत में राष्ट्रगान बजाने के प्रोटोकॉल और परंपराएँ :

- **संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण :** भारत में राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले और बाद में राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रपति के मंच पर पहुंचने पर और जब वह सदन से बाहर निकलते हैं, दोनों ही बार राष्ट्रगान बजाया जाता है।
- **राज्य विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण :** भारत में विभिन्न राज्य विधानमंडलों में राष्ट्रगान बजाने की परंपराएँ राज्य के हिसाब से भिन्न - भिन्न होती हैं।
- **नागालैंड :** नागालैंड में 2021 तक राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता था, लेकिन फरवरी 2021 में इसे पहली बार बजाया गया था।
- **त्रिपुरा :** त्रिपुरा विधानसभा में राष्ट्रगान पहली बार मार्च 2018 में बजाया गया था।
- **तमिलनाडु :** यहाँ एक विशेष परंपरा है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण से पहले "तमिल थाई वझु" (राज्यगान) बजाया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है। तमिलनाडु में यह परंपरा सन 1991 में शुरू की गई थी। इससे पहले राज्यपाल केवल विधानसभा में प्रवेश करते थे, अपना अभिभाषण देते थे और ऐसी औपचारिक प्रथाओं के बिना ही चले जाते थे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के बजाने संबंधी निर्णय :

- वर्ष 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें सभी सिनेमाघरों को यह निर्देश दिया गया था कि सिनेमाघरों में फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाएं और दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य हो। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन सिनेमाघरों में किया गया। हालांकि, जनवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं रहेगा, बल्कि यह वैकल्पिक होगा।

भारत में राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए उपाय :

1. **संवैधानिक सिद्धांत :** भारतीय संविधान की धारा 51(A)(a) के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि

वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे।

2. **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (PINH) अधिनियम, 1971 :** इस अधिनियम में राष्ट्रगान का अपमान करने या इसके उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, दोषी व्यक्ति को 6 वर्षों तक संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भाग लेने से अयोग्य कर दिया जाता है।

3. **राष्ट्रगान के सम्मान में भारत के गृह मंत्रालय का निर्देश :** गृह मंत्रालय ने नागरिक और सैन्य समारोहों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन/प्रस्थान, परेड और अन्य औपचारिक आयोजनों में पूरा राष्ट्रगान बजाने के निर्देश दिए हैं।

समाधान की राह :



1. **संविधान और कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना :** भारत का राष्ट्रगान, "जन-गण-मन", देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसे सम्मानित करना भारतीय नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे संविधान और कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ ही, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से इसे नागरिकों के बीच और प्रभावी तरीके से स्थापित किया गया है।

2. **संवैधानिक प्रावधान और संविधान का पालन करने के कर्तव्य को सुनिश्चित करना :** भारतीय संविधान के धारा 51(A)(a) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रगान को लेकर किसी भी प्रकार की अवज्ञा या असम्मान की स्थिति से बचा जाए और हर भारतीय नागरिक इसके महत्व को समझे।

3. **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (PINH) अधिनियम, 1971 का पालन सुनिश्चित करना :** राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ एक कड़ा कानून है। यह अधिनियम राष्ट्रगान के अपमान पर सजा का प्रावधान करता है। अपमान करने पर तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस कानून से राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा होती है। इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे 6 साल तक के लिए चुनाव में भाग लेने से अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

4. **शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता :** भारत में राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों, सरकारी कार्यक्रमों और मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

5. **सरकारी और औपचारिक समारोहों में राष्ट्रगान बजाने का पालन सुनिश्चित करना :** सरकारी और सैन्य समारोहों में राष्ट्रगान का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन या प्रस्थान के दौरान, नागरिकों और सैनिकों को राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सलामी, परेड और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगान को बजाने का कड़ा आदेश है। ये आयोजन समाज में राष्ट्रगान की महत्ता और सम्मान को और भी अधिक बढ़ाते हैं।

6. **जनसंचार के माध्यमों के द्वारा राष्ट्रगान के महत्व पर चर्चा और जागरूकता अभियान चलाना :** मीडिया और फिल्म उद्योग राष्ट्रगान के सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों और फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलायी जाती है।

7. **राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना :** राष्ट्रगान का सम्मान केवल कानून से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी से सुनिश्चित होता है। जब नागरिक राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तो यह देश के सामूहिक गौरव को मजबूत करता है। अतः राष्ट्रगान के संदर्भ में, समाज के सभी वर्गों को अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

- भारत में राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए कानून, संवैधानिक प्रावधान, सरकारी आदेश और शिक्षा सभी मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन, यह केवल कानूनी उपायों तक सीमित नहीं रहना चाहिए; इसे समाज के हर स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। राष्ट्रगान न केवल एक गीत है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारी पहचान और हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इसके सम्मान की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है।

स्त्रोत - पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

1. भारत का राष्ट्रगान "वंदे मातरम" है।
2. "जन-गण-मन" भारत का राष्ट्रगान है।
3. "वंदे मातरम" गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था।
4. "जन-गण-मन" रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा सबसे पहले हिन्दी में लिखा गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2 और 4
D. केवल 1 और 4

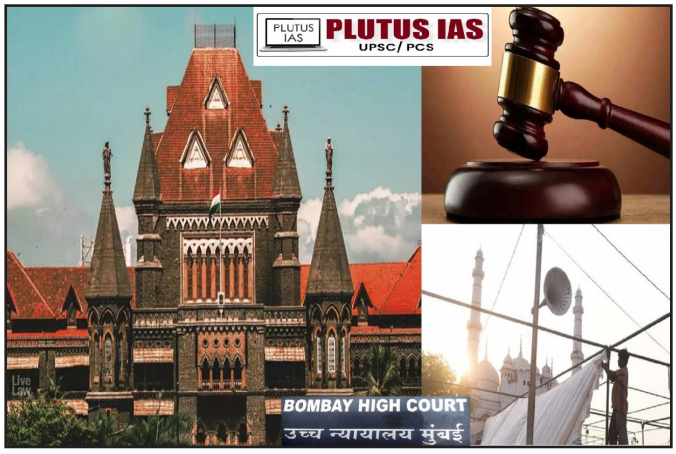
उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के महत्व, इतिहास, और इनके सम्मान की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, राज्य विधानमंडल में इसकी परंपरा और इसके सम्मान के लिए किए गए कानूनी उपायों के बारे में बताते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रगान के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में मौलिक अधिकार बनाम आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किसी धार्मिक कृत्य का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
- बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर डॉ. महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र मामले में, 2016 में, उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया गया है।
- उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं है और केवल कुछ विशिष्ट धार्मिक या सांस्कृतिक घटनाओं (जो साल में 15 दिन होती हैं) को छोड़कर, शांत क्षेत्रों में तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- तेज ध्वनि और शोर को "वायु प्रदूषक" माना जाता है, और इसे वायु (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- वायु (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम ध्वनि स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल से अधिक नहीं होने चाहिए।

भारत में मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत सहित कई देशों के संविधान में निहित है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने पसंदीदा धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसे प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (अनुच्छेद 18) और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (अनुच्छेद 18) के तहत संरक्षित है। भारत में, संविधान के अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जो नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन किसी भी धर्म को अपनाने, उसे मानने और फैलाने का अधिकार प्रदान करती है।

1. **आवश्यक धार्मिक आचरण (ERP) :** यह किसी धर्म के आवश्यक सिद्धांत से संबंधित क्रिया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया गया है। न्यायपालिका ERP का निर्धारण धर्म के सिद्धांतों के आधार पर करती है।

2. **संथारा (सल्लेखना) :** सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें संथारा को धर्म के लिए आवश्यक नहीं माना गया था, और इसे जारी रखने की अनुमति दी।

3. **तीन तलाक मामला :** सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और इसे आवश्यक इस्लामी आचरण नहीं माना, साथ ही इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन माना।

4. **धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हैं।

5. **अनुच्छेद 25 :** यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसे प्रचारित करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।

6. **अनुच्छेद 26 :** धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना, संपत्ति के स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार देता है।

7. **अनुच्छेद 27 :** किसी व्यक्ति को अपने करों से किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

8. **अनुच्छेद 28 :** राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है , जब तक कि अभिभावक की सहमति न हो।

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि इसे सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य आवश्यक सीमाओं के तहत नियंत्रित करता है।

धार्मिक स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :

1. **आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरुर मठ (1954) :** इस मामले में कोर्ट ने यह माना कि धार्मिक अनुष्ठान केवल उन प्रथाओं को शामिल करते हैं जो किसी धर्म के अभिन्न अंग हैं। इसके साथ ही, राज्य को धर्म से जुड़ी गतिविधियों को नियंह त्रित करने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल "आवश्यक" धार्मिक प्रथाओं को ही संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

2. **मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य (1958) :** इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और इसे राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3. **दरगाह समिति, अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली (1961) :** कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए जो धर्म के लिए आवश्यक हैं, न कि सभी प्रथाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए।

4. **आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता (1984) :** इसमें कोर्ट ने माना कि आनंद मार्गियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य और घातक हथियारों के साथ जुलूस निकालना धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है, और इसे सार्वजनिक व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।

5. **डॉ. एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ (1994) :** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद, मंदिर और चर्च जैसी धार्मिक संपत्तियां धार्मिक प्रथाओं के लिए आवश्यक नहीं हैं, और राज्य इन्हें अधिग्रहित कर सकता है।

6. **बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1987) :** इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि छात्रों का राष्ट्रगान गाने से मना करना धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, और इसे संविधान के तहत संरक्षित किया गया है।

7. **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) :** इस मामले में न्यायालय ने भारत में तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया और व्यक्तिभ गत कानूनों को संवैधानिक परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता जताई।

8. **सबरीमाला मंदिर मामला (2018) :** इस मामले में कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक माना और उन्हें पूजा स्थलों तक समान पहुंच का अधिकार दिया।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं :

1. धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संवैधानिक मूल्यों के हित में सीमित हो सकती है। अतः भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं विभिन्न परिस्थितियों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर तय की जाती हैं।

2. **प्रतिबंध :** धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में सीमित हो सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 25(2) राज्य को आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है।

3. **अनिवार्यता का सिद्धांत :** संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत केवल अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित करता है कि कौन सी धार्मिक प्रथाएं अनिवार्य हैं और उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा।

4. **अन्य मौलिक अधिकारों के साथ टकराव :** धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कभी-कभी अन्य मौलिक अधिकारों, जैसे समानता और जीवन के अधिकार से टकराता है। उदाहरण के तौर पर, सबरीमो-ला मंदिर मामला धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के समानता के अधिकार के बीच संतुलन का उदाहरण है।

5. **राज्य का हस्तक्षेप :** धार्मिक प्रथाओं में राज्य का हस्तक्षेप और दुरुपयोग की संभावना पर अभी भी बहस जारी है। हिजाब पहनने का अधिकार इस संदर्भ में एक प्रमुख विवाद है, जो धार्मिक अभिअ व्यक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में समानता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

6. **अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था का संतुलन :** राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डालने वाला एक प्रमुख मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और कानूनी दावों के बीच संतुलन रखते हुए विवादित भूमि पर

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, साथ ही मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का निर्णय दिया था।

समाधान / आगे की राह :



1. मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संवैधानिक दृष्टिकोण, न्यायिक व्याख्याओं और समाज की विविधता को समझना आवश्यक होना : भारत में मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संतुलन एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रताओं के टकराव को जन्म दे सकता है। इसका समाधान संवैधानिक दृष्टिकोण, न्यायिक व्याख्याओं और समाज की विविधता को समझते हुए किया जा सकता है।

2. धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता का न्यायिक निर्धारण तय करना : सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि कौन सी धार्मिक प्रथाएँ किसी धर्म के अभिन्न हिस्से के रूप में मानी जाती हैं और केवल उन्हीं को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए न्यायालय को धर्म के सिद्धांतों और समय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना होगा।

3. मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की जरूरत : न्यायालयों को मौलिक अधिकारों (जैसे समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, सबरीमाला मामले में न्यायालय ने महिलाओं के समान अधिकार की रक्षा की, जबकि धार्मिक परंपराओं में भेदभाव को अस्वीकार किया।

4. समाज में सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने की जरूरत : धार्मिक स्वतंत्रता और आचरण के बीच विवादों के समाधान में समाज में सहिष्णुता और संवाद का बढ़ावा देना जरूरी है। जब समाज में समझ और खुले संवाद की भावना होगी, तो धार्मिक विवादों का समाधान स्वाभाविक रूप से निकल सकेगा।

5. धार्मिक प्रथाओं के लिए राज्य की हस्तक्षेप की स्पष्ट सीमाओं को तय करने की जरूरत : राज्य को धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक वे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के खिलाफ न हो। धार्मिक संस्थाओं और समुदायों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन जब यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों और समाज की व्यवस्था को प्रभावित करने लगे, तब राज्य को सही समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

6. **धार्मिक शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक :** शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अभिव्यक्ति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए और उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए।

7. **न्यायालयों द्वारा संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन को रोकना :** जब भी धार्मिक आचरण और मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो, न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही निर्णय लेने चाहिए। इस प्रक्रिया में, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष : भारत में मौलिक अधिकारों और धार्मिक आचरण के बीच सही संतुलन स्थापित करने के लिए न्यायिक विवेक, संवैधानिक सिद्धांतों और समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझते हुए निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। संविधान और न्यायालय का मार्गदर्शन इस संतुलन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत - मुंबई उच्च न्यायालय का आधिकारिक वेबसाइट एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन-कौन से अनुच्छेद आते हैं ?

1. अनुच्छेद 25
2. अनुच्छेद 26
3. अनुच्छेद 27
4. अनुच्छेद 28

नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें।

A. केवल 1, 3 और 4
B. केवल 2, 3 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संतुलन स्थापित करने में क्या चुनौतियाँ हैं और न्यायालयों को इस संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के समाधान के उपायों को अपनाने की जरूरत है ? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, गैर सरकारी संगठन ' प्रथम फाउंडेशन ' द्वारा भारत के ग्रामीण इलाकों के छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन पर आधारित वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 प्रकाशित की गई है।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2024 में 605 ग्रामीण जिलों के कुल 17,997 गाँवों में किए गए व्यापक सर्वेक्षण का आंकलन किया गया है।
- वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 में 3 से 16 वर्ष की आयु के कुल 649,491 बच्चों के डेटा को शामिल किया गया है, और 5 से 16 वर्ष तक के 5 लाख से अधिक बच्चों के पढ़ाई और गणितीय, अंकगणितीय ज्ञान की क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया है।

ASER क्या है ?

1. ASER (Annual Status of Education Report) एक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित, नागरिक नेतृत्व वाली एक व्यापक घरेलू सर्वेक्षण पहल है, जो विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और उनके अधिगम के स्तर का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।
2. इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, और तब से यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रवृत्तियों और प्रमुख चुनौतियों का निरंतर अवलोकन करती आई है।
3. इस रिपोर्ट को हर वर्ष के उद्देश्य, फोकस और विस्तार के आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जाता है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा के वास्तविक हालात का सही मूल्यांकन किया जा सके।



वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) का फोकस / केंद्रित क्षेत्र :

1. नामांकन की स्थिति के आधार पर सुधारों और चुनौतियों का विम श्लेषण करना : ASER स्कूल और प्री-स्कूल के नामांकन को ट्रैक करता है, और प्रत्येक राज्य तथा आयु समूह के आधार पर सुधारों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है।
2. **अधिगम के परिणामों तथा अंकगणितीय क्षमताओं के मूल्यांकन करना :** इस वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य फोकस बच्चों की पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं के मूल्यांकन पर होता है, ताकि यह समझा जा सके कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की प्रगति कैसी है।
3. **डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना :** वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में बच्चों के स्मार्टफोन उपयोग और तकनीकी कौशलों जैसे कि अलार्म सेट करना, इंटरनेट ब्राउज़िंग, और संदेश भेजने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 का मुख्य निष्कर्ष :

1. **प्री-प्राइमरी (3-5 वर्ष) :** आंगनवाड़ी और प्रीस्कूलों में नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप, 3 वर्ष की आयु में बच्चों का नामांकन 2018 में 68.1% था, जो 2024 में बढ़कर 77.4% हो गया है।
2. **प्राथमिक शिक्षा (6-14 वर्ष) :** भारत में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत वर्ष 2022 में 98.4% था, जो अब वर्ष 2024 में 98.1% रह गया है। हालांकि सरकारी स्कूलों में नामांकन में 7.9% की गिरावट आई है।
3. **बड़े बच्चे (15-16 वर्ष) :** इस आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है, वर्ष 2018 में यह दर 13.1% थी, जो वर्ष 2024 में घटकर 7.9% हो गई है।
4. **डिजिटल साक्षरता का उपयोग :** भारत में लगभग 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन तक पहुँच है, और उनमें से अधिकांश सोशल मीडिया के लिए इसका उपयोग करते हैं।

5. **साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में वृद्धि :** भारत में 80% से अधिक स्कूलों में FLN (बुनियादी साक्षरता और अंकगणितीय कौशल) गतिविधियाँ लागू की गई हैं।

6. **शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार होना :** छात्र और शिक्षक दोनों की उपस्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा, स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय और पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार देखा गया है।

7. **भारत के स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 प्रभाव :** महामारी के बाद से शिक्षा के परिणामों में राज्य-स्तरीय भिन्नताएँ देखी गई हैं। कुछ राज्यों में कक्षा III के बच्चों के पढ़ने की क्षमता में कमी आई है, जबकि अधिकांश राज्यों में अंकगणित में सुधार हुआ है।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) का महत्त्व :

1. **भविष्य की शिक्षा का आधार प्रदान करना :** भारत में वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा भविष्य में उच्च शिक्षा और करियर जैसे पढ़ाई, लेखन, गणित और समस्या समाधान के लिए आवश्यक मूलभूत कौशल प्रदान करती है।

2. **सामाजिक कौशल का विकास को बढ़ावा देना :** यह बच्चों को सहपाठियों और शिक्षकों के साथ बेहतर संवाद, टीम वर्क और सहानुभूति जैसे सामाजिक कौशल सिखाती है।

3. **व्यक्तिगत एवं भावनात्मक आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ावा देना :** भारत में प्रारंभिक शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ावा देती है, जिससे वे अपनी क्षमता और रचनात्मकता को पहचान सकते हैं।

4. **बच्चों के सूक्ष्म और मोटर कौशल में सुधार करने में सहायक होना :** भारत के स्कूलों में आयोजित होनेवाली खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियाँ बच्चों के सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल को बेहतर बनाती हैं।

5. **नागरिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में सीखना :** स्कूलों में बच्चे स्वच्छता, नागरिक जिम्मेदारियाँ और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में सीखते हैं, जिससे वे भविष्य में जागरूक नागरिक बनते हैं।

6. **शिक्षा में निवेश से दीर्घकालिक रूप से पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव :** प्रारंभिक शिक्षा में निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

मुख्य चुनौतियाँ :

1. **अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना होना :** भारत के 14.71 लाख स्कूलों में से 1.52 लाख में बिजली की सुविधा नहीं है, जिससे प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग करने में कठिनाई होती है।

2. **शौचालयों की कमी होना :** इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 67,000 स्कूलों में, जिनमें से 46,000 सरकारी हैं, कार्यशील शौचालयों का अभाव है। दिव्यांगों के लिए शौचालय केवल 33.2% स्कूलों में उपलब्ध हैं, और उनमें से अधिकांश क्रियाशील नहीं हैं।

3. **प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच का होना :** भारत के विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूलों में केवल 43.5% के पास कंप्यूटर हैं, जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 70.9% है।

4. **छात्र - शिक्षक अनुपात में कमी होना :** भारत में लगभग 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक ही है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होता।

5. **भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन का व्याप्त होना :** भारत में जाति, वर्ग, ग्रामीण-शहरी भेदभाव और लैंगिक असमानताएँ शिक्षा की गुणवत्ता और वितरण को प्रभावित करती हैं।

6. **क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री की कमी के कारण भारत में भाषा - संबंधी समस्याओं का होना :** भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री की कमी के कारण, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता न रखने वाले बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच सीमित हो जाती है।

भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल :

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम
2. सर्व शिक्षा अभियान
3. प्रज्ञाता
4. मध्याह्न भोजन योजना
5. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
6. पीएम श्री स्कूल योजना
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

समाधान / आगे की राह :



1. **शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत :** सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **अंशकालिक शिक्षा के तहत विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाने की जरूरत :** उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए जिन्हें काम करने या घरेलू सहायता की आवश्यकता होती है।

3. **साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता अभियानों को विस्तार करने की आवश्यकता :** स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए साक्षरता अभियानों का विस्तार किया जाना चाहिए।

4. **जवाबदेही और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत :** शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए ज़िला स्कूल बोर्डों की स्थापना और स्कूल निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

5. **स्कूलों की उपलब्धता और उस तक पहुँच को सुनिश्चित करने की जरूरत :** विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाकर, 1 किलोमीटर के अंदर शिक्षा का अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6. **अभिभावकों को जागरूक एवं शिक्षित करने की जरूरत :** अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, खासकर बालिकाओं के संदर्भ में, ताकि वे शिक्षा के प्रभाव को समझ सकें।

स्त्रोत - इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 में भारत की शिक्षा व्यवस्था में कौन-सी प्रमुख चुनौती को चिन्हित किया गया है?

1. अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना।
2. शिक्षा के लिए पर्याप्त सरकारी निधि का होना।
3. छात्रों का उच्च विद्यालय में नामांकन।
4. सामाजिक विभाजन और लैंगिक असमानताएँ।

उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही उत्तर है ?

A. केवल 1 और 4
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2 और 4
D. केवल 1 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 के अनुसार, भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति, उसके प्रमुख निष्कर्ष, प्रमुख चुनौतियाँ और शिक्षा सुधार के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके समाधान के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे ? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत के नौकरशाही में लेटरल एंट्री बनाम कड़ी प्रतिस्पर्धा

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, भारत में निजी क्षेत्र के पेशेवरों को वरिष्ठ नौकरशाही में अनुबंध के आधार पर शामिल करने वाली लेटरल एंट्री योजना (LES) एक कानूनी और राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है।
- भारत के नौकरशाही के क्षेत्र में लेटरल एंट्री योजना वर्ष 2019 से लागू हुई थी और इसके तहत अब तक 63 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में वैधानिक ढाँचे की कमी और हाशिये पर स्थित समुदायों के आरक्षण अधिकारों पर चिंता जताई जा रही है।
- इस योजना से संबंधित पहला कानूनी विवाद फरवरी 2020 में उत्पन्न हुआ था , जब IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने इस योजना के प्रक्रियागत और विधिक जटिलताओं को लेकर नैनीताल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में इसे चुनौती दी थी।

नौकरशाही में लेटरल एंट्री योजना से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :

लेटरल एंट्री योजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **योजना की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठना :** इस योजना को संविधान के अनुच्छेद 309 के विपरीत बताया गया है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं को लोक सेवकों की भर्ती और उनके सेवा नियमों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत आरक्षण प्रावधानों को समाप्त करने से सामाजिक न्याय और संविधानिक सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

2. **बहुत कम समय का कार्यकाल होने के कारण शासन में स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त होना :** लेटरल एंट्री के तहत नियुक्तियों के लिए निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल बहुत कम समझा जाता है, क्योंकि यह शासन में स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है।

3. **रिक्तियों के लिए पैनल-बद्ध अधिकारियों की अधिक संख्या और सामूहिक भर्ती प्रक्रिया :** सरकार ने इसे अनुच्छेद 310 के आधार पर उचित ठहराया है, जो राष्ट्रपति को विशेषज्ञों की नियुक्ति का अधिकार देता है। हालांकि, आलोचक इस पर आपत्ति जताते हैं कि यह योजना वरिष्ठ अस्थायी पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति के लिए नहीं है। इसके साथ ही, अधिकारियों की भारी संख्या को देखते हुए इसकी वास्तविक आवश्यकता पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक पद के लिए 18 पैनलबद्ध अधिकारी नियुक्त हैं।

4. **योजना के पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना :** इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के पेशेवरों की भर्ती से सरकारी नीतियों पर उनका प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे पूर्वाग्रह और हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा, पृष्ठभूमि जांच और सतर्कता मंजूरी की सख्त प्रक्रिया की कमी से इस योजना के पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

5. **नौकरशाही के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना :** लेटरल एंट्री की संख्या में वृद्धि से मौजूदा नौकरशाहों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वे इसे बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं, जिससे पदानुक्रम और प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, और यह शत्रुता को भी बढ़ावा दे सकता है।

लेटरल एंट्री स्कीम (LES) से संबंधित प्रमुख बिंदु :



1. **लेटरल एंट्री की शुरुआत :** LES, जिसे 2018 में लागू किया गया, एक विशेष भर्ती प्रक्रिया है, जो निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को छोड़कर सीधे मध्य-स्तरीय या उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त करने की सुविधा देती है। इन्हें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा तीन साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, और इसे अधिकतम पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

2. **आरक्षण के प्रावधान से बाहर रखना :** इस योजना के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों को "एकल पद" माना जाता है, इसलिए इन्हें SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के लिए आरक्षण के कोटे से बाहर रखा गया है।

3. **भर्ती आंकड़े :** वर्ष 2018 से अब तक 63 व्यक्तियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है। इनमें से 57 अगस्त 2023 तक कार्यरत थे। हालांकि, आरक्षण संबंधी विवादों के कारण UPSC ने अगस्त 2024 में 45 वरिष्ठ पदों पर नई भर्ती पर रोक लगा दी है।

सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के लाभ :

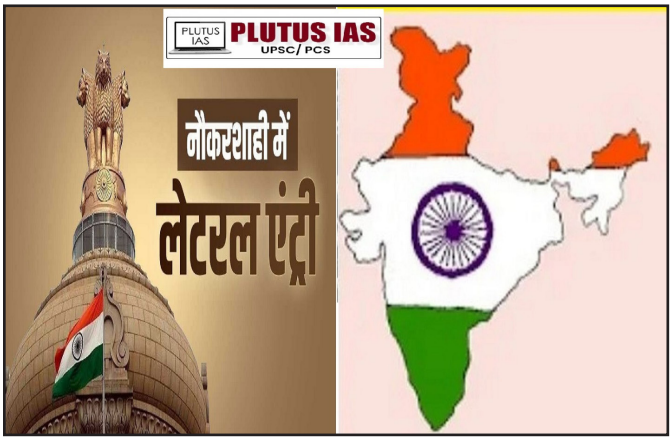
1. **विशेषज्ञ पेशेवरों की भर्ती :** लेटरल एंट्री से प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, और वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ पेशेवरों की भर्ती संभव हो पाती है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान का अभाव पूरा होता है, जिसे सामान्य सिविल सेवक नहीं कर सकते। अतः यह योजना ज्ञान की कमी को दूर करने में मदद करती है।

2. **कुशल प्रशासन :** यह योजना सरकारी एजेंसियों में दक्षता बढ़ाने और लगभग 1500 IAS अधिकारियों की कमी को पूरा करने में सहायक हो सकती है, जिससे प्रशासन में सुधार आता है।

3. **कार्य संस्कृति में सुधार :** इस योजना के तहत निजी क्षेत्र से आए पेशेवरों से सरकार के कामकाजी ढांचे में सुधार की संभावना है, जिससे अधिक गतिशील और परिणाम-उन्मुख शासन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा जो भारत में नौकरशाही की निष्क्रियता में सुधार कर सकता है।

4. **बहु-अभिकर्ता सहभागी और समावेशी शासन को बढ़ावा मिलना :** यह योजना निजी क्षेत्र और गैर-लाभकारी संस्थाओं के पेशेवरों को सरकारी कार्यों में शामिल करने की दिशा में सहायक होती है, जिससे बहु-अभिकर्ता सहयोग और सहभागी शासन की स्थिति को बढ़ावा मिलता है।

समाधान / आगे की राह :



1. **दोहरी प्रवेश प्रणाली :** भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने एक दोहरी प्रवेश प्रणाली का प्रस्ताव किया था, जिसमें 25 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लिए पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया और 37 से 42 वर्ष के आयु वर्ग के लिए मध्य-करियर पार्श्व प्रवेश की व्यवस्था शामिल थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था, संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को सरकार में लाना। इसके अतिरिक्त, युवा और गतिशील प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए संयुक्त सचिव पदों के लिए आयु सीमा में छूट देने का भी सुझाव दिया गया था।

2. **लेटरल एंट्री से आए प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करना :** निजी क्षेत्र से सरकारी पदों पर आने वाले पार्श्व प्रवेशकर्ताओं को प्रभावी रूप से सरकारी कामकाजी माहौल में समायोजित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए एक समर्पित प्रशासनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जो इन व्यक्तियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी कार्यशैली में प्रशिक्षित कर सके।

3. **शासन प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, नवाचार और क्षेत्रीय विशेषज्ञता में वृद्धि होना :** यदि IAS और IPS अधिकारियों को निजी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, तो इससे शासन प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, नवाचार और क्षेत्रीय विस शेषज्ञता में वृद्धि हो सकती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित करने में सहायक होगा, जिससे शासन की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है।

स्त्रोत - इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. लेटरल एंट्री योजना (LES) के तहत नियुक्त किए गए व्यक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है?

1. उन्हें आरक्षण के प्रावधान से बाहर रखा गया है।
2. उन्हें केवल सरकारी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है।
3. उन्हें विशेष श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC, EWS के तहत आरक्षण मिलता है।
4. उन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है और उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 4
D. केवल 2 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में निजी क्षेत्र के पेशेवरों को वरिष्ठ नौकरशाही में अनुबंध के आधार पर शामिल करने वाली लेटरल एंट्री योजना (LES) से संबंधित कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और इसके प्रभावी कार्याओ न्वयन के लिए किस प्रकार के समाधान या सुधार आवश्यकता है ? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





भारत - नेपाल के सैन्य संबंधों में नई दिशा : सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण

खबरों में क्यों ?



- भारत-नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास "सूर्य किरण" का 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है।
- यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में आयोजित होगा, जिसे नेपाली सेना द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की 334 सदस्यीय टुकड़ी नेपाल के लिए रवाना हो गई है।
- "सूर्य किरण" अभ्यास की मेज़बानी हर साल बारी-बारी से भारतीय और नेपाली सेनाओं द्वारा की जाती है।
- भारत - नेपाल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के इस अभ्यास का 17वां संस्करण 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौण रागढ़ में आयोजित हुआ था।

18वें सूर्य किरण अभ्यास के प्रतिभागी बटालियन :

- सूर्य किरण सैन्य अभ्यास एक बटालियन स्तर का अभ्यास है।
- इस अभ्यास के 18वें संस्करण में भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की 334 सदस्यीय टुकड़ी भाग ले रही है।
- यह रेजिमेंट स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट थी।
- नेपाली सेना की ओर से श्रीजंग बटालियन इस अभ्यास में भाग लेगी।

भारत - नेपाल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का उद्देश्य और विशेषताएँ :

- सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 18वें संस्करण का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और उनके पेशेवर कौशल में वृद्धि करना है।
- यह अभ्यास विशेष रूप से जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) कार्य भी किया जाएगा।
- इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं की परिचालन क्षमता और युद्ध कौशल को बढ़ाना है, ताकि वे कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक साथ काम करने में सक्षम हो सकें।

भारत - नेपाल द्विपक्षीय रक्षा संबंध की पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रासंगिकता :

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया था और उनका उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विभिन्न सैन्य अभियानों में किया गया था।
- ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित गुलाम भारत में भी ब्रिटिश सैनिक के रूप में गोरखाओं की भर्ती जारी रही।
- सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही , भारत, ब्रिटिश सरकार और नेपाली सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत ब्रिटिश भारत में सेवा दे रहे गोरखा रेजिमेंट को भारतीय और ब्रिटिश सेना में विभाजित कर दिया गया।
- स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की भर्ती जारी रही, लेकिन अग्निवीर योजना की शुरुआत के बाद नेपाल ने भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की भर्ती बंद कर दी थी। हालांकि, भारत और नेपाल के बीच आपसी सैन्य सहयोग बना रहा।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- नेपाल में लगभग 88,000 सेवानिवृत्त नेपाली नागरिक भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं।
- भारतीय और नेपाली सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हैं।
- भारतीय सेना, नेपाली सैनिकों को प्रशिक्षण देती है और नेपाल में भी भारतीय सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत है और गोरखा रेजिमेंट की परंपरा वर्मन समय में भी जारी है।
- इसके अलावा, दोनों देशों में एक विशेष परंपरा भी है, जिसमें नव नियुक्त सेना प्रमुख को दूसरे देश के राष्ट्रपति द्वारा जनरल के मानद पद से सम्मानित किया जाता है।
- हाल ही में, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा काठमांडू में नेपाली सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया।
- इसी तरह, दिसंबर 2024 में, नेपाली सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया।

उद्देश्य :

1. आतंकवाद-रोधी अभियानों, जंगल युद्ध और पर्वतीय अभियानों में दोनों सेनाओं की संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाना।
2. संयुक्त राष्ट्र (UN) के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के कार्यों में सहयोग बढ़ाना।
3. परिचालन तैयारियों, विमानन, चिकित्सा प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।

भारत - नेपाल द्विपक्षीय संबंध :

- नेपाल भारत के पाँच राज्यों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
- भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि (1950) इन देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय संबंधों की नींव और मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है। कोसी समझौता (1954, संशोधित 1966), महाकाली संधि (1996) और गंडक समझौता (1959, संशोधित 1964) प्रमुख जल-साझाकरण समझौते हैं।

संयुक्त सैन्य अभ्यास के प्रमुख लाभ :



1. **उन्नत अंतरसंचालनीयता में सहायक होना :** संयुक्त सैन्य अभ्यास सैनिकों के बीच सामरिक भाषा और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाते हैं। इससे सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल होता है, जिससे वे एक-दूसरे की कार्रवाइयों का अनुमान लगा सकते हैं और मिलकर प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं।
2. **सेनाओं के बीच आपस में सहयोगात्मक नवाचार वातावरण को बढ़ावा देना और ज्ञान का आपस में विनिमय करने में सहायक होना :** ऐसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों से दो देशों की सेनाएँ आपस में एक-दूसरे से सीखने और वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करने का अवसर पाती हैं। यह तकनीकी प्रगति और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जैसे नाटो की डिफेंडर श्रृंखला ने किया है।
3. **राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होना :** दो या दो से अधिक देशों के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास उन देशों के बीच आपसी कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए - मालाबार नौसैनिक अभ्यास ने न केवल सेनाओं की क्षमता में वृद्धि की, बल्कि यह विश्वास बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका रहा है।
4. **संरचनात्मक कमियों का पता लगाने में तथा क्षमता आकलन में सहायक होना :** संयुक्त सैन्य अभ्यासों के दौरान सेनाएँ अपनी संरचनात्मक कमियों का पता लगा सकती हैं। उदाहरण के लिए - वर्ष 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अमेरिका और उसके सहब योगियों के अभ्यास से संचार में सुधार की जरूरत का खुलासा हुआ, जिससे अमेरिकी सेना के भीतर संचार प्रोटोकॉल का एक महत्त्वपूर्ण पुनर्गठन हुआ और जिससे अमेरिकी सेना में सुधार्रा-त्मक कदम उठाए गए।
5. **सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने में तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध में निवारण के रूप में सहायक होना :** संयुक्त सैन्य अभ्यास शत्रु देशों को सैन्य तत्परता और गठबंधन की ताकत का संदेश देते हैं। जैसे - रूस-बेलारूसी अभ्यास ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए ताकत का प्रदर्शन किया। रूसी सैनिकों द्वारा किया गया यह प्रदर्शन एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में भी कार्य किया, जिसका उद्देश्य संभवतः यूक्रेन और पश्चिम के देशों की सेनाओं को को भयभीत करना था।

6. **मानवीय सहायता की तैयारी करने में सहायक होना :** कई संयुक्त अभ्यासों में नागरिकों और मीडिया की भागीदारी भी होती है, जिससे वास्तविक दुनिया की जटिलताएँ सीखी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट ने मानवीय संकटों में बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया है, और ऐसे सैन्य अभ्यासों में नागरिक सहायता संगठनों को शामिल करने से इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सैन्य अभ्यास "सूर्य किरण" के 18वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य कर्मियों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
2. यह संयुक्त युद्धकौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया गया है।
3. इस सैन्य अभ्यास के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को बढ़ावा देना है।
4. इसका आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025, नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में किया जाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 2 और 3

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत - नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और पारस्परिक विश्वास बढ़ाने में सैन्य अभ्यासों के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत - तालिबान संबंध : दक्षिण एशिया के भू-राजनीति में नया समीकरण

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक और मुलाकात ने भारत की विदेश नीति में नए बदलाव का संकेत दिया है।
- जनवरी 2025 में भारतीय विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री के बीच हुई यह मुलाकात अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और तालिबान के बीच सबसे उच्च स्तरीय वार्ता थी।
- वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने से दक्षिण एशियाई राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने इस नई परिस्थिति में मानवीय संकट और क्षेत्रीय हितों का संतुलन साधते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया, जो उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में था।

पृष्ठभूमि :

- **तालिबान का पुनरुत्थान :** वर्ष 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से सत्ता संभाली, जिससे दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस घटनाक्रम भारत सहित अन्य क्षेत्रीय देशों को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
- **भारत का संतुलित दृष्टिकोण और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए संतुलित प्रतिक्रिया देना :** भारत ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को देखते हुए सहायता प्रदान की, और साथ ही तालिबान शासन के साथ अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए संवाद बनाए रखा।

- भारत द्वारा औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देना : भारत ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, लेकिन काबुल में एक तकनीकी मिशन स्थापित कर अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। इस जुड़ाव ने भारत को अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करते हुए अपनी रणनीतिक सुरक्षा को बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है।

दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक गतिशीलता और पाकिस्तान की भूमिका :

- **दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आना :** तालिबान के सत्ता में आने से क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आया, जिससे भारत, अफगानिक्षस्तान और पाकिस्तान के संबंध प्रभावित हुए।

- **तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को तालिबान का समर्थन और पाकिस्तान :** पाकिस्तान में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को तालिबान का समर्थन प्राप्त है, जो पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बन चुका है। पाकिस्तान ने हाल ही में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है।

- **भारत की चिंता :** भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया था।

- **तालिबान और आतंकवाद के बीच का गठजोड़ :** अफगानिस्तान से संचालित 6,000 से अधिक टीटीपी लड़ाके और तालिबान का अल-कायदा के साथ संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान ने सोवियत कब्जे के दौरान तालिबान का समर्थन किया था, लेकिन आज तालिबान पाकिस्तान के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन गया है।

तालिबान के प्रति भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण :

1. **भारत द्वारा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करना :** भारत अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है, जिसमें COVID-19, पोलियो, तपेदिक के लिए दवाएं, टीके, शीतकालीन कपड़े, स्वच्छता किट और खाद्य सामग्री शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपये की मानवीय सहायता निर्धारित की गई है। मिश्री-मुत्ताकी वार्ता के बाद, भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य और शरणार्थी पुनर्वास क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सहायता देने का वादा किया है।

2. **भारत की क्षेत्रीय नीति में पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता देना :** भारत की क्षेत्रीय नीति में पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता दी गई है। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के माध्यम से सहयोग किया जाता है, जो भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान को सहायता और व्यापार पहुंचाने का एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है। यह सहयोग अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को बढ़ाता है और ईरान के साथ क्षेत्रीय मध्यस्थता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. **भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह का समर्थन किया जाना और भारत - अफगानिस्तान के बीच का आर्थिक संबंध :** भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए चाबहार बंदरगाह का समर्थन किया है, जिससे अफगानिस्तान को आर्थिक विकास करने के अनेक अवसर मिलते हैं। भारत का यह कदम अफगानिस्तान और क्षेत्र के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

4. **भारत द्वारा सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर का उपयोग करना :** भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूती प्रदान करती है। अफगानिस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता भारत के लिए युवाओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के माध्यम से। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के जरिए भारत ने 2021 से 3,000 से अधिक छात्रवृत्तियां अफगान छात्रों को दी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए हैं। इन पहलों से भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी है और अफगानिस्तान में भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव से उत्पन्न चुनौतियाँ और अवसर :

भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ :

- **क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ :** आतंकवादी समूह जैसे अल-कायदा, टीटीपी और आईएसकेपी की उपस्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बनती है, जिससे भारत के कूटनीतिक प्रयासों में कठिनाइयाँ आती हैं।

- **पाकिस्तान का प्रभाव :** पाकिस्तान द्वारा तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों को समर्थन देने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, खासकर डूरंड लाइन के मुद्दे पर। डूरंड लाइन को तालिबान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में तनाव पैदा हो रहा है।

- **तालिबान की आंतरिक नीतियाँ :** तालिबान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, मानवाधिकारों और सख्त इस्लामी कानून को लेकर विवाद बढ़े हुए हैं। इन नीतियों की वैश्विक आलोचना हो रही है, जिससे भारत के संबंधों पर असर पड़ सकता है।

भारत के लिए प्रमुख अवसर :

- **भारत के द्वारा अफगानिस्तान के साथ अपनी पारंपरिक संबंधों को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर :** अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत अफगानिस्तान के साथ अपनी परियोजनाओं और मानवीय सहायता को बढ़ाकर इन संबंधों को और मजबूत कर सकता है।

- **अफगानिस्तान में पाकिस्तान तथा चीन के प्रभाव को संतुलित करने का अवसर प्राप्त कर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देना :**

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

तालिबान के साथ जुड़कर, भारत क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान तथा चीन के प्रभाव को संतुलित करने का अवसर प्राप्त कर सकता है।

- **भारत की "एक्ट वेस्ट" नीति के विस्तार करने का अवसर :** अफगानिस्तान का भौगोलिक स्थान भारत की "एक्ट वेस्ट" नीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस नीति के तहत अफगानिस्तान को शामिल करने से भारत की मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में उपस्थिति और प्रभाव बढ़ेगा।

- **भारत द्वारा अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया जाना :** भारत ने अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसने अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इसमें शामिल प्रमुख परियोजनाएँ निम्नलिखित है -

- **सलमा बांध :** इसे अफगान-भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है, 2016 में उद्घाटित इस परियोजना से अफगानिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ती है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

- **ज़रंज-देलाराम राजमार्ग :** भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित, यह राजमार्ग अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रदान करता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना वैश्विक बाजारों के साथ अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

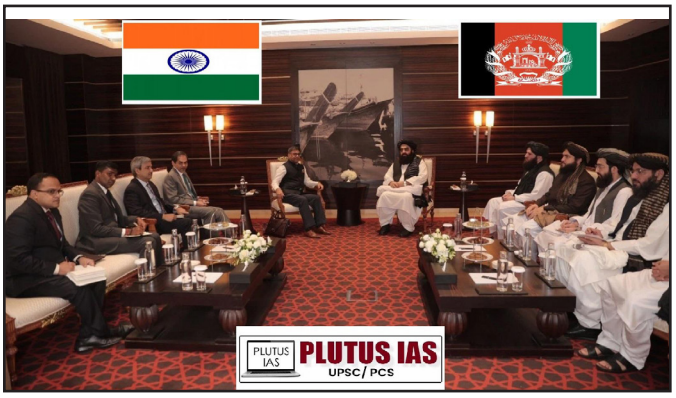
अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव क्यों महत्वपूर्ण है?

- **भारत को मध्य एशिया तक अपनी पहुँच को सुनिश्चित करना तथा भू - राजनीतिक हित :** भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बनाए रखना आवश्यक है ताकि पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला किया जा सके और मध्य एशिया तक अपनी पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके।

- **अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता से पूरे दक्षिण एशिया में अशांति फैलने का खतरा :** भारत अफगानिस्तान में स्थिरता को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इससे पूरे दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।

- **निवेशों का संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश :** भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। इन निवेशों को भविष्य में सुरक्षित रखना भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए जरूरी है।

आगे की राह :



1. **दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर वित्तीय निवेश करना :** भारत को अफगानिस्तान की दीर्घकालिक सहायता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवीय राहत जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन परिष योजनाओं का रणनीतिक मूल्यांकन करके उनका सही तरीके से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

2. **अल्पसंख्यकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक नेतृत्व को बढ़ावा देना :** भारत को अफगान नागरिक समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत द्वारा उठाया जाने वाला यह कदम अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करेगा।

3. **व्यापार पहुँच के लिए सार्क मंच का उपयोग करना :** भारत को सार्क मंच का उपयोग करके अफगानिस्तान तक व्यापार पहुँच बढ़ाने के विकल्प तलाशने चाहिए। इससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

4. **विमर्श को बढ़ावा देने पर जोर देने की आवश्यकता :** अफगानिस्तान के लोगों की चिंताओं को समझते हुए, भारत को शैक्षिक वीजा को फिर से शुरू करने के प्रयास करने चाहिए। इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते और शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।

निष्कर्ष :

1. भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव एक जटिल भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक प्रतिक्रिया के रूप में है।

2. भारत ने तालिबान को कभी भी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसकी बहुआयामी नीति – मानवीय सहायता, क्षेत्रीय साझेदारी और सांस्कृतिक कूटनीति – भारत की अफगानिस्तान के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय हितों को दर्शाती है।

3. आतंकवादी समूहों, पाकिस्तान के प्रभाव और तालिबान की विवादास्पद नीतियों के बावजूद, भारत की सक्रिय कूटनीति एक रचनात्मक जुड़ाव का ढांचा तैयार करती है।

4. भारत अफगानिस्तान के कल्याण और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने के साथ अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. अफगानिस्तान में तालिबान शासन के स्थायित्व के लिए भारत को अपनी "एक्ट वेस्ट" नीति के तहत कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय पहुँच का विस्तार करना चाहिए।

6. भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए एक संतुलित और स्थिर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव किस कारण से महत्वपूर्ण है?

1. भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बनाए रखने की आवश्यकता है।
2. अफगानिस्तान में स्थिरता से पूरे दक्षिण एशिया में शांति बनी रहती है।
3. भारत ने अफगानिस्तान में अपने निवेशों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
4. तालिबान का समर्थन भारत के लिए चीन के प्रभाव को बढ़ाने का अवसर है।

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1 और 3
D. केवल 2 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत और तालिबान के बीच के संबंधों के संदर्भ में, भारत की विदेश नीति में हुए बदलाव, अफगानिस्तान में भारत के मानवीय सहायता, क्षेत्रीय साझेदारी, और सांस्कृतिक कूटनीति के उपायों को ध्यान में रखते हुए, भारत अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को कैसे सुनिश्चित कर सकता है और तालिबान शासन के साथ अपने संबंधों को कैसे संतुलित रख सकता है? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

प्रवासी भारतीय दिवस 2025

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया।
- 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय - ' **विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान ' है।**
- यह सम्मेलन प्रत्येक दो वर्षों में 9 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रवासियों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान को प्रकाश में लाना होता है।

18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 2025 :

- भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
- इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जो भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है।
- यह ट्रेन भारत के विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही है।
- इसके अतिरिक्त, गुजरात के मांडवी और ओमान के मस्कट के बीच प्रवास करने वाले व्यक्तियों के दुर्लभ दस्तावेजों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया।
- प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत से भेजे गए गिरमिटिया मजदूरों के महत्व को भी रेखांकित किया, जिन्हें फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो और मॉरीशस जैसे देशों में काम करने के लिए भेजा गया था।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इन गिरमिटिया मजदूरों के बारे में एक विस्तृत डाटाबेस बनाने का सुझाव भी दिया गया।

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA) :

- प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA), जो प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है, इस सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण था।
- यह पुरस्कार किसी भी अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) या उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने विदेशों में भारत के उद्देश्यों का समर्थन किया और स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण की दिशा में कार्य किया है।

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) :

- प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है, महात्मा गांधी के सन 1915 ई. में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की घटना की याद में मनाया जाता है।
- प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को रेखांकित करना, भारत के बारे में विदेशों में बेहतर समझ विकसित करना और प्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ने का एक मंच प्रदान करना है।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत सन 2003 ई. में हुई थी।
- इस दिवस को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

डायस्पोरा और प्रवासी भारतीय समुदाय :

- **' डायस्पोरा '** शब्द ग्रीक शब्द **" डायस्पेरो "** से आया है, जिसका अर्थ होता है - **' प्रसार '**। भारतीय डायस्पोरा की शुरुआत गिरमिटिया मजदूरों से हुई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और इसकी पहचान को विभिन्न देशों में फैलाया। समय के साथ, प्रवासी भारतीय समुदाय कई देशों में फैला, जिससे भारतीयों का वैश्विक पहुँच और नेटवर्क अत्यधिक मजबूत हुआ।

प्रवासी भारतीय समुदाय का वर्गीकरण :

1. **अनिवासी भारतीय (NRI) :** ये वे भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में निवास करते हैं। उन्हें NRI माना जाता है यदि वे एक वर्ष में 182 दिनों से कम या पिछले चार वर्षों में 365 दिनों से कम भारत में रहे हों।
2. **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) :** यह श्रेणी उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो या वे भारतीय नागरिक के जीवनसाथी हों।
3. **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) :** यह श्रेणी उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारतीय नागरिकता के पात्र थे या किसी ऐसे क्षेत्र के निवासी थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना था।

प्रवासी भारतीयों का भौगोलिक वितरण :

प्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या विभिन्न देशों में बसी हुई है। उदाहरण के लिए -

- **USA : 5,409,062 UK : 1,864,318 संयुक्त अरब अमीरात :** 3,568,848 सऊदी अरब : 2,463,509 दक्षिण अफ्रीका : 1,700,000 कनाडा : 2,875,954 म्याँमार : 2,002,660 मलेशिया : 2,914,127 कुवैत : 995,528 ओमान : 686,635 यह आंकड़े भारतीय प्रवासियों के वैश्विक प्रभाव को दर्शाते हैं, जो भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका :



1. **समावेशी विकास और भारत के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान :** प्रवासी भारतीय अपने धन प्रेषण और निवेश के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं। वे भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और साझेदारी बढ़ाने के जरिए व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार, वे वंचित क्षेत्रों को सशक्त करने और भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए - एक अमेरिकी NRI द्वारा आविष्कृत थोरियम आधारित ईंधन ANEEL को स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में लागू किया जा रहा है।
2. **सीमापार साझेदारी, निवेश और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने में योगदान :** प्रवासी भारतीय सीमापार साझेदारी, निवेश और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए भारत के निर्यात आधार को विस्तारित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे वैश्विक व्यापार में भारत के उत्पादों और सेवाओं की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं।
3. **उभरते हुए बाजारों में व्यापारिक साझेदारियों का नेतृत्व और नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने में सहायक :** प्रवासी भारतीय उभरते हुए बाजारों में व्यापारिक साझेदारियों का नेतृत्व करते हैं, जिससे आपसी विकास के अवसर उत्पन्न होते हैं। साझा संसाधनों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत को

उच्च विकास वाले वैश्विक बाजारों में प्रवेश की गति मिलती है, जो इसके समग्र विकास में सहायक है।

4. **सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व में अहम भूमिका निभाते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायक :** प्रवासी भारतीय समुदाय पर्यावरणीय प्रयासों और जलवायु परिवर्तन की वकालत करने में सक्रिय भागीदार हो सकता है। इस तरह, वे भारत को सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का उपयोग करते हुए वे वैश्विक नीतियों को आकार देने और भारत के विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में भी सहायक हो सकते हैं।

5. **भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रचार करने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक :** प्रवासी भारतीय अपने मेज़बान देशों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रचार करते हैं, जिससे सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती आती है। उदाहरण स्वरूप - अमेरिका के विभिन्न राज्यों में दिवाली को अवकाश के रूप में घोषित करना सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख उदाहरण है।

प्रवासी भारतीयों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **सांस्कृतिक पहचान और मेज़बान समाज में एकीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना :** प्रवासी भारतीयों को अक्सर अपनी सांस्कृतिक पहचान और मेज़बान समाज के साथ एकीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाइयाँ होती हैं। इससे उन्हें अलगाव का अनुभव हो सकता है और सांस्कृतिक धरोहर की हानि हो सकती है। कई बार, विभिन्न देशों में सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर के कारण संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं।

2. **राजनीतिकरण और धार्मिक भय :** पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में हिंदू और सिख समुदायों के खिलाफ राजनीतिकरण और धार्मिक भेदभाव के बढ़ते मामले सामाजिक एकता में रुकावट डालते हैं। यह प्रवासी भारतीयों के सामाजिक समागम और एकीकरण को कठिन बनाता है।

3. **नागरिकता अधिकार और आव्रजन कानूनों की जटिलताओं का सामना करना :** प्रवासी भारतीयों को अक्सर वीज़ा स्थिति, नागरिकता अधिकार और आव्रजन कानूनों की जटिलताएँ प्रवासी भारतीयों के लिए समस्या का कारण बन सकती हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहाँ सख्त आव्रजन नीतियाँ लागू हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में H-1B वीज़ा को लेकर बढ़ती समस्याएँ भारतीय प्रवासियों के लिए नाराजगी का कारण बन रही हैं।

4. **बैंकिंग समस्याएँ और धन प्रेषण में चुनौतियों का सामना करना :** आर्थिक अस्थिरता, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और बैंकिंग समस्याएँ प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजे गए धन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उन परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो इस सहायता पर निर्भर होते हैं।

प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें :

1. NRI के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना
2. मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएँ
3. भारत को जानो कार्यक्रम
4. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड योजना
5. भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)
6. प्रवासी भारतीय केंद्र
7. प्रवासी भारतीयों का भारत विकास फाउंडेशन (IDF-OI)

इन सरकारी पहलों के माध्यम से, प्रवासी भारतीयों की स्थिति को सुधारने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

समाधान / आगे की राह :



1. **प्रवासी समुदाय के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक :** प्रवासी समुदाय के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उन्हें मेज़बान देशों में समान अवसर, भेदभाव से सुरक्षा और आव्रजन कानूनों के तहत न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो सके।

2. **कुशल और सुलभ कांसुलर सेवाओं की अत्यंत आवश्यकता :** प्रवासी समुदाय के विभिन्न कानूनी और वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए कुशल और सुलभ कांसुलर सेवाओं की आवश्यकता है। नियमित आउटरीच कार्यक्रम और काउंसलिंग सेवाएँ प्रवासी नागरिकों को अपनी मातृभूमि के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद कर सकती हैं।

3. **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की जरूरत :** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से प्रवासी और मेज़बान देशों के बीच बेहतर संवाद और समझ का निर्माण किया जा सकता है। विशेष रूप से, जहाँ सांस्कृतिक मतभेदों के कारण संघर्ष उत्पन्न होते हैं, वहाँ एक ऐसा वातावरण तैयार करना आवश्यक है जो विविधता की सराहना और सम्मान करता हो।

4. **सरल निवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने की जरूरत :** भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता और सरल निवेश प्रक्रियाओं जैसे प्रोत्साहनों की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप - सीमा-पार भुगतान में UPI जैसी प्रौद्योगिकी का विस्तार करके धन-प्रेषण की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है, जैसा कि सिंगापुर में किया गया है।

5. **कौशल विकास और ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देने की जरूरत :** प्रवासी भारतीयों और भारत के बीच प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और शिक्षा के क्षेत्रों में ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इससे भारत में कौशल विकास और नवाचार में वृद्धि होगी, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा।

निष्कर्ष :

- भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए, वर्ष 2047 के लिए एक साझा दृष्टिकोण का निर्माण करेगा, जिसमें प्रवासी समुदाय की निरंतर और संरचित भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। विकसित भारत के दृष्टिकोण में दीर्घकालिक लक्ष्यों और रोडमैप को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ - ही - साथ ही युवा प्रवासियों को भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। युवा भारतीय प्रवासियों के नवीन विचार और वैश्विक अनुभव भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन संबंधों को सशक्त बनाने से हम एक विकसित देश के साथ ही समृद्ध और समग्र भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। प्रवासी भारतीयों के सहयोग और साझा उद्देश्य के माध्यम से हम वर्ष 2047 तक एक जीवंत और विकसित भारत की दिशा में काम कर सकते हैं।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय प्रवासी एक्स-प्रेस का उद्घाटन किया गया।
2. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मलेशिया के प्रधानमंत्री को दिया गया।
3. ओडिशा सरकार द्वारा ' भारत को जानो कार्यक्रम ' प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए शुरू की गई है।
4. इस सम्मेलन में गिरमिटिया मजदूरों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 4

C. केवल 2 और 4

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्देश्य और महत्व एवं प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और भारत सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए शुरू की गई पहलों का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा करें कि प्रवासी भारतीयों के सहयोग से भारत 2047 तक किस प्रकार एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है? (शब्द सीमा- 250 अंक - 15)

भारत - पाकिस्तान और सिंधु जल समझौता : संघर्ष बनाम सहमति

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ समिति ने यह घोषणा की है कि वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर स्थित किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के डिज़ाइन से जुड़ी पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने में सक्षम हैं।
- इस समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इन परियोजनाओं से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष और पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न मतभेदों का समाधान हो सके।

सिंधु जल संधि क्या है ?

- सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT) सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी।
- इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच किया गया था।
- भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर अधिकार मिला था , जबकि जम्मू और कश्मीर से बहने वाली नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार मिला था।



वर्तमान समय में सिंधु जल संधि को लेकर विवाद का मुख्य कारण :

1. **जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति :** भारत ने अपनी सीमा पर कई जलविद्युत परियोजनाओं विशेषकर किशनगंगा और रतले की योजना बनाई है, जिससे पाकिस्तान को आपत्ति है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर तटस्थ विशेषज्ञ की जांच की मांग की है।
2. **जल का अनियोजित और असमान वितरण होना :** भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद का मुख्य कारण जल का अनियोजित और असमान वितरण है। भारत के कई जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पाकिस्तान को यह चिंता है कि यह उसके जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
3. **राजनीतिक रूप से उत्पन्न तनाव :** सन 2016 में भारत के उरी नामक जगह पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने "खून और पानी" के बहाव के बारे में बहुत ही तल्ख और कठोर टिप्पणी की थी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच के आपसी संबंधों में तनाव और बढ़ गया है।
4. **दोनों ही देशों के बीच होने वाले आपसी वार्ता में गतिरोध उत्पन्न होना :** भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है।
5. **सीमापार से पाकिस्तान द्वारा जारी आतंकवाद :** भारत ने सीमापार से जारी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के प्रभाव को भी इस संधि की समीक्षा की मांग का एक कारण बताया है।
6. **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संबंधी मुख्य मुद्दे :** भारत और पाकिस्तान के बीच के आपसी संबंधों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दे भी विवाद का एक प्रमुख कारण हैं।



भारत का पक्ष :

- भारत का मानना है कि संधि के प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- भारत ने पाकिस्तान को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
- भारत ने सिंधु जल संधि के संदर्भ में अपने रूख को दृढ़ता से बनाए रखा है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान को अपनी चिंताओं को सुलझाने के लिए संधि के ढांचे के तहत बातचीत करने की आवश्यकता है।
- भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि वह जल संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए करेगा, जबकि पाकिस्तान को जल की न्यूनतम जरूरतों का सम्मान करना चाहिए।

समाधान की राह :

- **आपसी वार्ता और संवाद से सिंधु जल संधि विवाद का समाधान करने की कोशिश करना :** भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों ही देशों को वार्ता की प्रक्रिया को पुनः शुरू करना चाहिए। यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपनी चिंताओं और आवश्यकताओं को आपस में साझा करें।
- **अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेना :** यदि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच का द्विपक्षीय बातचीत असफल

होती है, तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेना एक विकल्प हो सकता है। विश्व बैंक या अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मध्यस्थता से विवाद का समाधान हो सकता है।

- **पर्यावरणीय और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग करना :** जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों पर दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इससे जल संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग बढ़ सकता है।
- **निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए तटस्थ विशेषज्ञों की भूमिका तय करना :** पाकिस्तान के द्वारा तटस्थ विशेषज्ञों की मांग का सम्मान करते हुए, एक निष्पक्ष मूल्यांकन करना आवश्यक हो सकता है।

निष्कर्ष :



- सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसे वर्तमान समय की चुनौतियों के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को मिलकर इस संधि को बचाने और विवादों का समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
- वर्तमान विवाद दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए दोनों ही देशों के प्रमुख नेताओं को गंभीरता से इस समस्या का समाधान निकालने पर विचार करना चाहिए।
- सिंधु जल संधि के तहत जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और उपयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- सिंधु जल संधि का भविष्य भारत और पाकिस्तान के संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जुड़ा है।
- अगर दोनों देश आपसी समझदारी और आपसी संवाद को प्राथमिकता दें, तो इस 64 वर्ष पुरानी संधि को और भी मजबूत बनाया जा सकता है।
- वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा की जरूरतें इस जल संधि पर पुनर्विचार को अत्यंत आवश्यक बनाती हैं।
- अतः सिंधु जल संधि के मौजूदा विवादों को हल करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों ही देश अपने - अपने हितों को आपस में साधते हुए इस संधि को बचा सकें, जिसे कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने "विश्व की बहुत निराशाजनक तस्वीर" में "एक चमकदार बिंदु" करार दिया था।

स्त्रोत - पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सिंधु जल संधि को लागू करने के लिए किस संगठन का गठन किया गया था और इस संधि के अंतर्गत कौन-सी नदियाँ भारत और पाकिस्तान के बीच बाँटी गई हैं?

सूची I. (संगठन)	सूची II. (नदियाँ)
1. विश्व बैंक	ब्रह्मपुत्र और मेघना
2. जल शक्ति मंत्रालय	गोदावरी और कृष्णा
3. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस	गंगा, यमुना और सिंधु
4. सिंधु जल आयोग	सिंधु, झेलम और चेनाब

उपर्युक्त सूचियों में से कौन सही सुमेलित है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 3
D. केवल 4

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " सिंधु जल संधि पर लगातार उठ रही चिंताएं भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं।" इस कथन के सन्दर्भ में क्या आपको लगता है कि भारत के लिए सिंधु जल संधि के मुद्दों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें। (शब्द सीमा- 250 अंक - 15)

भारत और अमेरिका : द्विपक्षीय संबंधों में नीतिगत परिवर्तनों का असर

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पद पर बैठते ही कई कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए हैं।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी आदेशों में प्रमुख रूप से जन्मसिद्ध नागरिकता का अंत करना, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका का बाहर जाना और वैश्विक कॉर्पोरेट न्यूनतम कर (GCMT) समझौते को अस्वीकार करना शामिल है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के इन निर्णयों का प्रभाव भारत पर प्रत्यक्ष रूप से तो पड़ेगा ही, इसके साथ - ही - साथ वैश्विक जलवायु नीति और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के जीवन पर भी इसका महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा।

अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता निरसन के प्रभाव :

- अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता की दो श्रेणियाँ हैं: वंश-आधारित और जन्मस्थान-आधारित। कार्यपालक आदेश के तहत, गैर-नागरिक माता-पिता से जन्मे बच्चे अब स्वचालित रूप से नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य " बर्थ टूरिज्म " को नियंत्रित करना है, जो विशेष रूप से भारत और मैक्सिको जैसे देशों में प्रचलित है।

प्रभाव :

- **H-1B वीज़ा धारक परिवारों पर असर :** भारतीय पेशेवरों और उनके बच्चों की नागरिकता पर अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।
- **कानूनी चुनौतियाँ :** यह निर्णय अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ है, जो सभी जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। अदालत में चुनौती की संभावना।
- **आव्रजन नीतियाँ :** भारतीय नागरिक अन्य देशों जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर सकते हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :** कुशल श्रमिकों की कमी से अमेरिका के IT और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न हो सकता है।

पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी के प्रभाव :

- पेरिस समझौता 2015 में जलवायु परिवर्तन पर किया गया एक वैश्विक समझौता था, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित करना था। अमेरिका की वापसी से इस समझौता पर निम्नलिखित प्रभाव पर सकता है -
- **वैश्विक जलवायु लक्ष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ना :** अमेरिका के उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में कटौती से वैश्विक जलवायु लक्ष्य प्रभावित होंगे।
- **जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता में कमी आना और विकसित देशों द्वारा समर्थन न करना :** विकासशील देशों को जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता में कमी आ सकती है और इसके साथ - ही - साथ इसमें विकसित देशों के समर्थन में कमी आ सकती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं को समर्थन देने में कमी आना :** अमेरिका द्वारा जलवायु नीति से पीछे हटने से नवीकरणीय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं को समर्थन में कमी हो सकती है।

WHO से अमेरिका के अलग होने से उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रभाव :

अमेरिका के पीछे हटने का मुख्य कारण :

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोविड-19 महामारी पर WHO की लापरवाही, सुधारों में विफलता, और चीन के प्रति नर्म रुख को इसके पीछे के कारणों के रूप में बताया। अमेरिका ने WHO को वित्तीय योगदान में 20% हिस्सा दिया था, जो पोलियो उन्मूलन और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में अहम था।

महत्वपूर्ण प्रभाव :

1. **WHO पर असर :** अमेरिका के जाने से WHO की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी, जिससे पोलियो और महामारी के लिए किए जा रहे प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।
2. **वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों पर पड़ने वाला प्रभाव :** अमेरिका के बाहर जाने से वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों पर प्रभाव और WHO की भूमिका में कमी आएगी।
3. **अमेरिका की वैश्विक स्वास्थ्य खुफिया जानकारी पर पड़ने वाला प्रभाव :** अमेरिका की वैश्विक स्वास्थ्य खुफिया जानकारी पर असर पड़ेगा, और उसके वैश्विक स्वास्थ्य निर्णयों पर प्रभाव घट सकता है।
4. **भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर पड़ने वाला प्रभाव :** WHO से अमेरिका की विदाई से भारत जैसे देशों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में देरी हो सकती है, विशेष रूप से HIV और तपेदिक जैसी बीमारियों पर।

5. **वैश्विक दक्षिण में बदलाव और भारत को वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर मिलने की संभावना :** अमेरिका के बाहर होने से भारत जैसे देशों को अधिक वैश्विक नेतृत्व का अवसर मिल सकता है और वे विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं।

भारत उभरती अमेरिकी नीतियों के तहत सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकता है ?

- **भारत - अमेरिकी नीतियों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर समावेशी और प्रभावी कूटनीतिक रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता :** भारत को अपने अप्रवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कूटनीतिक रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिक और प्रवासी अमेरिकी नीतियों के तहत संरक्षित रहें। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर भारत अमेरिकी नीतियों में ऐसे बदलाव की वकालत कर सकता है, जो भारतीय प्रवासियों के लिए अधिक समावेशी और सहायक हों, जिससे न्यायपूर्ण और संतुलित वातो-वरण सुनिश्चित हो।

- **भारत को अपने सामरिक और कूटनीतिक हितों के लिए क्वाड सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की जरूरत :** अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन को मजबूत करने से न केवल क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि होगी, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित किया जा सकेगा, जो भारत के सामरिक और कूटनीतिक हितों के लिए फायदेमंद होगा।

- **भारत को अपने हरित परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण एवं जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने में नेतृत्व प्रदान करने आवश्यकता :** भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी भूमिका को बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन-सौर हाइब्रिड नीति जैसे कार्यक्रमों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेज़ी लानी चाहिए। यूरोपीय संघ, जापान और पेरिस समझौते के अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग करके, भारत हरित परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण सुरक्षित कर सकता है, जिससे जलवायु संकट से निपटने में मदद मिलेगी।

- **भारत को वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने की जरूरत :** भारत अपनी फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुभव का लाभ उठा सकता है, जैसा कि कोविड-19 वैक्सीन वितरण में देखा गया। अमेरिका की WHO में कम भागीदारी से उत्पन्न अंतराल को भरने के लिए, भारत अपनी विग शेषज्ञता का उपयोग कर सकता है और WHO में प्रमुख पदों पर भारतीय पेशेवरों की नियुक्ति को बढ़ावा दे सकता है। इससे वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

- **भारत को यूरोपीय संघ और BRICS के सदस्य देशों के साथ बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** अमेरिका की नीतियों के बदलाव से प्रभावित देशों (जैसे यूरोपीय संघ और BRICS सदस्य) के साथ साझेदारी स्थापित कर, भारत सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रभावी गठबंधन बना सकता है, जिससे वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव बढ़ेगा।

समाधान / आगे की राह :



1. **समावेशी और सहायक नीतियाँ बनाने के लिए कूटनीतिक उपाय अपनाने की जरूरत :** भारत को अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में बदलती नीतियों के तहत भारतीय समुदाय और पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत को वैश्विक मंचों पर सक्रिय रूप से अमेरिकी नीतियों में बदलाव के लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि समावेशी और सहायक नीतियाँ बनाई जा सकें।

2. **अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर विचार करने और द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देने की जरूरत :** भारत को व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर विचार करना चाहिए, जिससे भारतीय कंपनियाँ और उत्पाद अमेरिकी बाजार में बेहतर स्थिति में आ सकें।

3. **भारत को हरित परियोजनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन में सक्रिय नेतृत्व करने की जरूरत :** भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को तेज़ी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए। अमेरिका के बाहर होने के बावजूद, भारत को यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों के साथ हरित परियोजनाओं के लिए साझेदारी बढ़ानी चाहिए।

4. **भारत को अपनी फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर वैश्विक नेतृत्व करने की जरूरत :** भारत को अपनी फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। वैश्विक स्वास्थ्य नीति में सक्रिय रूप से भाग लेकर, विशेष रूप से WHO के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है।

5. **भारत को बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने की जरूरत :** भारत को बहुपक्षीय मंचों जैसे BRICS, G20, और संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय रहना चाहिए। इन मंचों के माध्यम से, भारत अमेरिका के बिना भी वैश्विक सहयोग और प्रभाव बढ़ा सकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- अमेरिका की बदलती नीतियाँ भारत के लिए चुनौतियाँ तो उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन यदि भारत इन परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करता है, तो वह न केवल इन नीतियों के प्रभाव से उबर सकता है, बल्कि अपनी वैश्विक भूमिका को भी मजबूत कर सकता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अमेरिका की हालिया नीतियों के बदलाव के बावजूद भारत किस प्रकार अपनी भूमिका को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर सकता है?

1. क्वाड सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देकर।
2. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण प्राप्त करके।
3. WHO में अपनी विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करके।
4. बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ाकर।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

व्याख्या : भारत को इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने की जरूरत है, ताकि वह अमेरिकी नीतियों के बदलाव के बावजूद वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

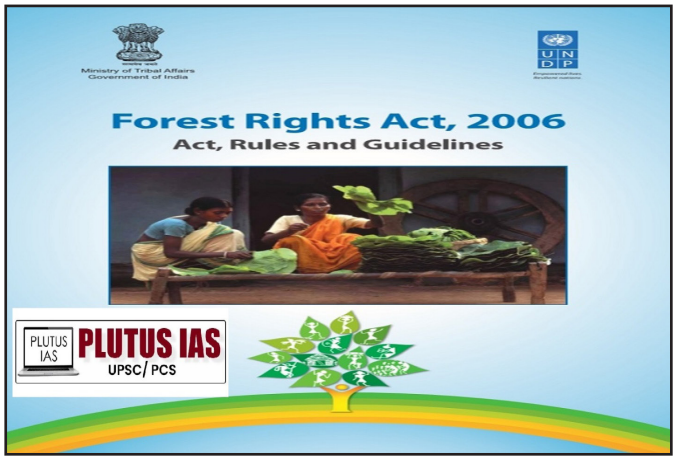
Q.1. चर्चा कीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हाल ही में किए गए कार्यकारी आदेशों से भारत - अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों के तहत भारतीय पेशेवरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और भारत इन बदलती नीतियों के तहत कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकता है ? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





वन (संरक्षण संशोधन अधिनियम) 2023 : जनजातीय मंत्रालय की पहल और प्रभाव

खबरों में क्यों ?

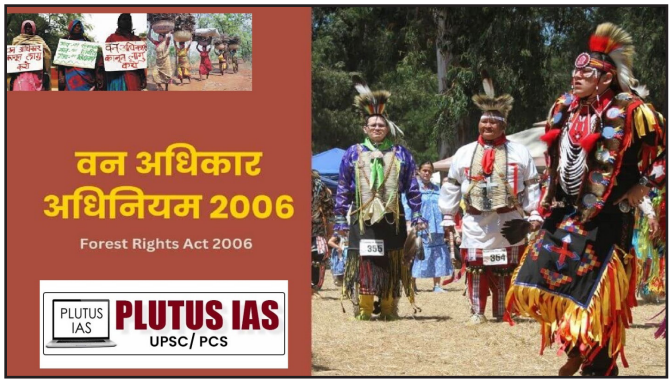


- हाल ही में, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी निर्देश से संबंधित प्रमुख प्रावधान :

- **वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना :** मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि वन में रहने वाले समुदायों को उनके अधिकारों की कानूनी मान्यता के बिना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। यह कदम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में वनवासी समुदायों से अवैध बेदखली की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
- **पुनर्वास के लिए सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होना :** वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 4(2) के अनुसार, ग्राम सभाओं से पुनर्वास के लिए स्वतंत्र और सूचित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा, कानून में उन क्षेत्रों में बसने का अधिकार भी दिया गया है, जहां पुनर्वास का प्रस्ताव है।
- **राज्यों से बाघ अभयारण्यों में स्थित आदिवासी गाँवों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होना :** मंत्रालय ने राज्यों से बाघ अभयारण्यों में स्थित आदिवासी गाँवों और उनके वन अधिकार दावों की स्थिति का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
- **विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश देना :** मंत्रालय द्वारा राज्यों को वन क्षेत्रों से बेदखली संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 क्या है ?



- यह अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को उनके वन अधिकारों की कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
- **उद्देश्य :** यह अधिनियम औपनिवेशिक काल और उसके बाद की वन प्रबंधन नीतियों द्वारा इन समुदायों के साथ किए गए अन्याय की भरपाई करने के लिए है। इसका उद्देश्य इन समुदायों को भूमि पर स्थायी अधिकार और वन संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार देकर उनके जीवन को सशक्त बनाना है।

प्रमुख प्रावधान :

- **स्वामित्व अधिकार प्रदान करना :** इसमें वनस्पति मूल के सभी गैर-काष्ठ उत्पादों पर समुदायों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया है।
- **सामुदायिक अधिकार को मान्यता देना :** इसके तहत पारंपरिक उपयोग अधिकारों को मान्यता दी जाती है।

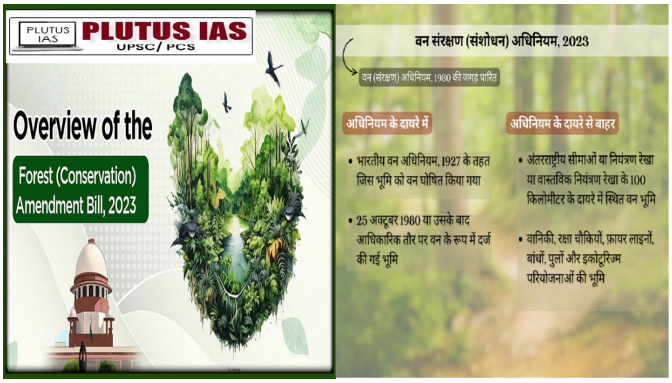
- **पर्यावास अधिकार :** इस प्रावधान के द्वारा आदिवासी समूहों को उनके पारंपरिक पर्यावासों पर अधिकार मिलते हैं।
- **सामुदायिक वन संसाधन (CFR) के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन का अधिकार देना :** इस प्रावधान के तहत यह समुदायों को पारंपरिक वन संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन का अधिकार देता है।
- **वन भूमि के उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति का अनिवार्य होना :** यह अधिनियम उन सरकारी कल्याण योजनाओं को भी समर्थन देता है, जो वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान करती हैं, बशर्ते उसमें ग्राम सभा की सहमति शामिल हो।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की राह में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ :



- **व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता का अभाव :** वन विभाग द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की स्वीकृति में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जो वन संसाधनों पर समुदायों के व्यक्तिगत नियंत्रण को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए - असम में झूम खेती के कारण अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया जटिल हो जाती है, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अधिकारों की मान्यता में प्रगति के बावजूद सामुदायिक भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग होने का खतरा बना रहता है।
- **तकनीकी समस्याओं का होना :** वनमित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और जनजातीय क्षेत्रों में कम साक्षरता की वजह से अधिकार दावों के प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, जिससे इसका प्रभावी कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता है।
- **कानून की विसंगति के कारण अस्पष्टता और परस्पर विरोधी कानून का होना :** वन अधिकार अधिनियम (FRA) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैसे अन्य कानूनों से मेल नहीं खाता। इस विसंगति के कारण अस्पष्टता उत्पन्न होती है, और कई बार अधिकारी FRA के बजाय परंपरागत वन प्रशासन को प्राथमिकता देते हैं।
- **वैध दावेदारों के लिए किसी भी प्रकार वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं होना उच्च अस्वीकृति दर का होना :** वन कानूनों के तहत कई दावों को बिना स्पष्ट कारण बताए या पुनः अपील का अवसर दिए बिना खारिज कर दिया जाता है, विशेषकर जब दस्तावेज़ों या प्रमाणों की कमी होती है। इससे वैध दावेदारों को कोई वैकल्पिक रास्ता या विकल्प नहीं मिलता है।
- **हाशिए पर स्थित समुदायों के अधिकारों का हनन होने की संभावना और ग्राम सभाओं का कमजोर प्रदर्शन का होना :** ग्राम सभाओं को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने के लिए संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी होती है। इसके अलावा, स्थानीय प्रभावशाली वर्ग का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी होना और हाशिए पर स्थित समुदायों के अधिकारों का हनन होने की संभावना रहती है।
- **विकास परियोजनाओं से जुड़ी समस्याएँ और निष्कासन की व्यवस्था का होना :** वन अधिकार अधिनियम के बावजूद, विकास परियोजनाएँ जैसे खनन, बांध और राजमार्ग आदि के कारण वनवासी समुदायों को अपने स्थलों से निष्कासित किया जाता है, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।

आगे की राह :



- **सहकारी शासन को सुनिश्चित किया जाना और प्रतिरोध का समाधान करने की जरूरत :** वन अधिकारों का दावा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए और इसके लिए वन विभागों के साथ संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, FRA के उद्देश्यों के साथ संरक्षण कार्यों को संरेखित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) जैसे जनजातीय या वनवासी संगठनों का गठन किया जाना चाहिए। भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसे पुराने कानूनों में संशोधन कर वन अधिकार अधिनियम के साथ संघर्ष को कम किया जा सकता है और सहकारी शासन को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और तकनीकी क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता :** जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना चाहिए।
- वन समुदायों और जैव विविधता की रक्षा के लिए धारणीय प्रथाओं के अधिकारों में संतुलन बनाने की आवश्यकता : बड़ी

विकास परियोजनाओं को इस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए कि वे सामुदायिक अधिकारों के साथ-साथ वन समुदायों और जैव विविधता की रक्षा के लिए धारणीय प्रथाओं को भी अपनाएं। सह-प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देकर संरक्षण और सामुदायिक सशक्तीकरण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

- **ग्राम सभाओं में निर्णय-प्रक्रिया को समावेशी बनाने की अत्यंत आवश्यकता :** ग्राम सभाओं में निर्णय-प्रक्रिया को समावेशी बनाना चाहिए, ताकि महिलाओं और निम्न जातियों जैसे हाशिये पर स्थित समूहों को लाभों तक समान पहुँच मिल सके।
- **हाशिये पर स्थित समूहों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत** : वनवासी समुदायों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके साथ ही, हाशिये पर स्थित समूहों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्रोत - पीआईबी एवं इंडियन एक्प्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल ही में, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाने का निर्देश दिया है?

1. बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार दावों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
2. वन विभाग को अधिकारों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
3. विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
4. आदिवासी समुदायों के लिए पुनर्वास योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

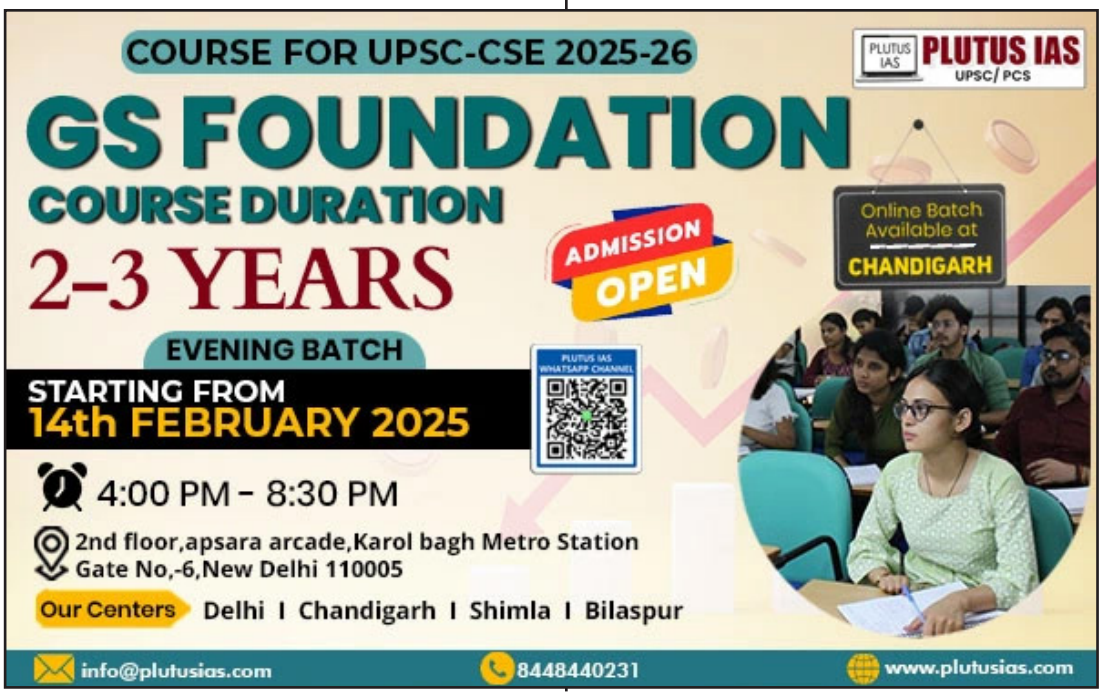
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

1. केवल 1 और 4
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. केवल 2 और 4

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं और इस कानून के कार्यान्वयन में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ है और उसके समाधान की राह क्या है? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





पेगासस स्पाइवेयर : भारत में राष्ट्रीय एवं साइबर सुरक्षा और निजता के बीच संघर्ष

खबरों में क्यों?

- हाल ही में एक अमेरिकी अदालत ने यह फैसला सुनाया कि पेगासस स्पाइवेयर ने भारत के 300 उपयोगकर्ताओं समेत 1,400 व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की निगरानी करके कंप्यूटर धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग अधिनियम, 1986 का उल्लंघन किया है।
- पेगासस स्पाइवेयर के इस दुरुपयोग ने भारत सहित दुनियाभर में विवाद उत्पन्न किया है, जिसके कारण निजता और मौलिक अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हुई हैं।

पेगासस स्पाइवेयर क्या है?



- पेगासस स्पाइवेयर को NSO ग्रुप (जो एक इज़रायली साइबर सुरक्षा कंपनी है) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह स्पाइवेयर iOS और एंड्रॉइड डिवाइसों को हैक करके उन पर निगरानी रखने, बातचीत रिकॉर्ड करने, फोटो लेने और ऐप डेटा तक पहुँचने की क्षमता रखता है।
- स्पाइवेयर एक प्रकार का खतरनाक सॉफ़्टवेयर होता है, जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना डिवाइस पर गुप्त रूप से निगरानी रखता है और जानकारी एकत्र करता है।

पेगासस स्पाइवेयर की मुख्य विशेषताएँ :

1. **उन्नत उपयोग :** पेगासस iOS डिवाइसों को दूर से जेलब्रेक करने के लिए "ज़ीरो-डे वल्नरेबिलिटी" का इस्तेमाल करता है, जबकि एंड्रॉइड डिवाइसों की निगरानी के लिए "फ्रामारूट" जैसे सॉफ़्टवेड यर का उपयोग किया जाता है।
2. **जीरो-डे वल्नरेबिलिटी :** यह एक सुरक्षा खामी है, जिसके लिए कोई सुरक्षा उपाय या पैच उपलब्ध नहीं होता।
3. **रूटिंग :** यह प्रक्रिया किसी डिवाइस को अनलॉक या जेलब्रेक करने की होती है ताकि उस पर पूरा नियंत्रण मिल सके।
4. **इनविजिबिलिटी :** पेगासस का काम गोपनीय होता है और उपयोगकर्ता को इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, जैसे कि फिशिंग लिंक पर क्लिक करने के बाद ब्राउज़र बंद होने के अलावा कुछ नहीं दिखता।
5. **पेगासस क्लाइंट और संबंधित विवाद :** NSO ग्रुप का कहना है कि पेगासस का उपयोग केवल सरकारों द्वारा किया जाता है। यह विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग आतंकवाद और अपराध को रोकने के बदले, कोई भी सरकार इसका इस्तेमाल पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और अपने आलोचकों की जासूसी के लिए भी कर सकती हैं।

भारत में पेगासस का उपयोग किस प्रकार किया गया ?



1. **पेगासस परियोजना :** एक वैश्विक जांच में यह खुलासा हुआ कि इज़रायली NSO समूह द्वारा विकसित पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके 300 से अधिक भारतीय मोबाइल नंबरों को

निशाना बनाया गया। इन नंबरों में मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, वकीलों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी मिली।

2. **एमनेस्टी इंटरनेशनल रिसर्च :** एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योस्टरिटी लैब ने पुष्टि की कि पेगासस का उपयोग 37 फोन को हैक करने के लिए किया गया, जिनमें से 10 फोन भारतीय थे।

3. **भीमा कोरेगाँव मामला :** वर्ष 2019 में पेगासस का उपयोग कथित रूप से भीमा कोरेगाँव मामले और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगरूढ़ में दलित अधिकार आंदोलनों से जुड़े वकीलों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया गया था।

4. **केंद्र सरकार द्वारा RTI आवेदन के जवाब में प्रतिक्रिया :** केंद्र सरकार ने 2013 में एक RTI आवेदन के जवाब में यह बताया कि हर महीने 7,500 से 9,000 टेलीफोन इंटरसेप्शन वारंट जारी होते हैं। हालांकि अब, ऐसी जानकारी के लिए RTI आवेदन राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा को खतरा बताते हुए अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

5. **सोशल मीडिया व्हाट्सएप का आरोप :** व्हाट्सएप ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2018 से मई 2020 के बीच, NSO समूह ने अपने सोर्स कोड को रिवर्स-इंजीनियरिंग और डीकंपाइल करके "हेवन (Heaven)", "ईडन (Eden)" और "इराइज्ड (Erised)" जैसे इंस्टॉलेशन वैक्टर विकसित किए थे। ये सभी "हमिंगबर्ड (Hummingbird)" नामक एक हैकिंग सूट का हिस्सा थे, जिसे NSO समूह ने अपने सरकारी ग्राहकों को बेचा था।

भारत में निगरानी और डेटा संरक्षण के लिए मौजूद वर्त्तमान कानूनी ढाँचा :

1. **दूरसंचार अधिनियम, 2023 :** इस अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकारों को सार्वजनिक आपात स्थितियों, आपदाओं या सुरक्षा के दौरान दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क का अस्थायी नियंत्रण लेने का अधिकार मिलता है। हालांकि, भारतीय टेलीग्राफ नियम, 2007 के तहत संचार अवरोधन के लिए सरकारी प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक है।

2. **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 :** इस अधिनियम की धारा 69 और इंटरसेप्शन नियम, 2009 के तहत सरकार को कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से किसी भी सूचना की निगरानी, अवरोधन या डिक्रिप्शन करने का अधिकार प्राप्त है।

3. **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 :** यह अधिनियम भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित एक व्यापक गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानून है, जो उपयोगकर्ता से सहमति, उसके वैध उपयोग से संबंधित , उल्लंघन, डेटा ट्रस्टी और संसाधक जिम्मेदारी से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से व्यक्तियों के डेटा अधिकारों की रक्षा करता है।

भारत में निगरानी से संबंधित चुनौतियाँ :

1. **निजता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना :** निगरानी निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करती है, जैसा कि के.एस. पुट्टस्वामी मामले (2017) में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

2. **संसदीय या न्यायिक नियंत्रण नहीं होने के कारण पारदर्शिता का अभाव होना :** निगरानी की प्रक्रिया अक्सर गुप्त रूप से की जाती है, क्योंकि संसदीय या न्यायिक नियंत्रण नहीं होता। इससे कार्यपालिका की शक्ति असंगत रूप से बढ़ जाती है, जो संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करती है।

3. **नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय तलाशने के अधिकारों का उल्लंघन होना :** इसके तहत निगरानी से प्रभावित व्यक्ति अक्सर न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपनी निगरानी के बारे में जानकारी नहीं होती। इससे अनुच्छेद 32 और 226 का उल्लंघन होता है, जो नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय तलाशने का अधिकार देता है।

4. **सुरक्षा उपायों की कमी और कार्यपालिका का अतिक्रमण करना :** इससे संवैधानिक पदाधिकारियों, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यास याधीशों की निगरानी के मामले में, कार्यपालिका का अतिक्रमण और सुरक्षा उपायों की कमी सामने आई है।

5. **असहमत होने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का दमन करना :** यह निगरानी के डर से खुली चर्चा, रचनात्मकता और असहमति पर रोक लगाता है, जबकि खुली चर्चा, रचनात्मकता और असहमति एक जीवंत लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

समाधान / आगे की राह :



- **संतुलित और संवैधानिक अधिकारों के तहत न्यायिक निगरानी की आवश्यकता :** भारत में पेगासस जैसे स्पाइवेयर के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी गतिविधियों की न्यायिक निगरानी शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालयों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि निगरानी आवश्यक,

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

संतुलित और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो।

- **उचित आनुपातिकता परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता :** साइबर सुरक्षा के तहत एक उचित आनुपातिकता परीक्षण लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगरानी का उपयोग केवल तब किया जाए जब यह अत्यंत आवश्यक हो और कम आक्रामक विकल्प समाप्त हो जाएं।
- **साइबर सुरक्षा और पेगासस जैसे स्पाइवेयर के निर्यात के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देशों की अत्यंत आवश्यकता :** वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा और पेगासस जैसे स्पाइवेयर के निर्यात के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। उपयोगकर्ताओं के डेटा की अनधिकृत निगरानी से सुरक्षा के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पेगासस स्पाइवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह iOS और एंड्रॉइड डिवाइसों को हैक करके उनका डेटा एकत्र करता है।
2. यह किसी डिवाइस को रूट या जेलब्रेक करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता।
3. इसका उपयोग केवल सरकारों द्वारा आतंकवाद और अपराध को रोकने के लिए किया जाता है।
4. इसका कार्य गोपनीय होता है, और उपयोगकर्ता को इसका कोई संकेत नहीं मिलता है।

उपर्युक्त कथनों में से पेगासस स्पाइवेयर की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

1. केवल 1 और 4
2. केवल 2 और 4
3. केवल 1 और 3
4. केवल 2 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की भूमिका के संदर्भ में, पेगासस स्पाइवेयर के दुरुपयोग से उत्पन्न निजता, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, चर्चा कीजिए कि भारत में साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति और रणनीति का उन्नत समागम : सुधार वर्ष 2025

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को बहु-क्षेत्रीय एकीकृत संचालन के लिए सक्षम बनाने और उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत तथा युद्ध की बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने हेतु वर्ष 2025 को ' सुधार वर्ष (Year of Reforms) ' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
- भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को 'प्रौद्योगिकी आत्मसात वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप में मनाने के लिए चिन्हित किए गए प्रमुख क्षेत्र :

वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप में मनाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है -

1. **एकीकृत थिएटर कमांड (ITC) की स्थापना को आसान बनाना एवं एकीकरण करना :** इसके तहत सैन्य सेवाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना और एकीकृत थिएटर कमांड (ITC) की स्थापना को आसान बनाना और अंतर-सेवा सहयोग और प्रशिक्षण से परिचालन आवश्यकताओं और संयुक्त परिचालन क्षमताओं की साझा समझ विकसित करना शामिल है। इसमें तिरुवनंतपुरम स्थित समुद्री कमान, जयपुर स्थित पाकिन स्तान-केंद्रित पश्चिमी कमान और लखनऊ स्थित चीन-केंद्रित उत्तरी कमान शामिल हैं।
2. **उभरती प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना :** रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सैन्य सेवाओं में सुधारों के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को साइबर, अंतरिक्ष,

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित करने भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का विकास करने के क्षेत्र के साथ ही रक्षा और असैन्य उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है।

3. **अधिग्रहण को सरल बनाना :** इसके तहत भारत में सामरिक विकास को तेज़ करने और उसे मजबूत करने के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाना शामिल है।

4. **भारत को रक्षा उत्पादों के विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करना :** इसके तहत भारत को रक्षा उत्पादों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में स्थापित करना और विदेशी कंपनियों के साथ अनुसंधान एवं विकास में साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। हाल ही के वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 2014 में 2,000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

5. **वयोवृद्ध की विशेषज्ञता का लाभ उठाना तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करते हुए स्वदेशी संस्कृति को बढ़ावा देना :** इस रणनीति के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को वयोवृद्धों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उनके कल्याण को सुनिश्चित करना तथा स्वदेशी क्षमताओं से वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में भारतीय संस्कृति पर गर्व और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत की रक्षा सेना की वर्तमान स्थिति :

1. **आयातक से निर्यातक :** भारत अब सबसे बड़े शस्त्र आयातक से प्रमुख रक्षा निर्यातक बन गया है। वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 210.83 बिलियन रुपए तक पहुँच गया है, और 2028-29 तक 500 बिलियन रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

2. **रक्षा अधिग्रहण में सुधार :** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) भारतीय उद्योग को प्राथमिकता देती है। इसमें भारतीय कंपनियों को प्रमुख रक्षा प्रणालियों के निर्माण में भूमिका निभानी होती है और स्वदेशी सामग्री (IC) का उपयोग 50% या उससे अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है।

3. **निजी क्षेत्र की भागीदारी :** वर्ष 2022-23 तक निजी कंपनियाँ भारत के रक्षा उत्पादन में 20% योगदान करेंगी। वडोदरा में टाटा का एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत का पहला निजी क्षेत्र का कारखाना है, जो C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा।

4. **रक्षा औद्योगिक विकास :** भारत का रक्षा उत्पादन कारोबार 2016-17 में 740.54 बिलियन रुपए से बढ़कर 2022-23 में 1,086.84 बिलियन रुपए हो गया। 2023 तक 14,000 MSME और 329 स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में शामिल होंगे।

भारतीय रक्षा बल में वर्तमान समय में सुधार की आवश्यकता क्यों है ?

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव :** राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) का अभाव रक्षा रणनीतियों को राष्ट्रीय नीतियों से जोड़ने में कठिनाई उत्पन्न करता है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से निपटने में कमी होती है।

2. **साइबर युद्ध का उदय :** साइबर युद्ध एक नया क्षेत्र बन चुका है, जिसमें राज्य प्रायोजित एजेंट और देश अपने आर्थिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसका उदाहरण यूक्रेन-रूस साइबर युद्ध है।

3. **आयात पर निर्भरता :** भारत 2019-23 में विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा है। स्वदेशीकरण की धीमी गति और घरेलू रक्षा उद्योग के निर्माण में चुनौतियाँ, आत्मनिर्भरता में रुकावट डाल रही हैं।

4. **संयुक्तता का सांस्कृतिक प्रतिरोध :** भारतीय सेना की प्रत्येक शाखा (सेना, नौसेना, वायु सेना) अपनी स्वायत्तता बनाए रखती है, जिसके कारण एकीकृत मॉडल अपनाने में कठिनाई होती है।

5. **अपर्याप्त वित्तपोषण :** भारत का रक्षा बजट GDP का केवल 1.9% है, जो रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को प्रभावित करता है। हालांकि, 2020 में FDI सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है।

6. **तदर्थ खरीद प्रक्रियाएँ :** वर्ष 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद, सेना को आपातकालीन खरीद के विशेष अधिकार मिले थे, जिससे रणनीतिक तत्परता की कमी उजागर हुई।

7. **अल्पकालिक नीति :** अग्निपथ योजना की आलोचना उसकी 6 महीने की छोटी प्रशिक्षण अवधि को लेकर की गई है, जिससे सैनिकों की युद्ध तैयारियों पर सवाल उठते हैं। 4 साल की सेवा अवधि में अनुभवी सैनिकों को खोने का जोखिम है, जो सेना की कार्य क्षमता और उसके मनोबल पर असर डाल सकता है।

रक्षा बलों में सुधार के लिए भारत की पहल :

1. **रक्षा औद्योगिक गलियारे :** रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष गलियारे बनाए गए हैं। इससे उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र को और मजबूत किया जाएगा।
2. **आयुध निर्माणी बोर्डों का निगमीकरण :** आयुध निर्माणी बोर्डों को निजी क्षेत्र की तरह काम करने के लिए निगमीकरण किया जा रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और इसे बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा।
3. **डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज :** यह पहल नवाचार और नई तकनीकों के लिए छोटे और नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करती है, ताकि रक्षा क्षेत्र में उन्नति हो सके।
4. **सृजन पोर्टल :** यह पोर्टल रक्षा उत्पादों की खरीद और आपूर्ति को तेज और सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार आएगा।
5. **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) :** iDEX का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। यह

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

कार्यक्रम भारतीय कंपनियों को नई रक्षा तकनीकों के अनुसंधान में शामिल करता है।

6. **मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति :** यह मिशन रक्षा बलों के लिए आवश्यक जानकारी और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, ताकि उनकी क्षमता को और बेहतर बनाया जा सके।

अमेरिका में गोल्डवाटर-निकोल्स सुधार :

परिचय : गोल्डवाटर-निकोल्स रक्षा पुनर्गठन अधिनियम, 1986 ने अमेरिकी रक्षा विभाग को पुनर्गठित किया। इसका उद्देश्य सैन्य प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाना था। यह सुधार वियतनाम युद्ध और ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसे मुद्दों के बाद किए गए थे।

लक्ष्य: इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभियानों को सुधारना, नागरिक नियंत्रण को मजबूत करना और रक्षा निर्णयों को बेहतर बनाना था।

प्रमुख प्रावधान :

1. राष्ट्रपति को बेहतर सैन्य सलाह देना।
2. एकीकृत लड़ाकू कमांडरों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियाँ तय करना।
3. एकीकृत कमांडरों के अधिकार और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट करना।
4. रणनीति और आकस्मिक योजना को सुधारना।
5. संसाधनों का बेहतर उपयोग करना।
6. संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाना।
7. रक्षा प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर बनाना।

आगे की राह :



1. **संस्थागत स्तर पर सुधार की अत्यंत आवश्यकता :** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) की स्थापना एक अच्छा कदम है, लेकिन इन दोनों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना ज़रूरी है। CDS को सैन्य निर्णयों में नेतृत्व करने के साथ-साथ नागरिक और सैन्य के बीच अंतर को कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

2. **उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरुरत :** स्वायत्त प्रणालियों, साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को चीन या पाकिस्तान के साथ संघर्षों में तकनीकी बढ़त मिल सकती है। ड्रोन का उपयोग खुफिया जानकारी, निगरानी और सटीक हमलों के लिए बढ़ाना परिचालन में सुधार करेगा।

3. **घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना :** भारत को घरेलू रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी और विदेशी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। संसाधनों के कुशल उपयोग को प्राथमिकता देते हुए, उन्नत प्रौद्योगिकियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. **रक्षा सहयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता :** भारत-अमेरिका iCET जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना, भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत कर सकता है।

5. **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (NDU) की स्थापना पर ध्यान देने की आवश्यकता :** भारत को रणनीतिक विचारकों और योजनाकारों के मजबूत समूह को तैयार करने के लिए, रक्षा रणनीतियों, नीतियों और प्रौद्योगिकियों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए NDU की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वर्ष 2025 को "सुधार वर्ष" के रूप में मनाने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं?

1. एकीकृत थिएटर कमांड (ITC) की स्थापना।
2. साइबर युद्ध में विशेषज्ञता बढ़ाना।
3. रक्षा उत्पादों के विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की पहचान बनाना।
4. संयुक्त सैन्य अभियानों को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप में मनाने के निर्णय की आवश्यकता और भारतीय रक्षा बलों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अमेरिका

के गोल्डवाटर-निकोल्स सुधार और भारत में ऐसे सुधारों की संभावनाओं पर विचार करें। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत के अंतरिक्ष मिशनों की नई उड़ान : इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड (Third Launch Pad – TLP) की स्थापना करने के लिए स्वीकृति दे दी है।
- इस तीसरे लॉन्च पैड की क्षमता ऐसी होगी कि यह निम्न भू कक्षा में 30,000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यानों को प्रक्षिप्त कर सकेगा।
- इसे विशेष रूप से NGLV, अर्ध-क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM3 यानों और स्केल-अप NGLV विन्यासों को सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है।

भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली की वर्तमान स्थिति :

1. **लॉन्च पैड्स पर निर्भरता :** वर्तमान में, भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली मुख्यतः दो प्रमुख लॉन्च पैड्स पर ही निर्भर करती है।
2. **प्रथम लॉन्च पैड (FLP) :** इसे लगभग 30 वर्ष पहले PSLV के लिए स्थापित किया गया था और यह PSLV एवं SSLV को लॉन्च करने में सहायक है।
3. **द्वितीय लॉन्च पैड (SLP) :** यह विशेष रूप से GSLV और LVM3 के लिए निर्मित किया गया था, लेकिन इसको PSLV के लिए वैकल्पिक समर्थन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
4. **SLP की परिचालन क्षमता :** यह पैड पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है और इसी लॉन्च पैड पर ही चंद्रयान-3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके साथ - ही - साथ, भारत की आगामी गगनयान मिशन को प्रमोचन करने की तैयारियाँ भी इसी लॉन्च पैड से की जा रही हैं।

सतीश धवन का परिचय :

- सतीश धवन, जो श्रीनगर में जन्मे थे, भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक थे और उन्हें ' प्रायोगिक द्रव गतिकी के जनक (Father of Experimental Fluid Dynamics) ' के रूप में भी जाना जाता है।
- सन 1972 ई. में उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्था9पक विक्रम साराभाई के बाद इसरो के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी।
- उनके मार्गदर्शन में इसरो ने INSAT, IRS और PSLV जैसी प्रमुख प्रणालियाँ स्थापित कीं, जिससे भारत का स्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) :

- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच एक द्वीप पर स्थित है।
- यह इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह एवं प्रक्षेपण यान मिशनों हेतु विश्वस्तरीय प्रक्षेपण सुविधाएँ प्रदान करता है।
- **नाम परिवर्तन :** SHAR जिसे पहले (श्रीहरिकोटा रेंज) के नाम से जाना जाता था, इसका नाम 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रो. सतीश धवन के सम्मान में बदल दिया गया।
- **प्रारंभिक परिचालन :** SDSC SHAR ने 9 अक्टूबर, 1971 को अपना पहला मिशन ' **रोहिणी-125** ' साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करके संचालन की शुरुआत की थी।
- **प्रक्षेपण स्थल चयन :** इस स्थान का चयन 1960 के दशक में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में किया गया था।

तीसरे लॉन्च पैड (TLP) का परिचय :

- **उद्देश्य :** TLP का मुख्य उद्देश्य श्रीहरिकोटा में एक उन्नत लॉन्च अवसंरचना स्थापित करना है, जो ISRO के आगामी उन्नत प्रक्षेपण वाहनों (NGLV) को समर्थन प्रदान करेगा।
- **भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए अतिरिक्त लॉन्च क्षमता प्रदान करने में सहायक :** यह पैड दूसरा लॉन्च पैड के बैकअप के रूप में कार्य करेगा और भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए अतिरिक्त लॉन्च क्षमता प्रदान करेगा।

श्रीहरिकोटा को प्रक्षेपण स्थल के रूप में चुनने का मुख्य कारण :

1. **पूर्वी तट पर अवस्थिति :** श्रीहरिकोटा का पूर्वी तट पर स्थित होना रॉकेटों को पूर्व दिशा में प्रक्षेपित करने के लिए आदर्श बनाता है। इससे पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठाकर रॉकेट को अतिरिक्त वेग

प्राप्त होता है, जिससे प्रक्षेपण में लगभग 450 मीटर/सेकंड की वृद्धि होती है, जो पेलोड की क्षमता को बढ़ाता है।

2. **भूमध्य रेखा के निकट होना :** भूस्थिर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए यह स्थल उपयुक्त है, क्योंकि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के निकट होने से प्रक्षेपण और अधिक कुशल बनता है। प्रक्षेपण स्थल का भूमध्य रेखा के करीब होना, प्रक्षेपण की गति और क्षमता को बेहतर बनाता है।

3. **निर्जन क्षेत्र और समुद्र के पास स्थित होना :** श्रीहरिकोटा का स्थान समुद्र के निकट और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में होने के कारण रॉकेट के गिरने के बाद सुरक्षित रूप से समुद्र में गिरने की संभावना रहती है। इससे उड़ान के दौरान किसी भी दुर्घटना के खतरे से बचाव होता है, क्योंकि रॉकेट के अलग हुए हिस्से महासागर में गिरते हैं, जो श्रीहरिकोटा नामक जगह पर न केवल सुरक्षित है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी जोखिम मुक्त है।

इसरो के तीसरे लॉन्च पैड कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति :

1. **सार्वभौमिक डिज़ाइन :** TLP को विभिन्न वाहन विन्यासों का समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें NGLV, LVM3 के सेमिक्रायोजेनिक स्टेज और NGLV के उन्नत संस्करण शामिल हैं।

2. **परियोजना में उद्योग की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना :** इस परियोजना में इसरो के पिछले अनुभवों का उपयोग करते हुए उद्योग को अधिकतम सहयोग दिया जाएगा।

3. **मौजूदा सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करना :** TLP मौजूदा लॉन्च कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठाएगा।

4. **परियोजाना को पूरा करने की समय सीमा :** इस परियोजना को 4 वर्षों या (48 महीनों) में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

5. **परियोजना की लागत और वित्तीय संसाधनों की पूर्ति :** इसरो के इस महत्वकांक्षी परियोजना के लिए ₹3,984.86 करोड़ की लागत का अनुमान है, जिसमें लॉन्च पैड और अन्य संबंधित सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है।

6. **लाभार्थियों की संख्या :** यह परियोजना उच्च प्रक्षेपण आवृत्तियों को सक्षम करके तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष खोज अभियानों को शुरू करने की राष्ट्रीय क्षमता को सक्षम करके भारतीय अंतरिक्ष इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी।

इसरो के तीसरे लॉन्च पैड कार्यक्रम का महत्व और भविष्य की कार्यनीति :

1. यह भारत की लॉन्च क्षमता को बढ़ाकर अधिक बार और अधिक प्रभावशाली मिशनों के लिए तैयार करेगा।
2. यह मानव अंतरिक्ष उड़ान और उन्नत अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा।
3. भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रौद्योगिकी विकास में तेजी आएगी।
4. भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में, जैसे कि 2040 तक चंद्रमा पर मानव लैंडिंग और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना, भारी प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता होगी, जिन्हें मौजूदा लॉन्च पैडों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है।
5. 2024 में वाणिज्यिक और छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ISRO के दूसरे रॉकेट लॉन्चपोर्ट की नींव रखी जाएगी, जो तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में स्थित होगा, और इससे श्रीलंका के ऊपर डॉगलेग पैंतरेबाज़ी से बचने में मदद मिलेगी।

आगे की राह :



- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र और उन्नत अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है, और श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह कदम आगामी अंतरिक्ष अभियानों को तेज़ी से प्रक्षिप्त करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान और उन्नत अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की सफलता और गति में और अधिक वृद्धि करेगा।

स्रोत - पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इसरो के तीसरे लॉन्च पैड (TLP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसरो के तीसरे लॉन्च पैड (TLP) को भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए अतिरिक्त लॉन्च क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. TLP केवल PSLV और GSLV वाहनों के लिए बनाए गए हैं।
3. तीसरे लॉन्च पैड (TLP) का निर्माण 10 वर्षों में पूरा होने का अनुमान है।
4. यह लॉन्च पैड NGLV, अर्ध-क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM3 यानों और उनके उन्नत संस्करणों का समर्थन करेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 2 और 4

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इसरो के तीसरे लॉन्च पैड (TLP) के मुख्य उद्देश्य, इसकी विशेषताएँ, कार्यान्वयन रणनीति और संभावित लागत को रेखांकित करते हुए, यह चर्चा कीजिए कि इस परियोजना का भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य के मिशनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 2025 के लिए वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की है।
- इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, पुराने तकनीकी ढाँचों और साइबर सुरक्षा में आवश्यक कौशल की कमी के कारण महत्वपूर्ण ढाँचों को बढ़ते साइबर खतरों से होने वाले जोखिमों पर चिंता जताई गई है।
- इसके साथ - ही - साथ ही, साइबर खतरों से होने वाले जोखिमों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और इसके ढाँचों की लचीलापन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

क्या है विश्व आर्थिक मंच (WEF) ?



- विश्व आर्थिक मंच एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है।
- इस मंच पर वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं।
- **मुख्यालय :** इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। **स्थापना :** इस संगठन की स्थापना वर्ष 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी, और इसका प्रारंभिक नाम "यूरोपीय प्रबंधन मंच" था।

ग्लोबल साइबर सिक्यूरिटी इंडेक्स (GCI) :

- यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें देशों की साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है।
- भारत ने GCI 2024 के पांचवें संस्करण में ' टियर 1 ' श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है, जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में उल्लिखित प्रमुख मुद्दे :



1. **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुभेद्यता :** जल, जैव सुरक्षा, संचार,

ऊर्जा और जलवायु जैसे क्षेत्र पुराने तकनीकी ढाँचों और आपसी निर्भरता के कारण साइबर हमलों से प्रभावित हो सकते हैं। साइबर अपराधी और राज्य अभिकर्त्ता इन क्षेत्रों में परिचालन प्रौद्योगिकी को लक्षित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक डेटा प्रवाह में खतरे उत्पन्न हो रहे हैं।

2. **भू-राजनीतिक तनाव :** रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों ने ऊर्जा, दूरसंचार और जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर और भौतिक हमलों को बढ़ा दिया है। लगभग 60% संगठनों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनावों के कारण उनकी साइबर सुरक्षा रणनीतियाँ प्रभावित हुई हैं।

3. **जैव सुरक्षा संबंधी खतरे :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने जैव सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा दिया है। जैव प्रयोगशालाओं पर साइबर हमलों से अनुसंधान और सुरक्षा प्रोटोकॉल को खतरा हो सकता है। WHO ने इस मुद्दे पर चेतावनी दी है, जैसा कि 2024 में दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में हुए हमलों से स्पष्ट हुआ है।

4. **साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल का बढ़ना :** इस रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा कौशल में बड़े अंतराल को उजागर किया गया है। वर्तमान में दुनिया भर में 4.8 मिलियन पेशेवरों को आवश्यक योग्यताओं की कमी है। दो-तिहाई संगठनों को इस कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से केवल 14% के पास वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य के लिए योग्य कार्मिक हैं।

5. **क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा असमानताएँ :** इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों के बीच साइबर सुरक्षा में असमानताओं को उजागर किया गया है। उदाहरण स्वरूप, यूरोप/उत्तरी अमेरिका में 15% से बढ़कर अफ्रीका में 36% और लैटिन अमेरिका में 42% तक साइबर हमलों के प्रति प्रतिक्रिया में देरी हो रही है।

6. **साइबर अपराध का बढ़ता खतरा :** साइबर अपराध अब एक सुरक्षित और आकर्षक व्यापार बन चुका है, जिसमें कम परिचालन खर्च और उच्च लाभ की संभावना है। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (FBI) का अनुमान है कि 2023 में साइबर अपराध से होने वाली वित्तीय हानि 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है।

समाधान / आगे की राह :

1. **साइबर सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से निवेश को प्राथमिकता देने अत्यंत जरूरत :** वर्ष 2025 के वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य में, सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे पुरानी प्रणालियों को उन्नत करें और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे जल, ऊर्जा व जैव सुरक्षा की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाएं। वर्ष 2022 में कोस्टा रिका पर हुए साइबर हमले ने यह स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा को केवल एक खर्च के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ साइबर सुरक्षा में निवेश को संतुलित करना बेहद आवश्यक है।

2. **साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की जरूरत :** साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग आवश्यक है, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना और सुरक्षित प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना शामिल है। SMEs को सरकार से मजबूत प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे भी साइबर सुरक्षा में निवेश कर सकें।

3. **उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और कार्यबल विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** नए साइबर खतरों से निपटने के लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और कार्यबल विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

4. **साइबर खतरों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और संकट प्रबंधन ढाँचों का विकास करना आवश्यक :** साइबर खतरों से निपटने के लिए रोकथाम के बजाय लचीलापन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और संकट प्रबंधन ढाँचों का विकास करना आवश्यक है।

5. **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग की जरूरत :** वर्तमान समय में साइबर खतरों से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र और G-20 जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग करना चाहिए और विकसित देशों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए।

6. **भारत में साइबर सुरक्षा के लिए संस्थागत ढाँचों की स्थापना करने की आवश्यकता :** भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए कई विधायी उपायों और संस्थागत ढाँचों की स्थापना की है, जैसे IT अधिनियम, CERT-In, NCIIPC, और I4C। इसके साथ ही, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और क्षेत्र-विशिष्ट विनियम जैसे सेबी द्वारा अनिवार्य साइबर सुरक्षा ढाँचों को लागू किया गया है।

निष्कर्ष :



- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में बढ़ते साइबर खतरों और रणनीतिक निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रों को महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा

और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। वैश्विक स्तर पर जैसे-जैसे साइबर खतरे जटिल होते जा रहे हैं, देशों को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अपने महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों की रक्षा और उसकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

स्त्रोत - इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. साइबर सुरक्षा को केवल एक खर्च के रूप में देखा जाना चाहिए।
2. साइबर सुरक्षा में रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
3. साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल में कमी नहीं हो रही है।
4. इसमें सार्वजनिक-निजी सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में जिन प्रमुख मुद्दों पर चिंता जताई गई है, उन्हें रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है?
(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





MSP की वैधानिकता : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और चुनौतियाँ

खबरों में क्यों ?



- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार की आलोचना की है, क्योंकि उसने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत नहीं की और उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए विधिक गारंटी की मांग करने वाली नई याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए किसानों की मांगों पर विचार करने की अपील की है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए विधिक गारंटी की मांग करने वाला यह मामला पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसान समूहों द्वारा चलाए जा रहे लंबे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी से संबंधित याचिका :

- यह याचिका वर्ष 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए वादों के आधार पर दायर की गई थी, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद फसलों पर MSP की विधिक गारंटी की मांग की गई।
- इस याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि किसानों की आय को स्थिर करने के लिए MSP को कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकृत किया जाए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण :

- सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मुद्दे पर कोई सीधा आदेश नहीं दियाहै , लेकिन इसे हल करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का सुझाव दिया और केंद्र सरकार से त्वरित रूप से जवाब देने को कहा है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी से किसानों के विरोध प्रदर्शनों को कानूनी समर्थन मिला है और इस मुद्दे के विधिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का कारण :



- किसानों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 1991 के आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण से हुई है , जब कृषि की तुलना में औद्योगिकीकरण को अधिक महत्व दिया गया।
- कृषि की तुलना में औद्योगिकीकरण को अधिक महत्व देने से ग्रामीण क्षेत्रों में संकट बढ़ा, क्योंकि किसान कम फसल लाभ और बढ़ती लागत का सामना कर रहे थे।
- फसलों के दामों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन केवल कुछ प्रमुख फसलों तक ही सीमित है, जिससे किसानों को अक्सर अपनी फसलें उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संदर्भ में WTO के समझौतों के कारण भारत को व्यापार प्रतिबंध लगाने और किसानों को

सब्सिडी देने में समस्याएं आ रही हैं।

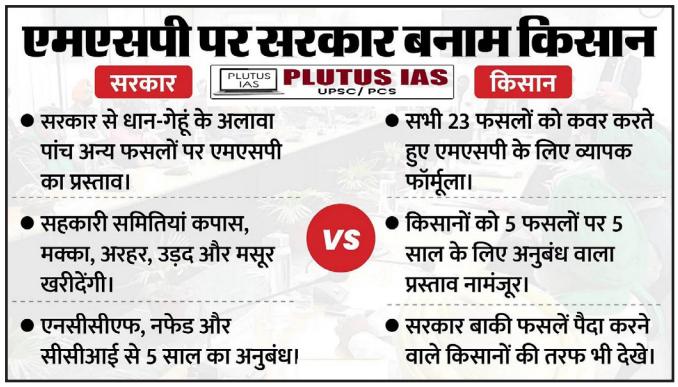
किसानों की प्रमुख मांगें :

1. सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी।
2. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जिन।
3. किसानों और मजदूरों के लिए ऋण माफी, मुआवजा, पेंशन और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ।
4. भूमि और जल पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों का संरक्षण।

सरकार का दृष्टिकोण :

- केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी देना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें खरीद की उच्च लागत और लॉजिस्टिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- इसके अलावा, सरकार खाद्य मुद्रास्फीति और बजटीय दायित्वों के संदर्भ में भी चिंतित है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की वैधता के पक्ष और विपक्ष में तर्क :



वैधता के पक्ष में तर्क :

1. **किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने में सहायक होना :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे बाजार की उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान की समस्या सुलझ जाएगी। यह उनकी उत्पादन लागत को पूरा करने के साथ-साथ उचित लाभ की गारंटी भी देगा।

2. **कृषि में सुधार को प्रोत्साहन मिलना और किसानों की आय में वृद्धि होना :** कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान घटकर 15% से कम हो गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाकर इस कमी को कम किया जा सकता है, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

3. **डिजिटल कृषि में पारदर्शिता और औपचारिक बाजारों को बढ़ावा मिलना :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से लागू करने से औपचारिक बाजारों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अनौपचारिक बाजारों पर निर्भरता कम होगी और डिजिटल कृषि में पारदर्शिता बढ़ेगी।

4. **स्थिर मूल्य को बढ़ावा मिलना :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाने से कृषि बाजारों में मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है, जिससे किसानों की आय और उपभोक्ता मूल्य स्थिर हो सकते हैं।

5. **कृषि की वास्तविक लागत की सही मूल्य निर्धारण में सहायक होना :** वर्तमान में कृषि की वास्तविक लागत की सही गणना नहीं हो पाती, जिससे मूल्य अक्सर किसानों की खर्च से कम होते हैं। C2+50% पद्धति जैसे मॉडल से सही मूल्य निर्धारण हो सकता है।

6. **कृषि में निवेश से उत्पादकता में सुधार होना :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से लागू करने से किसानों को स्थिर आय मिलेगी, जिससे कृषि में निवेश बढ़ेगा और हरित प्रौद्योगिकी और सतत् पद्धतियों के जरिए उत्पादकता में सुधार होगा।

वैधता के विपक्ष में तर्क :

1. **तार्किक समस्याएँ :** सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करना मुश्किल है, क्योंकि देश भर में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और मंडी व्यवस्था नहीं है, जो कई राज्यों में काम नहीं कर रही है।

2. **सरकार पर आर्थिक दबाव और वित्तीय बोझ का बढ़ना :** सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने के लिए सरकार को अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो बजटीय दिक्कतें पैदा कर सकती है और आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है।

3. **खाद्य मुद्रास्फीति :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, खासकर अगर सरकार को सभी फसलों को MSP पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।

4. **कृषि बाजारों में आपूर्ति और मांग की स्थिति में बदलाव :** न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी रूप से लागू होने से कृषि बाजारों में आपूर्ति और मांग की स्थिति में बदलाव हो सकता है, जिससे अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

5. **वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होना :** विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण भारत को कृषि पर सब्सिडी देने या व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे MSP की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।

देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाने के विकल्प पर समाधान की राह :



1. **लक्षित दृष्टिकोण द्वारा समर्थित किया जाना :** MSP को कानूनी रूप से लागू करने के बजाय, केवल कुछ फसलों के लिए इसे लागू किया जा सकता है, ताकि कीमतों को स्थिर किया जा सके। यह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जो किसानों को MSP और मूल्य कमी भुगतान के जरिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में खरीद प्रणालियाँ सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

2. **कृषि संकटों के बेहतर समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर कानून बनाने पर विचार किया जाना :** राष्ट्रव्यापी MSP की बजाय, प्रत्येक राज्य की कृषि चुनौतियों और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्य-विशिष्ट कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है, जो कृषि संकटों का बेहतर समाधान प्रदान कर सके।

3. **सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देना :** सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देना, जैसा कि दूध उत्पादन में सफलता मिली है। ये संगठन किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद कर सकते हैं।

4. **आधुनिक भंडारण सुविधाएँ और बेहतर बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जाना :** सहकारी समितियों और FPOs के लिए एक मजबूत कानूनी ढाँचा, आधुनिक भंडारण सुविधाएँ और बेहतर बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा को बढ़ावा दे सकती है और फसल-उपरांत नुकसान को कम कर सकती है।

5. **सहकारी समितियों के साथ अनुबंध खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना :** किसानों को निगमों या सहकारी समितियों के साथ अनुबंध खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपनी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्राप्त कर सकें।

6. **फसल बीमा योजनाओं को और अधिक विस्तार और सुधार के साथ लागू करना :** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसे उपायों को और अधिक विस्तार और सुधार के साथ लागू किया जा सकता है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या बाजार की अस्थिरता से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिल सके।

7. **किसानों को अपनी फसलों और आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना :** किसानों को अपनी फसलों और आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वे कुछ फसलों पर अधिक निर्भर न हों, जो बाजार में अस्थिरता का कारण बनती हैं।

स्रोत - योजना, कुरूक्षेत्र एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए विधिक गारंटी की मांग करने वाली याचिका किससे संबंधित है और किसानों को उनकी आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कौन से कदम सुझाए गए हैं?

A. 1991 के आर्थिक उदारीकरण से संबंधित किसानों के विरोध से और सहकारी समितियों के साथ अनुबंध खेती के लिए प्रोत्साहन।

B. 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से और किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना।

C. 2015 के सूखा प्रभावित किसानों के विरोध से और सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी लागू करना।

D. 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से और कृषि संकटों के समाधान के लिए नए कानून बनाना।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों के विरोध और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर विचार करते हुए, MSP की वैधानिकता को लेकर किसानों की मांगों, सरकार के दृष्टिकोण, सर्वोच्च न्यायालय की अपील और इसके समाधान के संभावित उपायों पर चर्चा करें। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक : ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट जारी

खबरों में क्यों?



- **हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी " वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO):** ट्रेंड्स 2025 " रिपोर्ट को जारी/ प्रकाशित किया है, जिसमें यह बताया गया कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5% तक नीचे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
- **"वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO):** ट्रेंड्स 2025" रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि इसके पीछे प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर मंद आर्थिक सुधार, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और श्रम बाज़ार को प्रभावित करने वाली सामाजिक अनिश्चितताएँ जैसी विभिन्न चुनौतियाँ रही हैं।

WESO ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु :

1. **वैश्विक स्तर पर बेरोज़गारी की स्थिति :** वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5% पर स्थिर रही, लेकिन युवा बेरोज़गारी दर 12.6% के उच्च स्तर पर बनी रही। उच्च-मध्यम आय वाले देशों में यह दर 16% और निम्न आय वाले देशों में 8% रही, जहां अल्प-रोज़गार और अनौपचारिक कार्य इसका प्रमुख कारण हैं।

2. **श्रम बाजार में असमानताएँ होना :** रोजगार वृद्धि मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में उप-सहारा अफ्रीका में हुई है , जहां श्रमिकों को स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। वैश्विक स्तर पर लगभग 62.6% परिवार 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से कम पर जीवनयापन कर रहे हैं। अन्य विकासशील देशों में भी रोजगार बढ़ा है, लेकिन श्रमिक असुरक्षित और कम वेतन वाले कार्यों में लगे हुए हैं।

3. **आर्थिक विकास :** वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.2% रही, जो 2023 और 2022 के मुकाबले कम थी। रिपोर्ट में 2025 में भी इसी तरह के विस्तार का अनुमान है, हालांकि इसके बाद मंदी की संभावना जताई गई है।

4. **वैश्विक रोजगार अंतराल का उत्पन्न होना :** वर्ष 2024 में 402 मिलियन लोग रोजगार पाने में असमर्थ रहे, जिनमें 186 मिलियन बेरोज़गार, 137 मिलियन हतोत्साहित श्रमिक और 79 मिलियन लोग देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण रोजगार से बाहर रहे। हालांकि, कोविड-19 के बाद यह अंतर कम हुआ है, लेकिन भविष्य में स्थिर रहने की संभावना है।

5. **श्रम बल भागीदारी में बदलाव आना :** उन्नत देशों में श्रम बल में वृद्धि हुई है, खासकर वृद्ध श्रमिकों और महिलाओं के बीच, जबकि निम्न आय वाले देशों में इसमें गिरावट आई है, जिससे वैश्विक रोजगार वृद्धि में मंदी आई है।

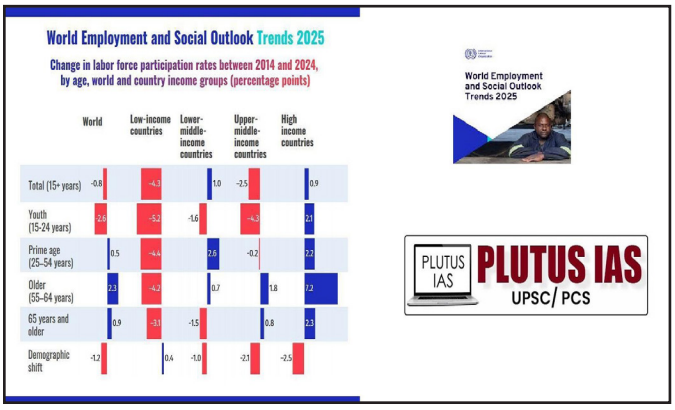
6. **NEET (Not in Education, Employment or Training) के आंकड़े :** वर्ष 2024 में 259.1 मिलियन लोग शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं थे, जिनमें से 85.8 मिलियन पुरुष और 173.3 मिलियन महिलाएं थीं। LIC देशों में NEET दर में वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से पुरुषों में महामारी-पूर्व स्तर से 4% अधिक।

7. **विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण का असंतुलित हो जाना और ऋण संकट :** उच्च ब्याज दरों और आर्थिक संकटों के कारण विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण असंतुलित हो गया है। लगभग 70 देश ऋण संकट के जोखिम में हैं, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक खर्च हो रहा है।

8. **वेतन वृद्धि में स्थिरता :** महामारी के बाद रोजगार वृद्धि कम होने और श्रम बाजार में बदलाव के कारण वास्तविक वेतन वृद्धि में कमी आई है।

9. **हरित परिवर्तन और रोजगार :** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2023 में 16.2 मिलियन रोजगार उत्पन्न हुए, जो 2022 के मुकाबले अधिक है। हालांकि, इसका लाभ असमान रूप से वितरित हुआ है, जिसमें 46% तक का लाभ चीन को मिला है।

10. **डिजिटल क्षेत्र में संभावनाएँ :** डिजिटल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ तो हैं, लेकिन कई देशों में इस क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और कुशल श्रमिकों की कमी है।



वर्ष 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ILO की मुख्य सिफारिशें :

1. **प्रेषण का प्रभावी उपयोग करने के लिए सरकारों द्वारा एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की जरूरत :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने निम्न-आय वाले देशों (LICs), विशेष रूप से उप-सहारा

अफ्रीका में, सलाह दी है कि वे प्रेषण को केवल उपभोग के बजाय, इसे लाभकारी निवेश में बदलने का प्रयास करें। इसके लिए सरकारें एक प्रभावी तंत्र स्थापित कर सकती हैं, जिसके माध्यम से प्रेषण धन को निवेश निधियों में समेकित किया जाए, जिससे निजी क्षेत्र की वृद्धि और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

2. **संरचनात्मक स्तर पर सुधार करने की जरूरत :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने देशों से अनुरोध किया है कि वे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के साथ-साथ आधुनिक सेवाओं और विनिर्माण पर जोर देने की आवश्यकता है, ताकि संरचनात्मक अवरोधों को समाप्त किया जा सके।

3. **युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि वे आधुनिक श्रम बाजारों में प्रतिस्पर्धी बन सकें। साथ ही, उन्हें हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी जैसे उभरते हुए उद्योगों में आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए सक्षम किया जाना चाहिए।

4. **वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने यह सिफारिश की है कि देशों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि सतत विकास और समावेशी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) :



- **मुख्यालय :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है।
- **स्थापना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के अंतर्गत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और वैश्विक श्रम परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।
- **सदस्यता :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है और यह संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र का पहला और एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, ताकि निर्णय प्रक्रिया में संतुलन और समानता बनी रहे।
- **प्रमुख सम्मेलन :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 190 सम्मेलन अपनाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं -
- **कन्वेंशन संख्या 87 (1948) :** संगठन की स्वतंत्रता और संघ बनाने के अधिकार का संरक्षण।
- **कन्वेंशन संख्या 98 (1949) :** संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार।
- **कन्वेंशन संख्या 138 (1973) :** रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना।
- **कन्वेंशन संख्या 182 (1999) :** बाल श्रम के सबसे कष्टप्रद रूपों का उन्मूलन।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का महत्त्व :

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक स्थापित करता है, उचित कार्य को बढ़ावा देता है और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन में विशेष रूप से लक्ष्य-8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान करता है।
- सामाजिक न्याय के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) को 1969 में **नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
- **त्रिपक्षीय संरचना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक त्रिपक्षीय संरचना में कार्य करता है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो नीति-निर्माण और श्रम प्रशासन में संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का मुख्य कार्य :

- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना : ILO सभी के लिए उचित कार्य को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में काम करता है।
- **रोजगार में भेदभाव के उन्मूलन के लिए प्रमुख श्रम मानक निर्धारित करना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) बलपूर्वक किए जानेवाला श्रम, बाल श्रम और रोजगार में भेदभाव जैसी गंभीर समस्याओं के उन्मूलन के लिए प्रमुख श्रम मानक निर्धारित करता है।
- **वैश्विक श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्टों, जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वैश्विक श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **समावेशी और सतत् रोजगार नीतियों की सिफारिश करना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) समावेशी और सतत् रोजगार नीतियों की सिफारिश करता है, जिनमें विशेष रूप से युवाओं,

महिलाओं और वंचित समूहों के लिए अच्छे कार्य अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

स्त्रोत - इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सिफारिशें की हैं?

1. सरकारों को प्रेषण का प्रभावी उपयोग करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।
2. देशों को सिर्फ वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, अन्य पहलुओं की आवश्यकता नहीं है।
3. युवा श्रमिकों को उच्चतम तकनीकी कौशल प्राप्त कराना चाहिए।
4. संरचनात्मक सुधारों में निवेश कर के क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2 और 4
D. केवल 1 और 4

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी ' वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025 ' रिपोर्ट में युवा बेरोज़गारी दर और उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, ILO की 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए।
(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





ट्रांसजेंडर पहचान पत्र : कानूनी बदलाव और सामाजिक स्वीकृति

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और लिंग में बदलाव कर सकते हैं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यह बदलाव उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के तहत किया जा सकता है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस प्रकार के परिवर्तन की स्पष्ट अनुमति दी गई है।

सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामला का मुख्य तथ्य :

सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

- याचिकाकर्ता को लैंगिक डिस्फोरिया था, जिसके कारण उसने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराई और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और पासपोर्ट में अपने नाम और लिंग में कानूनी रूप से बदलाव किया। हालांकि, जन्म प्रमाण पत्र में यह परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव की अनुमति नहीं देने से उसके संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इससे दोहरी पहचान उत्पन्न होती है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव हो सकता है।
- उन्होंने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का हवाला दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान के अनुसार दस्तावेज़ों में बदलाव करने की अनुमति दी गई है।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 1969 का जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम सामान्य अधिनियम है, जबकि ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण करने वाला अधिनियम विशेष अधिनियम है।
- उच्च न्यायालय ने इस मामले के निर्णय में यह भी कहा कि विशेष कानून के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिंग सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज किया जाना चाहिए।
- यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर विशेष कानूनों की सर्वोच्चता की पुष्टि करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 से संबंधित मुख्य :



ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

1. **ट्रांसजेंडर की परिभाषा :** ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जिनका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें 'इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति' और 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' शब्दों को स्पष्ट किया गया है, ताकि लिंग परिवर्तन सर्जरी या चिकित्सा उपचार के बिना भी ट्रांसजेंडर पुरुष और महिलाएं इसमें शामिल हो सकें।

2. **भेदभाव का निषेध :** यह विधेयक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव को रोकता है। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यात्रा, संपत्ति और कार्यालयों में समान अधिकार प्रदान करता है।

3. **पहचान प्रमाण पत्र :** यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान पर अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत, जिला मजिस्ट्रेट बिना मेडिकल परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

4. **चिकित्सा देखभाल :** इस विधेयक में HIV की निगरानी, चिकित्सा देखभाल, लैंगिक पुनर्निर्धारण सर्जरी, और बीमा कवरेज जैसी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

5. **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद :** सरकार को सलाह देने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद स्थापित की गई है।

6. **अपराध और दंड का प्रावधान :** इस विधेयक के तहत बलपूर्वक श्रम, दुर्व्यवहार और अधिकारों से वंचित करने जैसे अपराधों के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

भारत में ट्रांसजेंडरों के समक्ष मुख्य समस्याएँ :



भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है -

1. **सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए सामाजिक जीवन में भागीदारी मुश्किल हो जाती है और वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। सार्वजनिक स्थानों, जैसे शौचालय और आश्रय स्थल, में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिलता, जिसके कारण वे उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होते हैं।

2. **शिक्षा में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रहती है। उनकी साक्षरता दर केवल 46% है, जो राष्ट्रीय औसत (74%) से कम है।

3. **शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ना और बेघर होना :** परिवारों द्वारा अस्वीकार किए जाने और आवास की कमी के कारण कई ट्रांसजेंडर लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, साथ ही मादक पदार्थों की लत जैसी समस्याओं का भी सामना करते हैं।

4. **सामाजिक असहिष्णुता और ट्रांसफोबिया के कारण हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक असहिष्णुता और ट्रांसफोबिया के कारण हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ट्रांसफोबिया का अर्थ है ट्रांभ सजेंडर लोगों के प्रति नकारात्मक सोच, डर, घृणा या पूर्वाग्रह।

5. **अवसाद और आत्महत्या के विचारों जैसी मनोवैज्ञानिक संकटों और मानसिक समस्याओं का सामना पड़ना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी के कारण वे चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं।

6. **ट्रांसजेंडरों का नकारात्मक सार्वजनिक चित्रण :** मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर ट्रांसजेंडरों का नकारात्मक चित्रण उनके प्रति सामाजिक अस्वीकृति और हिंसा को बढ़ावा देता है।

आगे की राह :



1. **सामाजिक सरोकारों पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता :** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता, सहायक शिक्षा और अन्य सामाजिक अधिकारों जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हों।

2. **शिक्षा तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित करना :** भारत में सरकार को स्कूलों को ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए उत्पीड़न-रोधी और रैगिंग-रोधी नीतियाँ लागू करनी चाहिए ताकि उनके साथ होने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आए।

3. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नीति-निर्माण में शामिल करना :** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और उन्हें समाज में समान अवसर मिल सकें।

4. **वित्तीय सहायता और आर्थिक अवसर प्रदान करना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आसान ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

5. **सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का आयोजन करने की जरूरत :** सरकार को ट्रांसजेंडर से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियानों का आयोजन करना चाहिए, ताकि समाज में ट्रांसजेंडर से जुड़े मुद्दों पर असहिष्णुता कम हो और ट्रांसजेंडरों के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रही सोच को चुनौती दी जा सके।

स्त्रोत - योजना एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौन सा अधिकार दिया गया है?

1. अपनी लिंग पहचान पर आधारित प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार
2. सभी सार्वजनिक कार्यालयों में ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए विशेष आरक्षण
3. किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार
4. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय और आश्रय स्थल का अधिकार

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के संदर्भ में भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समावेशन, कर्नाटक उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय और सरकारी प्रयासों पर चर्चा करें।
(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत का संविधान और समाज : ऑनर किलिंग के खिलाफ संघर्ष

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के तीन राज्यों हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ लड़कियों को उनके परिवारवालों ने केवल इस कारण गोली मार दी कि वे अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना चाहती थीं, जो उनके परिवार की इच्छा के खिलाफ था।



ऑनर किलिंग किसे कहते हैं ?

- ऑनर किलिंग एक ऐसी हत्या को कहते हैं जो पारिवारिक, जाति, धार्मिक या सामुदायिक प्रतिष्ठा के सम्मान की रक्षा के नाम पर की जाती है। यह हत्या अक्सर परिवार के किसी सदस्य, खासकर महिला, द्वारा अपने चयन के जीवनसाथी के साथ विवाह करने पर की जाती है, जो भारत में पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था या सामाजिक मानकों के खिलाफ होता है। यह कृत्य सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दबावों के तहत किया जाता है। यह भारत में परिवार के तथाकथित " नाक के सम्मान " की रक्षा के नाम पर किया जाता है।

भारत में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रमुख आँकड़े :

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में 2019 और 2020 में ऑनर किलिंग की घटनाएँ 25-25 थीं, जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 33 हो गई। हालांकि, वास्तविक आँकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं।

ऑनर किलिंग का प्रमुख कारण :

1. **भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जातिवादी होना :** जाति व्यवस्था का उल्लंघन होने के डर से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, विशेषकर जब विवाह अंतर्जातीय या समान गोत्र में होता है।

2. **भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सोच :** महिलाओं को अपने जीवनसाथी के चुनाव का अधिकार नहीं दिया जाता, और विवाह को पारिवारिक सम्मान से जोड़ा जाता है।

3. **खाप पंचायतों का मौजूद होना :** भारत में ये पंचायतें जातिगत मानदंडों के उल्लंघन पर हत्या तक का दंड देती हैं।

4. **भारत में लैंगिक अनुपात में असंतुलन होना :** महिला-पुरुष अनुपात में असंतुलन के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती है।

5. **सामाजिक स्थिति में तथाकथित प्रतिष्ठा का होना :** पारिवारिक सम्मान को व्यक्तिगत इच्छाओं और निर्णयों से परे प्राथमिकता दी जाती है।

भारत में ऑनर किलिंग के परिणाम :

1. **मूल अधिकारों और मानवाधिकार का उल्लंघन होना :** ऑनर किलिंग जीवन के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को मजबूती देती है।

2. **मनोविज्ञान संबंधी अभिघात और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने संबंधी सामाजिक प्रभाव :** इससे जीवित बचे परिवार और समुदाय गहरे मानसिक आघात से जूझते हैं।

3. **विधिसम्मत शासन संचालन का प्रभावित होना :** भारत में ऑनर किलिंग के खिलाफ प्रभावी कानून की कमी और समाज में अपराधियों के समर्थन के कारण अपराधी दंड से बच जाते हैं।

4. **सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त सांस्कृतिक पिछड़ापन :** यह महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के अधिकारों में रुकावट डालता है।

5. **ऑनर किलिंग का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव :** इस तरह की हिंसा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखी जाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं।

6. **ऑनर किलिंग को सामान्य हत्या के रूप में माने जाने का प्रार वधान होना :** भारत में ऑनर किलिंग को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत सामान्य हत्या के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि इसे विशेष रूप से संबोधित करने के लिए कोई अलग कानून नहीं है।

भारत में ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधायी प्रयास :

- वर्ष 2011 में "विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध (वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक" पेश किया गया था, जो जाति पंचायतों द्वारा की जाने वाली अवैध सभाओं और हस्तक्षेपों पर रोक लगाने का प्रयास था, लेकिन यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका था।

- भारतीय विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट (2012) में ऑनर किलिंग के खिलाफ स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

भारत में ऑनर किलिंग की रोकथाम हेतु मुख्य विधिक प्रावधान :

1. **भारतीय दंड संहिता की धारा 299-304 :** इस धारा के तहत हत्या और मानव वध के दोषियों को दंडित किया जाता है। इसमें हत्या और आपराधिक मानव वध के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है।

2. **सदोष मानव वध :** जब किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या आपराधिक उद्देश्य के कारण होती है, तो उसे दोषी माना जाता है।

3. **भारतीय दंड संहिता की धारा 307 :** भारत में ऑनर किलिंग के मामले में इस धारा के तहत हत्या के प्रयास करने वाले को 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. **भारतीय दंड संहिता की धारा 308 :** इस धारा के तहत गैर-इराद दतन हत्या के प्रयास के लिए तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

5. **भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 35 :** इन धाराओं के तहत, जब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो उन सभी को दंडित किया जा सकता है।

भारत में ऑनर किलिंग से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय :

- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) :** सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग को एक क्रूर कृत्य मानते हुए इसके अपराधियों के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा की निंदा की।

- **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर (2010) :** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग के आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

- **अरुमुगम सेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) :** अरुमुगम सेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि माता-पिता अपने बच्चों के अंतरजातीय विवाह को लेकर उन्हें धमका या परेशान नहीं कर सकते। कोर्ट ने सरकार को अंतरजातीय दंपतियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उत्पीड़न रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।

- **शक्ति वाहिनी केस (2018) :** इस केस में भारत के उच्चत्तम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ऑनर किलिंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को पारिवाई रिक खतरों का सामना कर रहे दंपतियों को सुरक्षा प्रदान करने और विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया था।

समाधान की राह :



1. **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता :** ऑनर किलिंग के खिलाफ एक विशेष कानून की आवश्यकता है जो ऑनर किलिंग के खिलाफ लक्षित सुरक्षा प्रदान करे, जवाबदेही सुनिश्चित करे, कानूनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हो और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा दे।

2. **सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में और चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना :** भारत में ऑनर किलिंग के दोषियों को कम से कम पाँच वर्षों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इससे यह संदेश जाएगा कि ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक पदों पर नहीं हो सकते और उनकी गतिविधियों को समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम पंचायतों और जातिगत भेदभाव से उत्पय न्न हिंसा को रोकने में सहायक होगा।

3. **विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की अत्यंत आवश्यकता :** ऑनर किलिंग के मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। इससे न्याय में देरी कम होगी और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

4. **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने की अत्यंत आवश्यकता :** भारत में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करके विवाह पंजीकरण की अवधि को एक महीने से घटाकर एक सप्ताह किया जाना चाहिए, ताकि विवाह के दौरान उत्पन्न होने वाले खतरों और हिंसा से बचा जा सके।

5. **ऑनर किलिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की एवं भारतीय दंड संहिता में एक नया प्रावधान जोड़े जाने की अत्यंत आवश्यकता :** भारतीय दंड संहिता में एक नया प्रावधान जोड़ा जाए, जिसमें ऑनर किलिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और इसके लिए सजा का निर्धारण किया जाए, ताकि न्यायिक प्रणाली को ऐसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने और उन्हें रोकने में मदद मिल सके।

स्त्रोत - केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आधिकारिक वेबसाईट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ऑनर किलिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसके तहत भारतीय दंड संहिता में नया प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए।
2. भारत में महिलाओं को अपने पसंद से विवाह करने के अधिकार को रद्द करना चाहिए।
3. भारत में केवल परंपरागत विवाह विधियों का पालन करना चाहिए।
4. भारत में विशेष विवाह पंजीकरण की अवधि घटानी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1 और 4
C. केवल 2 और 3
D. केवल 2 और 4

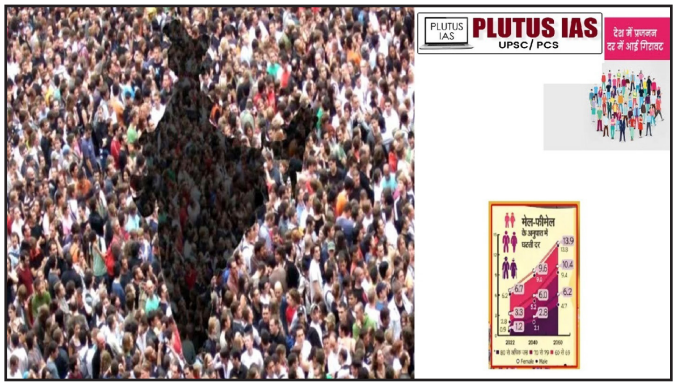
उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ऑनर किलिंग के प्रमुख कारणों, परिणाम, विधायी प्रयास, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों को रेखांकित करते हुए भारत में ऑनर किलिंग के उन्मूलन हेतु समाधानों पर चर्चा करें। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

दुराहे पर खड़ा भारत : जनसंख्या में वृद्धि और घटता कुल प्रजनन दर

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी (GBD) से यह जाहिर हुआ है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में काफी कमी आई है।
- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में इस कमी के परिणामस्वरूप, भारत में विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष :

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

1. **भारत की प्रजनन दर में गिरावट होना :** भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 1950 के दशक के 6.18 से घटकर 2021 में 1.9 हो गई है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से भी कम है। अनुमान है कि 2100 तक यह दर और गिरकर 1.04 पर पहुँच जाएगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक महिला के लिए औसतन एक ही बच्चा होगा।

2. **भारत के भिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंतर का होना :** दक्षिणी राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ने पहले ही उत्तरी राज्यों की तुलना में प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर प्राप्त कर ली है। विशेषकर, केरल में 2036 तक वृद्ध जनसंख्या बच्चों से अधिक हो सकती है। उच्च श्रम मजदूरी और जीवन की गुणवत्ता जैसे कारणों से प्रवासी श्रमिकों की संख्या 2030 तक 60 लाख तक पहुँचने का अनुमान है।

3. **महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक कारक :** महिला साक्षरता, कार्यबल में उनकी भागीदारी, और महिला सशक्तिकरण ने प्रजनन दर में गिरावट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसके अलावा, विवाह और मातृत्व में देरी या गर्भ धारण में परहेज करने जैसे बदलते दृष्टिकोण भी इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं।

4. **बदलते सामाजिक प्रतिमान, स्वास्थ्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण और प्रवासन का होना :** पुरुषों और महिलाओं में बांझपन के मामलों में वृद्धि और गर्भपात की बढ़ती स्वीकृति ने भी प्रजनन दर में कमी में योगदान किया है। इसके अलावा, कई युवा लोग शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं, जिससे देश में प्रजनन दर और कम हो रही है।

5. **प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर :** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है, जिसका मतलब है कि जनसंख्या का स्तर बिना किसी वृद्धि या गिरावट के स्थिर रहेगा।

6. **दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ पैदा होना :** भारत की वर्तमान जनसंख्या की तुलना में हालाँकि, 2.1 से कम कुल प्रजनन दर (TFR) नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं, जो वृद्ध होती जनसंख्या, का कारण बन सकती है।

निम्न प्रजनन दर के संभावित परिणाम :

1. **जनसंख्या का आयु-ध्रुव तीव्र गति से बढ़ना और वृद्ध होती जनसंख्या :** जन्म दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण जनसंख्या का आयु-ध्रुव तीव्र गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का 10.5% हैं। 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 347 मिलियन और जनसंख्या का 20.8% तक पहुँचने का अनुमान है।

2. **सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी खर्चे से उत्पन्न होने वाला आर्थिक प्रभाव:** युवा कार्यबल में कमी और वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के कारण निर्भरता अनुपात में वृद्धि हो रही है, जिससे सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव बढ़ेगा। पेंशन और वृद्धों की देखभाल की बढ़ती लागत से सरकार और परिवार दोनों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

3. **भारत को मध्य आय के जाल में फंसने का खतरा उत्पन्न होना :** विकसित देशों की तुलना में, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है, भारत को बिना पर्याप्त आर्थिक संसाधनों के वृद्धावस्था के संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ वृद्धि नहीं रहती है, तो उसे मध्य आय के जाल में फंसने का खतरा हो सकता है।

4. **श्रम बाजार पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :** प्रजनन दर में गिरावट से कार्यबल में कमी आ सकती है, जो उत्पादकता में कमी और आर्थिक विकास में रुकावट का कारण बन सकता है।

निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण :

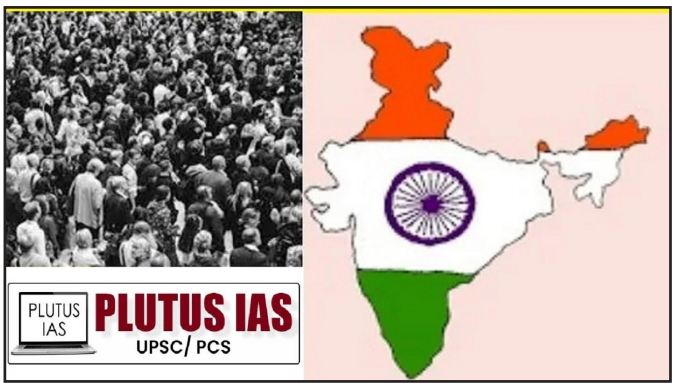
1. **जर्मनी :** जर्मनी में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए उदार श्रम कानून, पैतृक अवकाश और लाभों के कारण जर्मनी ने अपनी जन्म दर में वृद्धि हासिल की है।

2. **डेनमार्क :** डेनमार्क में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए वहां की 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषित इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है।

3. **रूस और पोलैंड :** रूस और पोलैंड में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए रूस में जहाँ अधिक बच्चों वाले परिवारों को एकमुश्त

वित्तीय प्रोत्साहन देता है, वहीं पोलैंड में एक से अधिक बच्चों वाले परिवारों को नकद सहायता प्रदान करता है।

समाधान / आगे की राह :



1. **श्रम बाजार के अनुसार नीतिगत स्तर पर सुधार करने की जरूरत :** भारत को श्रम बाजार की उपयुक्त नीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है, जैसा कि जर्मनी और डेनमार्क ने किया है। इसके तहत, कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने के लिए माता-पिता को अधिक लाभ और सहायता प्रदान की जा सकती है, ताकि वे प्रजनन दर को बढ़ावा दे सकें।

2. **डिजिटल और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने की जरूरत :** आजकल, एक बच्चे के पालन-पोषण पर 30 लाख से लेकर 1.2 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं, जिससे कई मध्यम वर्गीय परिवार इस जिम्मेदारी से हतोत्साहित हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, शिक्षा को सस्ता और उपलब्ध बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही, कौशल में असंगति की समस्या के समाधान हेतु डिजिटल और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण भी जरूरी है।

3. **जनांकिकीय लाभांश को सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की जरूरत :** भारत के नीति निर्माता अगर वृद्ध होती जनसंख्या को सहायता देने में सफल होते हैं, तो भारत का आर्थिक विकास सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा जनांकिकीय लाभांश का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करने से परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकती है।

4. **माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत :** भारत में माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बाल देखभाल संस्थानों को बढ़ावा देना और प्रसवपूर्व देखभाल को प्राथमिकता देना अत्यंत जरूरी है। तेलंगाना में गर्भावस्था किटों के वितरण जैसी पहलों का देशभर में विस्तार करके मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है, जिससे प्रजनन दर में भी सुधार हो सकता है।

5. **संवहनीय IVF सेवाओं को प्रोत्साहित करना और प्रजनन सहायता को मुहैया करवाना :** कामकाजी महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनके कॅरियर को प्रभावित किए बिना प्रजनन दर बढ़ाने के उपाय उपलब्ध हों। इसके लिए संवहनीय IVF उपचार और सरोगेसी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि अधिक परिवार बच्चों की परवरिश कर सकें।

स्त्रोत - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट का मुख्य कारण क्या है ?

1. महिला साक्षरता और महिलाओं का कार्यबल भागीदारी में वृद्धि होना।
2. विवाह, गर्भधारण और मातृत्व में देरी होना।
3. केवल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना।
4. उच्च श्रम मजदूरी और उच्च जीवन गुणवत्ता का होना।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1 और 2

उत्तर - D

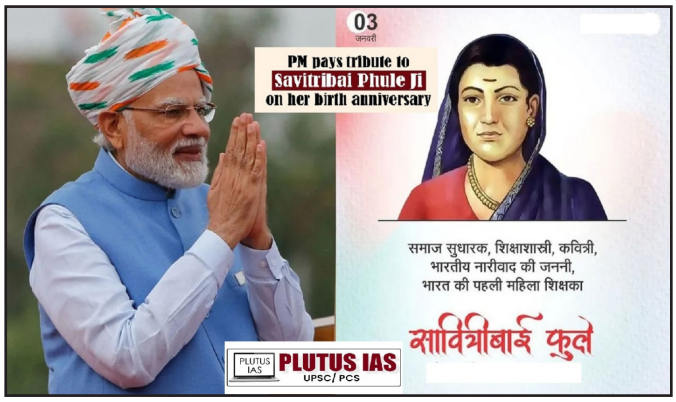
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, घटती प्रजनन दर और इससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता के मुख्य कारण क्या हैं? इसके साथ ही यह चर्चा कीजिए कि भारत में प्रजनन दर में गिरावट के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और इसे सुधारने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 : भारत में शिक्षा और समानता की क्रांति की अग्रदूत

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी, 2025 को सावित्रीबाई फुले को उनकी 193वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
- सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले, जो 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक थे, भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं।
- इन दोनों ने तत्कालीन भारतीय समाज में महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जातिवाद तथा लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था।
- सावित्रीबाई को भारत में महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के दिशा में कार्य करने के लिए तत्कालीन पारंपरिक भारतीय समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्थरबाजी और दुर्व्यवहार जैसी कठिनाइयाँ भी शामिल थीं।

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले :

- भारत में वर्ष 1840 में, जब बाल विवाह सामान्य रूप से प्रचलित और सर्वमान्य था, उस समय मात्र 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से हुआ, जो उस समय 13 वर्ष के थे।
- बाद के समय में इस युगल जोड़ी ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।



ज्योतिराव फुले का जीवनवृत्त :

- ज्योतिराव फुले एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। वे जातिवाद और समाज में असमानता के खिलाफ थे, और उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।
- **शिक्षा :** वर्ष 1841 में, फुले ने पुणे के स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल में दाखिला लिया और वहीं अपनी शिक्षा पूरी की।
- **विचारधारा :** उनकी सोच स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद पर आधारित थी। वे थॉमस पाइन की किताब 'द राइट्स ऑफ मैन' से प्रेरित थे, और मानते थे कि सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए महिलाओं और निचली जातियों को शिक्षा देना जरूरी है।
- **प्रमुख कार्य :** फुले ने 1855 में 'तृतीया रत्न' और 1873 में 'गुलामगिरि' जैसे महत्वपूर्ण कार्य लिखे। उन्हें 1888 में 'महात्मा' की उपाधि दी गई।

समाज सुधार की दिशा में किया गया कार्य :

- सन 1848 में, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया और फिर दोनों ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल खोला।
- ज्योतिराव फुले ने विधवाओं के लिए आश्रम बनाए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
- वे लैंगिक समानता में विश्वास करते थे और अपनी सभी समाज सुधार गतिविधियों में अपनी पत्नी को शामिल करते थे। फुले ने 1852 तक तीन स्कूल खोले, लेकिन 1858 तक इन्हें बंद कर दिया गया।

- ज्योतिराव ने उच्च जातियों की रूढ़िवादी सोच का विरोध किया और 1868 में सभी जातियों के लिए सामूहिक स्नानागार का निर्माण किया। उन्होंने समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी जातियों के साथ भोजन भी किया।
- उनकी जागरूकता अभियान ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर और महात्मा गांधी को प्रभावित किया, जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया।
- ज्योतिराव फुले ने ही भारत में सबसे पहली बार 'दलित' शब्द का प्रयोग किया, भारतीय समाज में जो जातिवाद से पीड़ित लोगों/वर्गों को दर्शाता है।

सावित्रीबाई फुले का जीवनवृत्त :



- **जन्म :** सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हाशिए पर रहने वाले माली समुदाय में हुआ। उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ, जिन्होंने उनकी शिक्षा का जिम्मा लिया।
- **शिक्षा :** सावित्रीबाई ने अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार के साथ और पुणे के नॉर्मल स्कूल में दो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिला लिया।
- **महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य :** 1852 में, सावित्रीबाई ने 'महिला सेवा मंडल' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना था। उन्होंने एक महिला सभा आयोजित की, जिसमें सभी जातियों के लोगों को आमंत्रित किया गया और उन्हें एक साथ मंच पर बैठने के लिए प्रेरित किया।
- **साहित्यिक योगदान :** उन्होंने 1854 में 'काव्या फुले' और 1892 में 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' प्रकाशित की। अपनी कविता 'गो, गेट एजुकेशन' में उन्होंने उत्पीड़ित समुदायों को शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया।
- **समाज सुधार की दिशा में किया गया प्रमुख कार्य :** उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1873 में उन्होंने पहला सत्यशोधक विवाह आयोजित किया, जिसमें दहेज, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति-रिवाजों का पालन नहीं किया गया।

सावित्रीबाई फुले की विरासत :



- सन 1848 में, फुले दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों, शूद्रों और अति-शूद्रों के लिए एक स्कूल खोला। 1850 के दशक में, उन्होंने नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और 'द सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार' नामक शैक्षिक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें कई स्कूल शामिल थे। सन 1853 में, उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव केंद्र खोला और शिशुहत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया।
- **लैंगिक मुद्दों पर काम :** 1863 में, ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या और गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं की मदद करने के लिए था। यह भारत का पहला गृह था।
- **सत्यशोधक समाज :** 24 सितंबर, 1873 को, उन्होंने और उनके पति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज में सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देना और प्रचलित परंपराओं, जैसे बाल विवाह, दहेज, अंतर-जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि का उन्मूलन करना था। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य निचली जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा देना और समाज की शोषक परंपराओं से अवगत कराना था।
- **सामाजिक योगदान :** 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और समानता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था?

1. सभी जातियों को समान शिक्षा प्रदान करना
2. बाल विवाह, दहेज और जातिवाद जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना

3. केवल उच्च जातियों की भलाई के लिए काम करना
4. समाज में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - C

व्याख्या:

- सभी जातियों को समान शिक्षा प्रदान करना, बाल विवाह, दहेज और जातिवाद जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना और समाज में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : s

Q.1. सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले द्वारा 19वीं सदी के भारतीय समाज में महिला शिक्षा, महिला - सशक्तिकरण, जातिवाद और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ किए गए संघर्षों के प्रमुख पहलुओं की व्याख्या करते हुए यह बताएं कि उनके योगदानों ने तत्कालीन भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया और उनके विचारों ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी को किस प्रकार प्रभावित किया?
(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

महाकुंभ मेला 2025 और वायरलेस कनेक्टिविटी : एक नए युग की शुरुआत

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला 2025 आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लाखों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है।
- यह मेला व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति, सांस्कृतिक उत्सव और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है।
- इस मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज को 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक नया महाकुंभ क्षेत्र घोषित किया है।
- इस मेले के आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
- महाकुंभ मेला 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी हर दिन औसतन 1 करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र में उपस्थित होंगे।
- यह आंकड़ा मानव इतिहास में सबसे बड़ी टेली-डेंसिटी (प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) का रिकॉर्ड बना सकता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचार व्यवस्था को मजबूती देने के लिए 100 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है जिसके तहत प्रत्येक मोबाइल टावर को उच्च क्षमता वाली रेडियो प्रणालियों से लैस किया जाएगा।
- इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए 78 परिवहन योग्य टावर और 150 छोटे सेल समाधान तैनात किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आपातकालीन संचार सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाएगा।

कुंभ मेला का परिचय और उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य :

'**कुंभ**' शब्द का अर्थ '**अमरता का घड़ा**' से लिया गया है, जो हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में पाया जाता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में चार स्थानों पर आयोजित होता है:

1. **प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)**
2. **हरिद्वार (उत्तराखंड)**
3. **नासिक (महाराष्ट्र)**
4. **उज्जैन (मध्यप्रदेश)**

यह एक वशिाल धार्मकि आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु पवत्रि नदयिों में स्नान करते हैं। यह आयोजन खासतौर पर चार प्रमुख स्थानों पर होता है:

1. **हरिद्वार :** गंगा के किनारे
2. **उज्जैन :** शिप्रा नदी के तट पर
3. **नासिक :** गोदावरी नदी के किनारे
4. **प्रयागराज :** गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर

कुंभ के विभिन्न प्रकार :

1. **पूर्ण कुंभ :** यह हर 12 साल में चार स्थानों पर आयोजित होता है।
2. **अर्द्धकुंभ :** इसे हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल में आयोजित किया जाता है।
3. **महाकुंभ :** यह 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में आयोजित किया जाता है।
4. **माघ कुंभ :** यह हर साल माघ माह (जनवरी-फरवरी) में प्रयागराज में आयोजित होता है।

कुंभ मेले की उत्पत्ति से जुड़ी हुई ऐतिहासिक विकास - क्रम :

कुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से जुड़ी हुई है, जहाँ देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत घड़े के लिए संघर्ष होता है।

1. **प्राचीन इतिहास :** इसके तहत यह माना जाता है कि भारत में प्राचीन राजवंशों के शासन के दौरान मौर्य और गुप्त काल में कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी।
2. **हर्षवर्द्धन का योगदान :** राजा हर्षवर्द्धन ने भी प्रयागराज में कुंभ मेला को आयोजित किया था।
3. **मध्यकालीन भारतीय राजवंशों में :** चोल, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने भी इस कुंभ मेले का समर्थन किया था।
4. **अकबर का योगदान :** अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया था।
5. **औपनिवेशिक काल :** इस काल में कुंभ मेले के महत्त्व और विविधता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मेले का सबसे पहले दस्तावेजीकरण किया और 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने इसके धार्मिक और सामाजिक पहलुओं का विवरण प्रस्तुत किया था।
6. **स्वतंत्रता के बाद :** कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक बन गया। 2017 में इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

कुंभ 2019 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड :

1. सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना।
2. सबसे बड़ी सार्वजनिक चित्रकला प्रक्रिया (पेंट माई सिटी योजना)।
3. सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र।

कुंभ मेला का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्त्व :

आध्यात्मिक महत्त्व :

1. कुंभ मेला विशेष रूप से त्रिवेणी संगम (गंगा, यमुना, और सरस्वती) के पवित्र जल में स्नान को पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग के रूप में देखा जाता है।
2. कुंभ में स्नान करने को आध्यात्मिक महत्त्व के दृष्टिकोण से व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करने के संदर्भ में देखे जाने की मान्यता है।

सांस्कृतिक महत्त्व :

1. कुंभ मेला न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भर ही नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति कीर्तन, भजन, और पारंपरिक नृत्य जैसे कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
2. धार्मिक गतिविधियों से जुड़े ये नृत्य व्यक्ति में आध्यात्मिक एकता और दिव्य प्रेम की भावना को प्रकट करते हैं।

ज्योतिषीय महत्त्व :

1. कुंभ मेला विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है, और यह ज्योतिष के दृष्टिकोण से अत्यधिक शुभ माना जाता है।
2. नासिक और उज्जैन में जब कोई ग्रह सिंह राशि में होता है, तब इसे ' सिंहस्थ कुंभ ' कहा जाता है।

महाकुंभ मेला से संबंधित अनुष्ठान और विभिन्न गतिविधियाँ :

1. **शाही स्नान :** यह आयोजन महाकुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें संत और अखाड़े के लोग जुलूस के साथ औपचारिक स्नान करते हैं।
2. **अखाड़े :** 'अखाड़ा' शब्द का अर्थ 'अखंड' से है, और इसे समाज की एकता, नैतिकता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन जीवनशैली को बचाने के लिए तपस्वियों को एकत्रित किया। अखाड़े समाज में सद्गुण, नैतिकता, आत्म-संयम और करुणा को बढ़ावा देते हैं।
3. अखाड़ों को उनके इष्ट देवता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
4. **शैव अखाड़े :** इस अखाड़े से संबंधित व्यक्ति भगवान शिव की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं।
5. **वैष्णव अखाड़े :** इस अखाड़े से संबंधित व्यक्ति भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं।
6. **उदासीन अखाड़ा :** यह अखाड़ा गुरु नानक के पुत्र चंद्र देव द्वारा स्थापित किया गया था।
7. **पेशवाई जुलूस :** यह एक भव्य पारंपरिक जुलूस होता है, जिसमें हाथी, घोड़े और रथों पर श्रद्धालु शामिल होते हैं।
8. **आध्यात्मिक प्रवचन :** इसके तहत विभिन्न श्रद्धेय संतों और आध्यात्मिक नेताओं द्वारा जीवन की गूढ़ और गहरी शिक्षाओं तथा धार्मिक संगीत-नृत्य का आयोजन होता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची :

- यूनेस्को की यह सूची उन सांस्कृतिक तत्त्वों को पहचान कर प्रदान किया जाता है जो विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं।
- इस सूची का उद्देश्य इन विरासतों के महत्त्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा करना है।
- भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ मेला को 2017 में मान्यता प्राप्त हुई, जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता देती है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत :

1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएँ, कौशल और ज्ञान हैं जिन्हें लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचानते हैं।
2. **यह प्रायः** मौखिक परंपराओं, कला प्रदर्शनों, सामाजिक प्रथाओं, उत्सवों, प्रकृति से संबंधित ज्ञान और पारंपरिक शिल्प कौशल के रूप में व्यक्त होती है।

निष्कर्ष :



- महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का अद्वितीय प्रतीक है, जो हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो पवित्र नदियों में स्नान करने और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं।
- महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। विभिन्न अखाड़ों और संत समाज के माध्यम से समाज में नैतिकता, करुणा और आत्म-संयम को बढ़ावा मिलता है।
- महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति के समृद्ध रूपों जैसे कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रदर्शन के माध्यम से सांस्कृतिक समागम को उजागर करता है।
- यह मेला न केवल धार्मिक आयोजनों का स्थल है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता का भी महत्वपूर्ण मंच है।
- महाकुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके आयोजन से जुड़ी व्यर वस्थाएँ और प्रशासनिक कौशल आधुनिकता और तकनीकी विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- अंततः, महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, विविधता और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो हजारों वर्षों पुरानी परंपरा राओं और आधुनिकता का अद्वितीय संगम है।

स्त्रोत - उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाईट एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. महाकुंभ मेला के आयोजन से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार कीजिए।

1. राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेला को आयोजित किया था।
2. ब्रिटिश अधिकारियों ने कुंभ मेला का दस्तावेजीकरण किया था।
3. अकबर ने वर्ष 1665 में नागा साधुओं को शाही प्रवेश का सम्मान दिया था।
4. कुंभ मेला का आयोजन 16वीं सदी में शुरू हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 4
D. केवल 2 और 3

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्त्व इस मेले में उपयोग की जा रही तकनीकी व्यवस्थाओं, जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी और आपातकालीन संचार सुविधाओं, का विवरण देते हुए कुंभ मेला की उत्पत्ति, प्रकार और यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने के महत्व को स्पष्ट भी स्पष्ट करें। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 : राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और स्वामी विवेकानंद का योगदान

खबरों में क्यों?

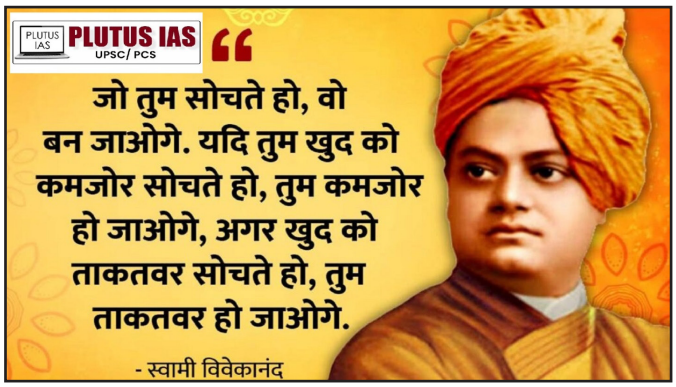


- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती) के मौके पर ' **विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025** ' में भाग लिया।
- भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और भारत के महान विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम 2025 का परिचय :

1. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यह एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना है।
2. यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर किए गए आह्वान से जुड़ा है, जिसमें बिना किसी राजनीतिक दल से संबंधित 1 लाख युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया था।
3. इस कार्यक्रम में 15-29 वर्ष आयु के 3,000 युवाओं ने भाग लिया, जिनका चयन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया (जिसे **'विकसित भारत चैलेंज'** कहा जाता है) द्वारा किया गया।
4. इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर युवाओं के विचार जानना था।
5. इस कार्यक्रम दौरान युवा नेताओं ने प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तीकरण, स्थिरता, विनिर्माण और कृषि जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किया।

स्वामी विवेकानंद का परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :



1. **व्यक्तिगत जीवन :** स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य, एक महान भारतीय संत और एक महान योगी थे। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर उन्होंने अपना नाम 'सच्चिम दानंद' से बदलकर 'विवेकानंद' रखा।
2. **आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान की प्राप्ति :** सन 1892 में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के तट से हिंद महासागर में एक विशाल शिला तक तैरकर यात्रा की। इस शिला पर तीन दिन और रातें बिताने के बाद उन्हें गहरे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस शिला को अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के रूप में जाना जाता है।
3. **आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति के बीच आपसी समन्वय और संतुलन आवश्यक :** स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और योग को विश्वभर में प्रचारित किया। उन्होंने 'नव-वेदांत' का प्रचार किया, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या करता था। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति के बीच आपसी समन्वय और संतुलन आवश्यक है।
4. **धार्मिक और सामाजिक विचार :** स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सेवा के माध्यम से समाज की उन्नति हो सकती है, और "जीव की सेवा करना शिव की उपासना के समान है।" उनका मानना था कि धर्म एक सार्वभौमिक सत्य है, जो असहिष्णुता और अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए।
5. **शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का आह्वान करना :** स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने मानव-निर्माण और चरित्र निर्माण वाली शिक्षा को महत्व दिया। उनका मानना था कि छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर और चरित्रवान होना चाहिए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **मानवता और करुणा के मूल्यों पर जोर देना :** स्वामी विवेकानंद ने मानवता और करुणा के मूल्यों पर जोर दिया। उनका मानना था कि जीवन के चार मार्ग—राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

7. **युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत :** स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनका विचार था कि युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ताकि वे देश की प्रगति में योगदान दे सकें।

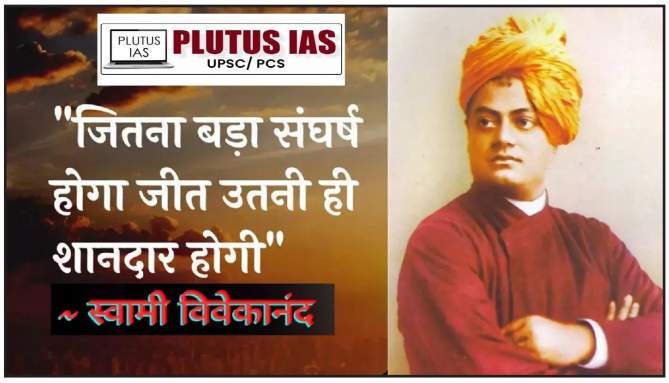
8. **राष्ट्रवाद और समाज सेवा के तहत समाज सुधार पर जोर देना :** स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद मानवतावाद और सर्वहितवाद पर आधारित था, जिसमें समाज के कल्याण और स्वतंत्रता की बात की गई थी। उनका मानना था कि निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज में सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।

9. **नैतिकता और धर्म संबंधी विचार :** स्वामी विवेकानंद के अनुसार, नैतिकता और धर्म एक व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म असल में परम सत्य का अनुभव है, जो असहिष्णुता, अंधविश्वास और पुरोहितवाद से मुक्त होना चाहिए।

10. **स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित संस्थाएं :** सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान के आदर्शों को फैलाने के लिए कार्यरत है। उन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की, जो बाद में उनका स्थायी निवास बन गया।

11. **भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका योगदान :** सन 1893 में शिकागो धर्म संसद में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। इसके अलावा, जुलाई 1896 में उन्होंने लंदन में लंदन हिंदू एसोसिएशन के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया।

स्वामी विवेकानंद का विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण विचार :



1. **गरीबी और धर्म पर विचार :** स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस देश में लाखों लोग भूखे रहते हैं और कुछ लोग उनकी स्थिति सुधारने के बजाय उनका शोषण करते हैं, वह धर्म नहीं हो सकता। यह पिशाचों के नृत्य जैसा है। धर्म का उद्देश्य गरीबों और जरूरतप मंदों की मदद करना है।

2. **समानता और भाईचारे का संदेश :** स्वामी विवेकानंद ने निम्न वर्ग के लोगों, जैसे अज्ञानी, गरीब, अनपढ़, और कामकाजी वर्ग के बारे में कहा कि ये सब हमारे भाई हैं। हमें उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक समान हैं।

3. **आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर विचार :** सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक जनक माना है। उनका मानना था कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज और राष्ट्र के आध्यात्मिक उत्थान के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है।

राष्ट्रीय युवा नीति (NYP) 2014 और 2024 :

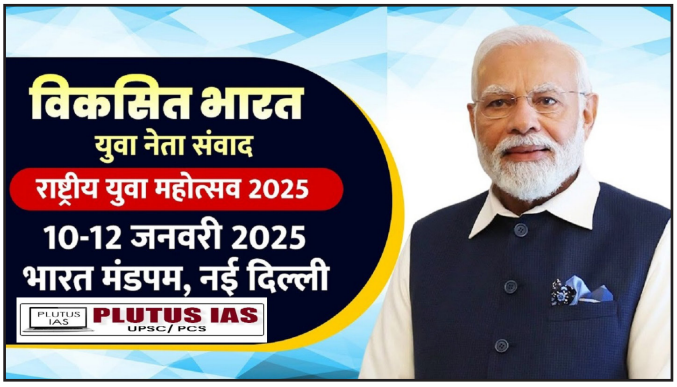
NYP 2014 :

1. यह नीति भारत के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करती है।
2. इसे भारत में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था।

NYP 2024 :

1. भारत सरकार ने NYP 2014 की समीक्षा कर इसे अद्यतन किया है और नया प्रारूप NYP 2024 जारी किया है।
2. यह वर्तमान नीति सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है और युवाओं के समग्र विकास के लिए एक दस वर्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
3. यह मुख्यतः पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमे शिक्षा, रोज़गार, युवा नेतृत्व, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय, तथा सामाजिक समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।

राष्ट्रीय युवा नीति का मुख्य उद्देश्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु :



1. वर्ष 2030 तक युवा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना तैयार करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ करियर और जीवन कौशल में सुधार करना।
3. नेतृत्व और स्वयंसेवा के अवसर बढ़ाना, और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
4. स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और खेल तथा फिटनेस को बढ़ावा देना।
5. हाशिये पर पड़े युवाओं के लिए सुरक्षा, न्याय और सहायता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष :

- विकसित भारत युवा नेता संवाद और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएँ युवाओं को सशक्त बनाने, नैतिक नेतृत्व, और समग्र विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2024 जैसी योजनाएँ इन पहलुओं के साथ मेल खाती हैं और उनका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, और तर्कसंगतता से सक्षम बनाना है। इसके माध्यम से, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करते हुए, भारत के एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की दिशा में कार्य किया जा सकता है।

स्त्रोत - पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय युवा दिवस और ' विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
2. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025' का आयोजन स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर किया गया था।
4. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025' में केवल 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं ने भाग लिया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - C

व्याख्या :

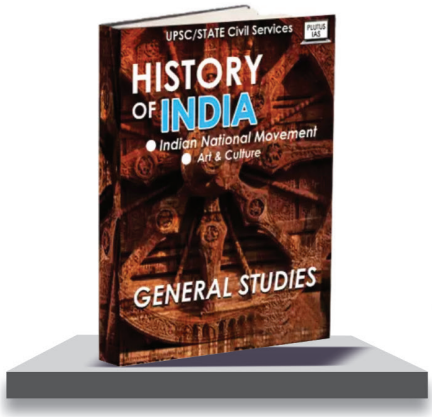
1. राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
2. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025' का आयोजन स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर किया गया था।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

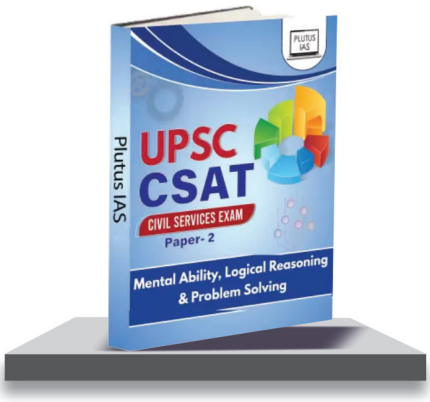
Q.1. स्वामी विवेकानंद के विचारों और योगदान को ध्यान में रखते हुए, 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025' और राष्ट्रीय युवा नीति 2024 के अंतर्गत देश में युवाओं के समग्र विकास, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा करें। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



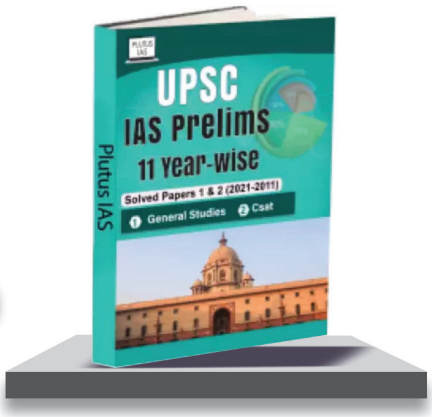
Our UPSC Civil Services Books



ISBN: 9789393832030

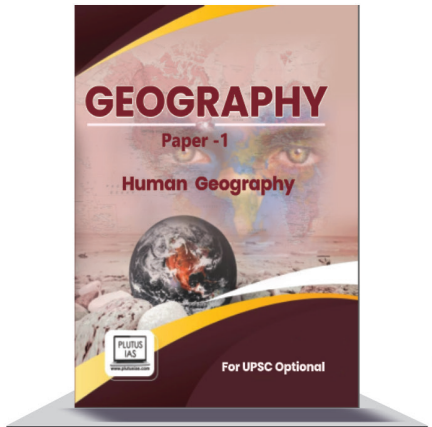


ISBN: 9789393832023

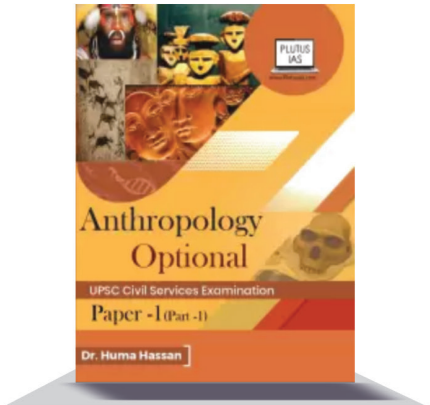


ISBN: 9789393832085

Our UPSC Civil Services (Optional Books)



ISBN: 9789393832146



ISBN: 9789393832184



ISBN: 9789393832016

2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station, Gate No. 6, New Delhi – 110005
House No. B-19, 1st Floor, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Landmark: Opp. Agarwal Sweets, Delhi – 110009
Punjab Kesari Building, Plot No. 9, Sector 25D, Chandigarh – 160036

https://www.Instagram.com/_plutusias/ https://www.facebook.com/Plutusias/ https://www.youtube.com/c/PLUTUSIAS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

Key Features

- Editorial Analysis
- Main Supplement
- National News
- Mindmaps & Infographics
- International News
- Places & Maps
- Government Schemes
- Model Questions

Our Books are available on

www.flipkart.com	www.onlinekhanmarket.com	www.examophobia.com	www.amazon.in
Flipkart	Onlinekhanmarket	Examophobia	Amazon

2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station, Gate No. 6, New Delhi – 110005

House No. B-19, 1st Floor, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Landmark: Opp. Agarwal Sweets, Delhi – 110009

Punjab Kesari Building, Plot No. 9, Sector 25D, Chandigarh – 160036

https://www.instagram.com/_plutusias/ https://www.facebook.com/Plutusias/ https://www.youtube.com/c/PLUTUSIAS

MRP- ₹150/-